VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था - 2

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

9. कृषि एवं इससे सम्बंधित क्षेत्रक ____ 5

9.1. पृष्ठभूमि ____ 5

9.1.1. कृषि संकट ____ 5

9.2. किसानों के विरोध प्रदर्शन और ऋण छूट ____ 6

9.3 किसान की आय दोगुनी करना ____ 8

9.4. बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) ____ 9

9.5. सिंचाई ____ 9

9.5.1. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता ____ 9

9.6. कृषि विपणन ____ 10

9.6.1. कृषि विपणन पर मॉडल कानून का मसौदा ____ 10

9.6.2.कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक ____ 11

9.6.3. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन ____ 13

9.7. एग्रीकल्चर स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केटिंग ____ 14

9.8 कृषि उत्पाद में आप्शन ट्रेडिंग ____ 14

9.9. कृषि उत्पादों में व्यापार- वेयरहाउस रिसीट्स ____ 15

9.10. किसान उत्पादक संगठन (FPOs) ____ 16

9.11. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ____ 18

9.12. पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करना ____ 19

9.13. किसानों की सहायता हेतु ई- प्रौद्योगिकी ____ 20

9.14. GM सरसों का वाणिज्यीकरण ____ 21

10. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक ____ 23

10.1. पृष्ठभूमि ____ 23

10.2. सम्पदा योजना ____ 23

11. मत्स्य क्षेत्र ____ 26

11.1. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017 ____ 26

11.2. भारत ने विश्व व्यापार संगठन को मत्स्य सब्सिडी प्रतिवेदन प्रदान किया ____ 28

12. औद्योगिक नीति एवं सम्बंधित मुद्दे ____ 30

12.1. घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति ____ 30

12.2. राष्ट्रीय पूँजीगत वस्तु नीति, 2016 ____ 31

12.3. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति मसौदा ____ 32

12.4. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना ____ 33

12.5. सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 ____ 34

12.7. औद्योगिक विस्तार हेतु अन्य पहलें ____ 36

13. विदेशी निवेश ____ 37

VISION IAS

13.1. विदेशी फर्मों के साथ विलय के नियम सरल किए गए ____ 37
13.2. तंबाकू क्षेत्र में FDI ____ 38
13.3. FIPB को समाप्त किया जाएगा ____ 39
13.4. ग्रीन बांड ____ 39
14. अवसंरचना ____ 42
14.1. अवसंरचना वित्तपोषण ____ 42
14.1.1. थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक ____ 42
14.1.2. राज्यों को विदेशी ऋण के लिए अनुमति ____ 42
15. ऊर्जा ____ 44
15.1. ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट ____ 44
15.2. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा ____ 44
15.3. केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा ____ 46
15.4. ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र ____ 47
16. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन ____ 48
16.1. शक्ति नीति ____ 48
16.2. भारत के हाइड्रोकार्बन उद्योग में बाधाएं: ____ 49
16.3. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र ____ 50
16.4. एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ____ 52
16.5. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ____ 53
17. विद्युत् ____ 54
17.1. राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा (उत्पादन) ____ 54
17.2. विद्युत पारेषण योजना ____ 55
18. बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जलमार्ग ____ 56
18.1. मर्चेंट शिपिंग विधेयक ____ 56
18.2. द मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटिज बिल, 2016 ____ 57
18.3. जल विकास मार्ग परियोजना ____ 58
19. सड़कें ____ 60
19.1. ट्रांजिट आधारित विकास नीति ____ 60
19.3. सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें ____ 62
20. उड्डयन ____ 63
20.1. नागरिक उड्डयन में सुधार ____ 63
20.2. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ ____ 64

VISION IAS

21. रेल 66

21.1. रेल सुरक्षा 66

21.2. रेलवे विकास प्राधिकरण 67

21.3. भारतीय रेलवे की पर्यटन नीति का मसौदा 68

21.4. रेल मंत्रालय द्वारा गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा 69

22. आवास 70

22.1. ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" 70

22.2. गरीबों के लिए नई आवास योजनाएं 70

22.3. रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016 71

22.4. शहरी किराया आवास नीति का मसौदा 72

22.5. स्मार्ट सिटी: कार्यान्वयन में समस्याएं 73

22.6. विश्व बैंक का "इज ऑफ़ लिविंग" सूचकांक 74

23. भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों से सम्बंधित ख़बरें 76

23.1. वस्त्र क्षेत्रक 76

23.1.1. पॉवरटैक्स इंडिया 76

23.1.2. तकनीकी वस्त्र 77

23.2. फार्मा क्षेत्रक 78

23.2.1. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 78

23.2.2. जनऔषधि परियोजना 79

23.3. कॉयर उद्योग 79

23.4. रत्न और आभूषण क्षेत्रक 81

23.5. कागज उद्योग 82

24. विविध 84

24.1. बौद्धिक संपदा बनाम प्रतिस्पर्धा कानून 84

24.2. CSR व्यय में रुझान 85

24.3. कंपनी बोर्ड के लिए स्वतंत्र निदेशक 86

24.4. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 86

VISION IAS

9. कृषि एवं इससे सम्बंधित क्षेत्रक

(AGRICULTURE AND ALLIED SECTOR)

9.1. पृष्ठभूमि

(Background)

कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 58 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में अनुमान लगाया गया था कि 2016-17 (PE) में कृषि की विकास दर 4.9 प्रतिशत की निराशाजनक दर पर रहेगी। इसका मुख्य कारण, लगातार दो साल तक वर्षा की मात्रा में होने वाली कमी है। इसके अतिरिक्त, नवीनतम **कृषि परिवारों की स्थिति के मूल्यांकन पर जारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS-SAS)**के अनुसार;

- भूमि जोतों के विभाजन और जनसांख्यिकीय दबाव से भूमि उपलब्धता में कमी आई है। अर्थात ग्रामीण आबादी के पास खेती योग्य भूमि का अनुपात 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति से भी कम है।
- कृषि हेतु कम भूमि उपलब्धता कृषि क्षेत्र में एक समस्या है। इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमांत किसान सौदेबाजी करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास विपणन योग्य अधिशेष बहुत कम होता है और बेहतर बाजार संबंधी विकल्पों का अभाव रहता हैं।
- **कृषक परिवारों की कुल आय का 40% गैर-कृषिगत स्रोतों से प्राप्त होता है।** हालाँकि गैर-कृषि स्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में स्थिति अत्यधिक विषम है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 53% कृषक परिवारों को इस तरह के स्रोतों से शून्य आय की प्राप्ति हुई है।

9.1.1. कृषि संकट

(Agricultural Distress)

- देश की आर्थिक विकास की दौड में कृषि अपनी बुनियादी समस्याओं में उलझकर रुक सी गयी है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनेक चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रही है, उदाहरणस्वरुप, छोटी जोत में विभाजन, भूमिगत जलस्तर में हो रही गिरावट, मिट्टी की गुणवत्ता हास्, लागत में वृद्धि और कम उत्पादकता, आदि। कृषि संकट के केंद्र में कृषक हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट दर्शाती है कि औसतन प्रत्येक कृषक परिवार पर 47,000 रुपये का कर्ज है जबकि उसकी औसत वार्षिक आय रु 74,676 है।
- आधुनिक कृषि के लिए कृषि मशीनरी में निवेश और बीज, उर्वरक, कृषि रसायन के क्रय और पट्टेदार श्रम(भाड़े पर) आदि के लिए भारी लागत निवेश की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः अलाभकारी कृषिगत उद्यम जैसे पशुपालन आदि, से उत्पन्न बचत निवेशों के लिए अपर्याप्त है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समारोह और गैर-खाद्य वस्तुओं के बढ़ते खर्च कृषिगत परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालते है।

कृषि ऋण

अधिकांश किसानों को सामान्य से चार गुना अधिक ब्याज दर पर गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है।

- किसानों द्वारा लिए गये अल्पकालिक संस्थागत ऋण की राशि, कुल लागत (किराए पर श्रम सहित) से अधिक हो जाती है। इस वृद्धि का कारण है कि फसल ऋण का एक हिस्सा गैर-कृषिगत उद्देश्यों जैसे शादी, सामाजिक समारोहों और अनौपचारिक ऋणों का भुगतान करने के लिए खर्च कर दिया जाता है।
- ऋण और ब्याज भुगतान के दुष्चक्र ने किसानों को ऋण जाल में उलझाकर कृषि छोड़ने हेतु मजबूर कर दिया है।

कृषक आत्महत्या

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2015 में देश में कृषि क्षेत्र में कुल 12,602 व्यक्ति आत्महत्या कर चुके हैं जिनमे 72% से अधिक किसान, दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले (सीमान्त किसान) थे।

- किसान द्वारा की गयी आत्महत्या उन परिवारों पर सामाजिक-आर्थिक भार में वृद्धि कर देती है। जिसके कारण उनकी भावी पीढ़ी कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने की इच्छुक नहीं होती ।

VISION IAS

9.2. किसानों के विरोध प्रदर्शन और ऋण छूट

(Farmer Protests and Loan Waiver)

एमएस स्वामिनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग (2004-06) की अनुशंसाएँ:

भूमि सुधार:

सरप्लस व बेकार भूमि, भूमिहीनों में वितरित की जाए।

पारिस्थितकी, मौसम संबंधी कारकों के साथ भूमि उपयोग निर्णयों को जोड़ने हेतु एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार(नेशनल लैंड यूज़ एडवाइजरी) सेवा की स्थापना की जाए।

सिंचाई सुधार

वर्षा जल संचयन के माध्यम से जलापूर्ति में वृद्धि करने और भूजल रिचार्ज करने संबंधी प्रावधानों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। "मिलियन वेल्स रिचार्ज" कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से निजी कुओं को भी लक्षित किया जाना चाहिए।

- महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कम्युनिटी फूड व वाटर बैंक की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए जो सार्वजनिक रूप से अन्न और जल भण्डारण के सिद्धांत पर आधारित है।
- **क्रेडिट और बीमा:** प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रदान करने के लिए एक कृषि जोखिम निधि की स्थापना की जाए।

विशेषकर, महिलाओं के लिए संयुक्त पट्टे पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाये। इसके अतिरिक्त एक इंटीग्रेटेड क्रेडिट-कम-क्रॉप-लाइवस्टॉक-ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज का विकास किया जाये।

खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण:

- स्टोर ग्रेन एंड वॉटर एव्रीवेयर के सिद्धांत के आधार पर, महिला स्व-सहायता समूह (SHG) द्वारा संचालित सामुदायिक खाद्य एवं जल बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाये।
- किसानों की समस्याओं पर त्वरित सरकारी प्रतिक्रिया हेतु कृषको के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य स्तर पर किसान आयोग की स्थापना की जाए।
- कृषि संकट ग्रस्त क्षेत्रो में ग्राम ज्ञान केंद्र (विलेज नॉलेज सेंटर) या ज्ञान चौपाल बनायीं जाए।

MSP भारित उत्पादन औसत लागत की तुलना में कम से कम 50% अधिक होना चाहिए तथा किसानों की "शुद्ध घरेलू आय" सिविल सेवकों के समतुल्य होनी चाहिए।

अभी हाल ही में हुए फसलों के भरपूर उत्पादन के बावजूद विभिन्न कृषि फसलों के लाभकारी मूल्यों में कमी आई है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों में व्याप्त असंतोष के रूप में देखी जा सकती है।

कारण

किसान उत्पादों की आपूर्ति-मांग और कृषक उत्पादन में अन्तर विद्यमान है, जिसके कारण कृषको का लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो पाता।

- छोटे जोतो की प्रबलता, आय के एकल स्रोत (फसलों से) और ऋण के कई स्रोतों (सरकार, सहकारी और निजी) ने मिलकर कृषिगत समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है।
- भुगतान फॉर्म खरीद केंद्रों में देरी और आढ़तियों (कमीशन पर काम करने वाले उत्पाद समूहक) को औने पौने दाम पर उत्पाद बेचना ।
- बुनियादी ढांचागत भण्डारण सुविधाओं की कमी जैसे अधिकांश स्थानों में विकेन्द्रीकृत गोदाम आदि बफर स्टॉक के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करती है।
- हाल ही में हुए विमुद्रीकरण के कारण हुई नकदी कमी से कृषि क्षेत्र में अवस्फीति(ठहराव) उत्पन्न हुई है। जून 2017 में जारी RBI मोनेटरी पालिसी रिव्यु स्टेटमेंट के अनुसार कृषि उत्पादों के मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों की "फायर (डिस्ट्रेस) सेल" के आधार पर औने-पौने दाम पर बिक्री की गयी।
- स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार, किसानों ने भी 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की मांग की है।

सरकारी कदम

- महाराष्ट्र सरकार ने, कृषक मांगों के मद्देनजर, उत्पादन लागत के कम से कम 50% मूल्य पर फसल खरीद को सुनिश्चित करना, कृषि ऋण पर भारी छूट, ड्रिप/छिड़काव सिंचाई प्रणाली पर 100% सब्सिडी, और न्यूनतम दूध खरीद मूल्य रु. 50 निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
- सरकार ने अगले फसल चक्र के लिए भी त्वरित ऋण वितरित किया है।
- वर्ष 2017-18 के लिए किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) लागू की, जिससे किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके तहत एक वर्ष के भीतर देय 3 लाख तक के ऋण पर ब्याज दर केवल 4% प्रति वर्ष होगी।

ऋण माफी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए किसानों के ऋण माफ़ी संबंधी कार्यों ने अलग-अलग राज्यों में किसान समुदाय के ऋण माफ़ी मांग पर गहरा प्रभाव डाला है।

ऋण माफी से सम्बंधित चुनौतियां

- केवल एक तिहाई छोटे और सीमांत किसान बैंक क्रेडिट तक (वित्तीय पृथकता के रूप में कृषक) पहुच बनाने में सक्षम है। जिस में से दो तिहाई कृषक ऋण माफी का लाभ नहीं उठा पाते।
- 2013 में के.वी. थॉमस की अध्यक्षता में लोक लेखा समिति ने बताया कि कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, भ्रष्टाचार, लाभार्थियों को शामिल करने और हटाने में त्रुटि, अपर्याप्त दस्तावेज और संस्थाओं के पास बची अप्रयुक्त निधि आदि समस्याओं से ग्रस्त है।
- दूसरी तरफ, RBI के अनुसार किसान ऋण माफ़ी के कारण कृषि समुदायों के लिए उचित क्रेडिट संस्कृति के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- ऋण माफी, गैर-परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है इससे बुनियादी ढांचे और निजी वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं में भीड़ बढ़ रही है।
- इसके कारण राज्यों द्वारा FRBM लक्ष्यों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि होती है और राज्यों के वित्तीय अनुत्तरदायी में वृद्धि तथा राज्य के खजाने को नुकसान होता है।

कृषि संकट के समाधान

- **कृषि ऋण पर राधाकृष्णन रिपोर्ट** ने राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार समायोजित एक लचीला दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया ।
- अनौपचारिक महंगें क्रेडिट पर निर्भरता से बचने के लिए किसानों हेतु एक **समर्पित संस्थागत ऋण** तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है।
- मानसून की अनियमितता के प्रति कृषि लोच को सुधारने के लिए, कृषि जलवायु क्षेत्र और टिकाऊ कृषि के अनुसार कृषि फसल पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है:जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में दलहन की खेती करना इत्यादि ।
- सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों जैसे छिड़काव और ड्रिप सिंचाई पर बल देना। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी इनपर बल दिया गया है।
- FCI के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा भंडारण के लिए निर्मित आधारभूत संरचना में सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
- फसल विशेष और स्थान विशेष के आधार पर एक उचित खरीद और MSP तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, को फसल की कटाई के बाद होने वाले किसी वित्तीय घाटे से बचाने के लिए बीमा के कवरेज क्षेत्र में वृद्धि की जानी चाहिए।
- किसान के लाभ को अधिकतम करने के लिए कृषि विपणन और रियल टाइम प्राइस को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

- अप्रत्याशित वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक कृषि के साथ पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आगे की राह

ऋण माफ़ी एक उप-समाधान है जो कृषि संकट के मूल कारणों को हल नहीं करता। इसके अतिरिक्त, यह कृषि समुदाय की ऋण संस्कृति में भी बाधा उत्पन्न करता है। समय की मांग को देखते हुए कृषि के लिए एक समग्र कार्रवाई ढांचा (जो फ्रंट एन्ड से बैक एंड तक सहायता प्रदान करता हो) बनाने की आवश्यकता है।

9.3 किसान की आय दोगुनी करना

(Doubling The Farmer Income)

सरकार का प्रयोजन खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ हमारे किसानों को आय सुरक्षा भी प्रदान करना है। इस संबंध में, सरकार का लक्ष्य कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये आवंटित करके 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि क्षेत्रों के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलू में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

किसानों की आय में वृद्धि के लिए कुल 40 सिफारिशें निमंलिखित पांच भागों में वर्गीकृत की गई हैं :

उत्पादकता में सुधार करके आय की बढ़ोतरी	जल और कृषि-इनपुट नीतियां	एकीकृत खेती प्रणाली	बेहतर बाजार मूल्य प्राप्ति	विशेष नीति उपाय
फसल और पशुधन उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। भारत के वर्षा रहित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता में सुधार, राज्यों के बीच उपज अंतर की कमी करना	उर्वरक सब्सिडी और NPK मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाना। बाजार में नकली कीटनाशकों की अधिकता की जांच। भारत में भौगोलिक रूप से अनुकूल कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा एकीकृत जल उपयोग नीति	पशुधन संजीवनी के माध्यम से पशुओं की नस्ल में सुधार, पशु स्वास्थ्य कार्ड, ई-पशुधन हाट का निर्माण सघन सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना	APMC अधिनियम की समीक्षा NAM को कार्यात्मक बनाने के लिए लाइसेंस के नियमों को आसान करना आवश्यक है APMC अधिनियमों में सुधार कर अखिल भारतीय ट्रेडर्स को अनुमति, फसल कटाई उपरांत नुकसान को कम करना कृषि बुनियादी ढांचा, भंडारण प्रणालियों को बेहतर करना	भूमि पट्टे पर देने से संबंधित कृषि में संरचनात्मक सुधार राष्ट्रव्यापी फसल प्रतिस्पर्धा अध्ययन, कृषि को समवर्ती सूची में लाया जाए: कृषि ऋण और सब्सिडी के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा, सभी केंद्रीय और राज्य सब्सिडी को एकीकृत करना, ICT आधारित कृषि विस्तार

9.4. बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)

(Revenue Insurance Scheme For Plantation Crops: RISPC)

हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने **बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)** को मंजूरी दी है।

RISPC के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को विभिन्न जोखिमों जैसे:- फसल हानि, कीट हमलों और अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है।
- इस योजना को पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और सिक्किम में **2 वर्षों के लिए पायलट आधार पर** लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत, **तंबाकू सहित** विभिन्न बागानी फसलों को कवर किया जाएगा।
- योजना के प्रदर्शन के आधार पर, इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जाएगा।
- इस योजना को 2013 में समाप्त की गई **मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना** का उन्नत संस्करण माना जा सकता है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

- यह योजना वाणिज्य मंत्रालय के तहत 2003 में आरम्भ की गयी थी **(2013 में समाप्त)** और इसके अंतर्गत, सभी बागानी फसलों को शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था।

9.5. सिंचाई

(Irrigation)

9.5.1. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

(Central Assistance Under AIBP)

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।

- यह राशि गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों की 50 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है।
- इन सिंचाई परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए इन राज्यों के **सूखा प्रभावित जिले** सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही, इनका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कम करना भी है।
- पहचानी गई 99 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) का गठन किया गया है।
- HLEC, **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के अंतर्गत अन्य घटकों की भी निगरानी करेगी और मध्यकालिक सुधार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

- लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से आधे से भी कम, केवल लगभग 64 लाख हेक्टेयर के लिए सुनिश्चित सिंचाई की उपलब्धता है। शेष, अभी भी वर्षा जल पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, यहां तक कि समग्र सिंचित भूमि में भी, लगभग 60 प्रतिशत भूजल की पंपिंग पर आधारित है जो अधिकांश राज्यों में किसानों को दी जा रही नि:शुल्क या अत्यधिक रियायती दर पर बिजली से समर्थित हैं। इसके कारण तेजी से घट रहे महत्वपूर्ण संसाधन पर और दबाव पड़ रहा है।

चिंता के क्षेत्र

- इन परियोजनाओं के अपूर्ण बने रहने का एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त धन का विमोचन है।
- अन्य मुद्दों में अधिकांश परियोजनाओं में समय और लागत का बढ़ जाना, भूमि अधिग्रहण में समस्या और कुछ स्थानों पर सुरंगों के निर्माण जैसी तकनीकी कठिनाइयां सम्मिलित हैं।
- परियोजनाओं के सरकारी सर्वेक्षण से उपयोग में अंतराल का पता चला है - सृजित सिंचाई क्षमता और वास्तव में सिंचित क्षेत्र के बीच अंतर 25 से 55 प्रतिशत के बीच है। इसका अर्थ है कि ये परियोजनाएं अपनी क्षमता की तुलना में काफी हद तक कम क्षेत्र और काफी कम संख्या में किसानों की सेवा कर रही हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के अंतर्गत **समर्पित सिंचाई कोष** बनाया गया है जिसे पैसे उधार लेने के लिए कर मुक्त बंधपत्र जारी करने के लिए कहा गया है।
- बजट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का आरंभिक कोष पहले ही स्थापित किया जा चुका है जिसका नाबार्ड बाजार से आगे और पैसे जुटाने के लिए लाभ उठा सकता है।
- सरकार ने अब **केंद्रीय जल आयोग** और अन्य एजेंसियों को प्रतिवर्ष 143 पूर्ण परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं ग्रहण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कहा है।
- इनमें से प्रत्येक परियोजना में अब **जल उपयोगकर्ता संघ** होंगें जो तय करेंगें कि किस प्रकार प्रत्येक् दावेदार के लिए पानी वितरित किया जाए।

केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) सहित चल रही बड़ी/मध्यम सिंचाई (MMI) परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का शुभारंभ किया था।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

2015 में प्रारंभ, इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये आबंटित किये गए है। इस योजना का लक्ष्य सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना है।

इसके चार घटक हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी, *पर ड्राप मोर क्रॉप* और *वाटरशेड डेवलपमेंट।*

9.6. कृषि विपणन

(Agriculture Marketing)

9.6.1. कृषि विपणन पर मॉडल कानून का मसौदा

(Draft Model Law on Agricultural Marketing)

केंद्र सरकार ने **'कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम'** (APLM), 2017 **{Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitating) Act (APLM), 2017}** नामक एक मॉडल कानून के मसौदे का अनावरण किया जो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, 2003 का स्थान लेगा।

कृषि **'राज्य'** का विषय है। इसलिए, इसके प्रावधानों को आंशिक या पूर्ण रूप से अपनाना राज्यों पर निर्भर करता है।

उद्देश्य

- **एकल कृषि बाजार** बनाना जहां एकल लाइसेंस के साथ किसी व्यक्ति द्वारा कृषि-उपज के साथ-साथ पशुधन का व्यापार किया जा सकता है।
- किसानों के लिए बेहतर **मूल्य की प्राप्ति।**

- 2022 तक **किसानों की आय को दोगुना** करना।

इस मॉडल अधिनियम के मसौदे में शामिल प्रावधान

- एकल शुल्क का भुगतान कर **अंतर्राज्यीय व्यापार** की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- व्यापारी जल्दी ख़राब हो जाने वाले वस्तुओं जैसे:- फलो और सब्जियों की बिक्री मौजूदा मंडियों (थोक बाजारों) से बाहर करने में समर्थ होंगे।
- ड्राफ्ट कानून उपज को थोक बाजार में लाए जाने के बाद **किसान द्वारा देय बाजार शुल्क और कमीशन प्रभारों पर** ऊपरी सीमा आरोपित करने का प्रस्ताव रखता है।
- फलों और सब्जियों के लिए बाजार शुल्कों के उदग्रहण पर 2% (बिक्री मूल्य की) एवं खाद्यान्नों हेतु 1% की ऊपरी सीमा प्रस्तावित की गयी है।
- मालगोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज विनियमित बाजारों की तरह कार्य करेंगे।
- सभी प्रकार की **विनियामक शक्तियाँ राज्य में कृषि विपणन निदेशक के पद में निहित होंगी,** जो व्यापारियों एवं नए निजी प्रतिभागियों को लाइसेंस भी जारी करेगा। अब तक ये शक्तियाँ निदेशक बोर्ड द्वारा प्रबंधित मंडियों में निहित होती हैं।
- किसान थोक क्रेताओं को अपने उपज की सीधी बिक्री कर सकते हैं।

महत्व

- यह एक ट्रेडर लाइसेंस (अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस) के आधार पर **अवरोध-मुक्त एकीकृत कृषि बाजार** का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह निजी प्रतिभागियों को थोक बाजारों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करेगा जिसके फलस्वरूप पारंपरिक 'मंडियों' का एकाधिकार समाप्त होगा।
- व्यापारियों के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप **बेहतर फार्म-गेट मूल्य** प्राप्त होंगे।
- नया कानून **कृषि उपज के अपव्यय** को भी कम करेगा।
- इससे **इलेक्ट्रॉनिक व्यापार** को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

AN OVERHAUL FOR AGRICULTURAL MARKETS

- **Centre's plan:** Freeing up trade in agriculture produce by giving farmers a wider choice of markets beyond the local mandi
- **Current scenario:** Over-regulation by states and local trader cartels limit wholesale prices received by farmers. With the centre pushing them, many states are now amending their marketing laws governing agricultural produce.
- **Implications:** As more states join the reform agenda, farmers can expect prices that are remunerative and transparent

9.6.2.कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक

(Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index)

नीति आयोग ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के श्रेणीकरण के लिए पहली बार **"कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक"** का शुभारंभ किया है।

केंद्र सरकार ने पहली बार 2003 में APMC अधिनियम के माध्यम से APMC या थोक बाजार (मंडियों) में सुधारों का, राज्यों से इसे अपनाने का आग्रह करते हुए शुभारंभ किया था क्योंकि कृषि विपणन संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है।

विशेषताएं और रैंकिंग

- आकलन करने के लिए प्रयुक्त **संकेतक** कृषि बाजारों में **प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

VISION IAS

- यह रैंकिंग मॉडल APMC अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन, इस पहल में सम्मिलन, विपणन के लिए फल और सब्जियों के लिए विशेष उपचार और मंडियों में करों के स्तर पर आधारित हैं।
- सूचकांक में सम्मिलित अन्य मानक पट्टेदार किसानों के लिए कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और अपनी भूमि के पेड़ काटने और ढोने की किसानों की स्वतंत्रता है जिससे उनके लिए अपनी आय में विविधता लाना संभव बनाती है।
- इस सूचकांक में **"0"** जिसका तात्पर्य चयनित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं है, से लेकर **"100"** जिसका तात्पूर्य चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार है, के मान तक स्कोर हैं और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचकांक में स्कोर के संदर्भ में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- **महाराष्ट्र** ने विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में **पहला स्थान** प्राप्त किया है क्योंकि इसने अधिकांश विपणन सुधारों का कार्यान्वयन कर लिया है और कृषि व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम परिवेश प्रदान करता है।
- **गुजरात, दूसरे स्थान** पर है जिसके निकट ही राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
- दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बाद **पुडुचेरी** को **सबसे निचला** स्थान मिला है।

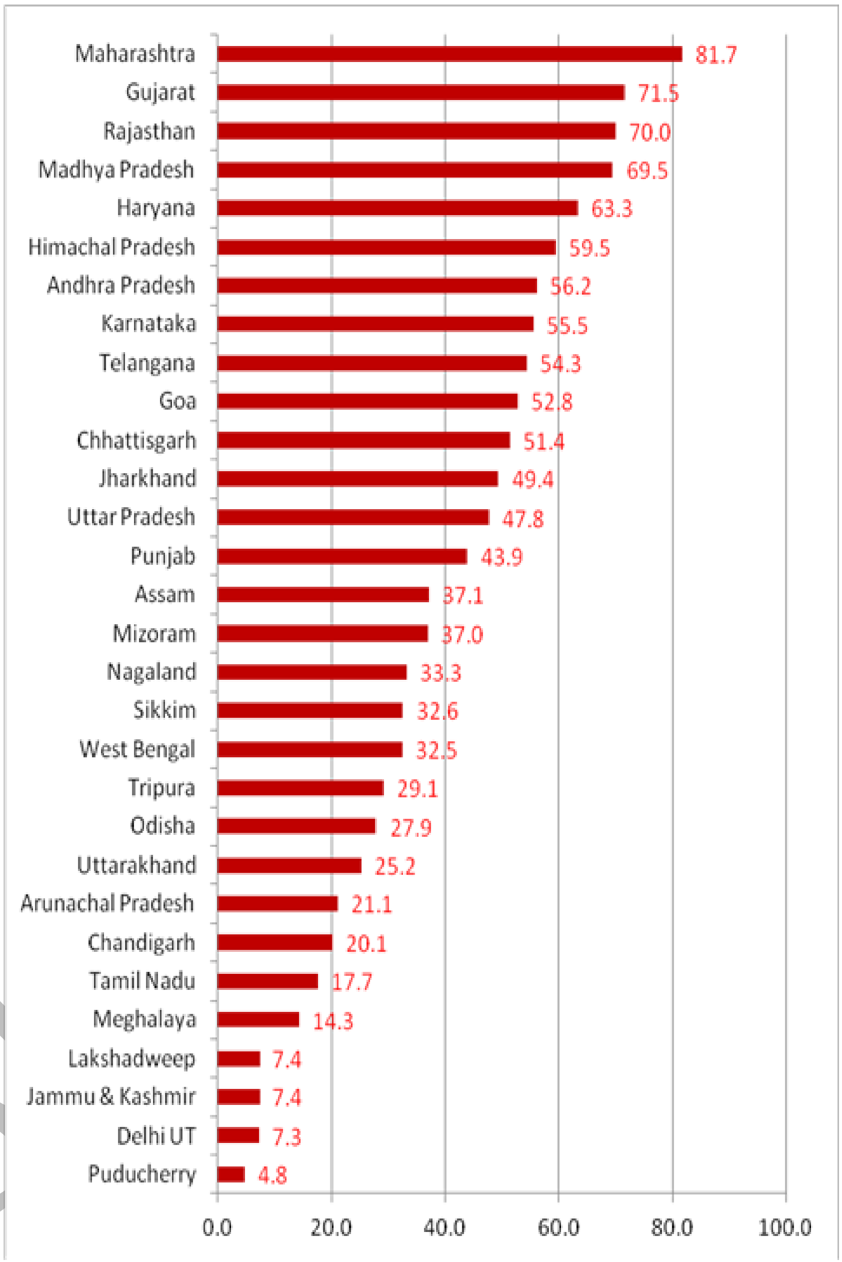

- उ.प्र., पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर सहित लगभग दो तिहाई राज्य सुधार स्कोर के आधे अंक तक भी नहीं पहुंच सके हैं।
- कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो APMC अधिनियम को अपनाया नहीं या इसे रद्द कर दिया है। इनमें बिहार, केरल, मणिपुर, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार सम्मिलित हैं। इन्हें रैंकिंग में नहीं सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित कृषि सुधार

- नीति आयोग ने भी **कृषि सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों** की पहचान की है जो **आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभान्वित** होने के कारण किसानों के लिए **कृषि व्यापार की सुगमता** के साथ ही अवसर भी प्रकट करते हैं और जिनमें अपने उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है।

ये सुधार हैं:

- **कृषि बाजार सुधार:** ताकि कृषि से अर्जित हो सकने वाले लाभों का सर्वोत्तम संभव सुधार सुनिश्चित करने वाले विपणन सिद्धांतो का अंगीकरण करके दोहन किया जाए।
- **भूमि पट्टा सुधार:** कृषि भूमि पट्टे पर लेने और देने से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और काश्तकार को मान्यता प्रदान करने और भूस्वामी के उदारता की रक्षा के लिए कानून में परिवर्तन।
- **निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार-पेड़ों की कटाई और पारगमन:** ये सुधार किसानों की आय के संपूरण में कृषि वानिकी की अप्रयुक्त संभावनाओं पर बल देते हैं। ये सुधार, कृषि व्यापार में विविधता लाने के लिए निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए भी किसानों को दी गई स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आगे की राह

- राज्य **मापदंड के रूप में इस सूचकांक का उपयोग** कर सकते हैं और उन संकेतकों पर **सुधार** ला सकते हैं जहां वे पीछे रह गए हैं क्योंकि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करने और समाधान करने में उन राज्यों की सहायता करना है जो कम वृद्धि, कम आय और कृषि संकट से ग्रस्त हैं।
- **राज्यों को** इन उल्लिखित **सुधारों के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए क्योंकि इनका उद्देश्य **कृषि क्षेत्र की पूरी** परिवर्तित करना है जो अंततः किसानों के लिए लाभप्रद होगा।

9.6.3. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन

(APMC: De-Notification Of Few Items)

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि APMC के तहत अधिसूचित शीघ्र नष्ट होने वालों उत्पादों को सूची से हटाने का आग्रह राज्यों से किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, कृषि उत्पाद बाजारों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित, कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- यह अधिनियम, क्षेत्र में उत्पादित कृषि वस्तुओं जैसे अनाज, दालों, खाद्य तिलहन और यहां तक कि मुर्गा, बकरी आदि को अधिसूचित करता है।
- इन वस्तुओं में पहली बिक्री APMC के तत्वावधान में, इसके द्वारा लाइसेंस प्रदत्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से ही की जा सकती है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए 2003 में पहली बार मॉडल APMC अधिनियम को जारी किया था। फिर भी, लगभग 50% राज्यों ने अपने संबंधित कृषि विपणन अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं।

निर्णय का सकारात्मक प्रभाव

- **किसानों को उनके उत्पाद सीधे बेचने और बेहतर कीमतें** प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इससे खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी क्योंकि APMC द्वारा द्वारा कई प्रशुल्कों (मंडी कर, बहुल शुल्क इत्यादि) के और एजेंटों के कमीशन के कास्केडिंग इफ़ेक्ट में कमी आएगी।
- **उपज-पश्चात हानि कम होगी।**
- इससे फलों और सब्जी क्षेत्र में **अनुबंध कृषि** को बढ़ावा मिलेगा जो कंपनियों को अभिनव प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने, उत्कृष्ट कृषि प्रथाओं और किसानों को कृषि सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा।

चुनौतियाँ

- इससे कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा मिलेगा जो किसानों के उत्पीड़न का एक और मंच बन सकता है।

VISION IAS

- **बाजार की अक्षमताएँ:** शांता कुमार समिति के अनुसार, केवल 6% किसानों को MSP का लाभ मिलता है और शेष 94% बाजारों पर निर्भर हैं। इस प्रकार 50% लाभ के साथ किसानों द्वारा MSP में वृद्धि की मांग (जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित है), बाजार में अक्षमता की ओर इशारा करती है।

आगे की राह

- राज्यों को विनियमित वस्तुओं की APMC अनुसूची से फलों और सब्जियों को हटाने के लिए राजी करने के बाद अन्य वस्तुओं को भी हटाया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों को विशेष रूप से निजी क्षेत्र में वैकल्पिक या विशेष बाजारों हेतु नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए भी राजी किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार में अपने उत्पाद के लिए किसानों को अधिकतम संभव मूल्य प्राप्त हो सके।

9.7. एग्रीकल्चर स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केटिंग

(Agricultural Spot And Derivative Marketing)

बजट में, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के सहयोग से कृषि उत्पादों के लिए स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट को एकीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

महत्व

- **स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट का एकीकरण:**
  - **वस्तुओं की डीलिस्टिंग(delisting) को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त करेगा।**
  - **कृषकों को अपनी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में मदद** करेगा।

सम्बंधित जानकारी

- **स्पॉट मार्केट -** यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो निम्न सुविधा प्रदान करता है-
  - कृषि वस्तुओं, धातुओं और बुलियन जैसी विशिष्ट वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री।
  - यह **स्पॉट डिलिवरी कॉन्ट्रैक्ट** प्रदान करता है जो तत्काल या 11 दिनों के भीतर के अनुबंध होते हैं।
- **डेरिवेटिव मार्केट -** डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध हैं जो एक अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।
  - ये स्टॉक सूचकांक, वस्तुएं, मुद्राएं, विनिमय दरें या ब्याज दर हो सकती हैं।
  - ये अंतर्निहित परिसंपत्ति के भविष्य के मूल्य पर सट्टेबाजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

9.8 कृषि उत्पाद में *आप्शन ट्रेडिंग*

(Options Tradings in Agricultural Produce)

सेबी ने हाल ही में कृषि उत्पादों सहित चयनित वस्तुओं में *आप्शन ट्रेडिंग* में अनुमति दी है।

यह क्या है?

आप्शन, एक वित्तीय *डेरिवेटिव्स* है जिसमें एक पार्टी अपने अनुबंध को दुसरी पार्टी को बेचती है। इसके तहत बिक्री वाली पार्टी खरीदार को(दायित्व के रूप में नहीं)एक पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर अपनी सिक्यूरिटी को खरीदने या बेचने का अधिकार देती है।

अवलोकन

- सरकार द्वारा गेहूं, चावल और गन्ना के एक निश्चित मूल्य के निर्धारण से किसानों को सुरक्षा प्राप्त होगी और वे भविष्य में स्थिर मूल्य व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह किसानों को भविष्य में खरीद और बिक्री का अधिकार प्रदान करता हैं। हालाँकि यह बाध्यकारी नहीं है क्योंकि निर्णय निर्धारण के सम्बन्ध में छुट प्रदान की गयी है।

सम्बंधित चुनौतियां

इसके समक्ष चुनौती विद्यमान है कि अगर सट्टेबाज व्यापार पर हावी हो तो कीमतों पर विपरीत असर हो सकता है।

- वायदा कारोबार के पूर्व-अनुभव को देखते हुए, जहां कार्टलाइज़ेशन(स्वतंत्र उत्पादकों के समूह द्वारा कीमतों को बढाने के लिए आपूर्ति कम करना और कीमत तय करने जैसे उपायों का सहारा लेना) प्राइस-रिगिंग(कीमत बढ़ाना) के कारण सट्टेबाज़ी में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण सेबी को चने में नए अनुबंध पर तथा साथ ही कैस्टरसीड में कुछ चुने हुए अभिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं में ऑप्शन्स की शुरूआत का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी बारीकी से नज़र रखनी होगी।
- ऐसे किसान जो अधिकांशतः बिखरे हुए तथा असंगठित होते हैं तथा बहुत छोटे स्तर पर सीमित मात्र में उत्पादों को बेचते हैं उनके लिए ऑप्शनल ट्रेडिंग की बारीकियों में दक्षता प्राप्त करना कठिन होगा।

9.9. कृषि उत्पादों में व्यापार- वेयरहाउस रिसीट्स

(Trade in Agricultural Products-Warehouse Receipts)

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) जिंस बाज़ारों (कमोडिटी मार्केट्स) के लिए डीमैट सुविधा मुहैया कराने वाली देश की पहली सेवा है। यह मुख्य रूप से वेयरहाउस रिसीट्स (गोदाम रसीद) को डीमैट प्रारूप में उपलब्ध कराएगी। यह कृषि उत्पादों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड

- यह डिपॉजिटरी सेवा प्रदान करती है जहाँ प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। यह प्रतिभूति के लेन-देन को सक्षम बनाती है।
- CDSL की स्थापना का उद्देश्य सभी बाज़ार सहभागियों को वहनीय कीमत पर सुरक्षित डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करना था।
- इसे BSE लिमिटेड द्वारा प्रोत्साहित तथा भारत के प्रमुख बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- परम्परागत रूप से तरलता (liquidity), गुणवत्ता परीक्षण (testing) और डिलीवरी के आश्वासन की कमी ने छोटे किसानों और संस्थागत व्यापारियों को कमोडिटी बाज़ार से दूर रखा है।
- **CDSL तथा NCDEX को रिपोजिटरी लाइसेंस की अनुमति प्रदान करना** और **कमोडिटी ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में SEBI के प्रस्ताव** इस सन्दर्भ में सकारात्मक लक्षण हैं।
- वर्तमान में, एक किसान अपने उत्पाद को पहले एक प्रमाणित वेयरहाउस में ले जाता है और उसके उपरांत वह एक विशिष्ट पहचान (ISIN) वाली एक विनिमेय (negotiable) वेयरहाउस रिसीप्ट (रसीद) प्राप्त करता है।

विनिमेय वेयरहाउस रिसीप्ट (Negotiable Warehouse Receipt: NWR)

- वेयरहाउस रिसीप्ट वस्तुतः वेयरहाउस में जमा किये गए जिंसों के एवज में जमाकर्ताओं (जैसे:- किसान) को वेयरहाउस द्वारा जारी किये गए दस्तावेज होते हैं।
- ये गैर-विनिमेय (non-negotiable) या विनिमेय (negotiable) हो सकते हैं।
- विनिमेय वेयरहाउस रिसीप्ट वे रसीदें हैं जिन्हें सरल अनुमोदन या हस्ताक्षर द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। इसीलिए, इनसे कारोबार किया जा सकता है।
- इसे वेयरहाउसिंग एक्ट, 2007 में परिभाषित किया गया है।

महत्व

- यह किसानों को APMC बाज़ारों की तुलना में बेहतर कीमत प्रदान करता है।
- यह किसानों को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों और NBFCs जैसी ऋणदाता संस्थाओं के लिए सुरक्षित कोलैटेरल है।

- यह हेजर्स के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल बाज़ार उपलब्ध कराता है और अंतिम ग्राहक तक आपूर्ति के संबंध में आने वाले अवरोधों को कम करता है।
- यह कीमत वसूली से जुड़े उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

चुनौतियां

- भारत में अधिकतर खेतों के आकार काफी छोटे हैं। अतः कई बार इनके कुल उत्पाद भी एक्सचेंज में व्यापार योग्य नहीं होते हैं।
- वर्तमान में MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के बजाय बाज़ार मूल्य बन गया है जिसने किसानों को अपने सामानों को वेयरहाउस तक ले जाने के लिए हतोत्साहित किया है।
- सरकार द्वारा 2016 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (वायदा अनुबंधों) पर रोक तथा चना और कैस्टर के व्यापार पर आरोपित प्रतिबंधों ने बाजार में कारोबारियों के विश्वास और उत्साह को प्रभावित किया है जिसके कारण इस बाज़ार में निजी भागीदारी कम हो रही है।
- गैर प्रमाणित वेयरहाउस की अपेक्षा प्रमाणित वेयरहाउस में भंडारण लागत अधिक है।

आगे की राह

- फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जैसी पहल के माध्यम से किसानों के एक समुच्चय का निर्माण करना जो छोटे किसानों की भूमि सम्बंधित समस्या को समाप्त कर देगा।
- निजी कंपनियों को किसानों से सीधी खरीद के लिए प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न APMCs में खरीद और भुगतान के नियमों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है।
- MSP के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा खेत के स्थान और गुणवत्ता मानकों के आधार पर **मानक मूल्य समायोजन (SPA)** को भी लागू करना चाहिए।

9.10. किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

(Farmer Producer Organisations: FPOs)

हाल ही, में दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एक लॉबिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किसान उत्पादक संगठन (FPOs) को एक राष्ट्रीय स्तर के संघ बनाने के विचार पर चर्चा की गई।

FPO क्या है?

- उत्पादक संगठन (Producer Organisation: PO) प्राथमिक उत्पादकों अर्थात किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकर, ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों द्वारा गठित एक कानूनी संस्था/इकाई है।
- PO एक उत्पादक कंपनी, एक सहकारी समिति या कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती है जो अपने सदस्यों के बीच लाभ के बंटवारे की सुविधा प्रदान करती है।
- FPO, PO का ही एक प्रकार है जहां सदस्य किसान होते हैं।
- किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक है, समूहों का निर्माण कर सकते हैं तथा स्वयं को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कर सकते हैं।

FPO के उद्देश्य

- जोतों के विखंडन से लेकर ऋण, प्रौद्योगिकी, विस्तार सेवाओं तथा बाज़ारों तक अपर्याप्त पहुँच जैसी विभिन्न प्रकार की उन चुनौतियों का समाधान करना जिनका सामना छोटे और सीमांत किसान करते हैं।
- यह ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के समय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निभायी गयी भूमिका की तर्ज़ पर बनाया गया है जिसमें ड़ेयरी सहकारी समितियों का गांव से लेकर शीर्ष स्तर तक दिया गया सहयोग शामिल था।
- लघु स्तर के उत्पादकों विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों का समूहीकरण ताकि एक प्रभावी गठबंधन बनाया जा सके।

VISION IAS

- बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे आदानों (इनपुट) की आपूर्ति, मार्केट लिंकेज, प्रशिक्षण व नेटवर्किंग तथा वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श भी FPO की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं।

संलग्न संस्थान

- NABARD ने प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फण्ड (PODF) की शुरुआत की तथा SFAC, 2011 से लगभग 250 FPOs की स्थापना कर चुका है।
- उनके इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए, SFAC ने एक नयी केन्द्रीय योजना -"किसान उत्पादक कंपनियों के लिए इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कोष योजना "("Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme for Farmers Producer Companies") की शुरूआत की है।

वर्तमान स्थिति

- भारत में लगभग 3,000 FPOs या तो पंजीकृत किए जा चुके हैं या संघटन के उन्नत चरणों में हैं।
- NABARD ने अगले तीन वर्षों में लगभग 5000 अतिरिक्त FPOs को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भी अपने द्वारा वित्तपोषित अनेक कृषि से संबंधित परियोजनाओं में FPO के विकास को एक मानक विशिष्टता के रूप में शामिल किया है।

चुनौतियां

- एक FPO को आत्मनिर्भर होने में 4 से 5 वर्षों का समय लगता है।
- FPO की सर्वाधिक उपयुक्त संरचना के चयन के मामले में ज्यादा स्पष्टता नहीं है।
- किसान कंपनियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें कंपनियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।
- प्रभावशाली और बड़े किसान सहकारी समितियों में शामिल होने में रूचि रखते हैं। जबकि, FPO में अधिकांशतः छोटे और सीमान्त किसान सम्मिलित होते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के साथ उनकी संलग्नता कम है। RRBs के वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में व्यापक ग्रामीण नेटवर्क हैं।

आगे की राह

- उन्हें संगठित, संस्थानिक रूप से तत्काल क्रेडिट प्रदान करना।
  - विभिन्न गतिविधियों जैसे- थोक मात्रा में आगतों (इनपुट) की खरीद के लिए व्यापक प्रारंभिक वित्तपोषण प्रदान करना।
  - उचित ऋण उत्पादों को डिजाईन करना।
  - प्राथमिक क्षेत्रक ऋण के तहत मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण (Value Chain Financing) को प्रोत्साहित करना। यह नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।
  - गोदाम रसीद-आधारित ऋण और मूल्य जोखिम शमन।
  - SFAC या नाबार्ड की मदद से समर्पित एग्री बिजनेस बैंक (NBFC) की स्थापना।
- बैंकों द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के संबंध में RBI के दिशा-निर्देशों में FPOs का उल्लेख है। इसे FPO के स्वामित्व वाले "कृषि इनपुट की आपूर्ति, कृषि मशीनरी किराए पर लेने / संचालन, कृषि प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण और परिवहन इकाइयों" को एग्रीकल्चरल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में शामिल करने के लिए विस्तृत करने की आवश्यकता है।
- स्वयं सहायता समूह (SHGs) आंदोलन की ही तरह FPOs को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। SHGs इसलिए सशक्त हुए क्योंकि नाबार्ड ने सतत रूप से इस अवधारणा को पोषित किया और एक सहयोगी नीतिगत वातावरण बनाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय किया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक FPOs के वित्तपोषण में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। RRBs सीधे तौर पर नगदी ऋण सुविधा, किसानों को फसल ऋण, फसल उगाने और ऐसी ही अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए FIGs/SHGs को SHG ऋण जैसे ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स प्रदान कर सकते हैं।

VISION IAS

9.11. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

(Direct Benefit Transfer In Fertilizer Sector)

उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू करने के लिए 16 जिलों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

उर्वरक क्षेत्र DBT के लिए उपयुक्त क्यों है?

- **उर्वरक क्षेत्र में लगभग 40% का अत्यधिक लीकेज हैं। DBT सब्सिडी को कुशल और लक्षित बनाकर रिसाव की रोकथाम में मदद कर सकता है।**
- **उर्वरक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण** है। यह प्रशासकीय जटिलता को कम करता है।
- उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के लिए सरकार के पास एक रियल टाइम **फ़र्टिलाइज़र मॉनिटरिंग सिस्टम** है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि उर्वरक क्षेत्र DBT लागू करने के लिए अनुकूल है। इसके अंतर्गत
  - **DBT** नगद प्रदान किया जाएगा।
  - **बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक (BAPU)-** पहचान प्रमाणन के लिए आधार का उपयोग और शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सब्सिडी वाली वस्तुएं प्राप्त करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

- **DBT योजना 2013 में** निम्न उद्देश्यों से **प्रारंभ** की गई थी:
  - सूचना / निधि के सरल और तीव्र प्रवाह के लिए सरकारी वितरण प्रणाली को सुधारना।
  - दोहराव और धोखाधड़ी को रोककर लक्षित लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करना।
- **DBT कार्यक्रमों को लागू करने के लिए योजना आयोग के अंतर्गत DBT मिशन** का सृजन किया गया था।
- 2015 में, इसे कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय और PG) के तहत रखा गया था।
- JAM अर्थात् **जन धन, आधार और मोबाइल**, इन तीनों द्वारा DBT के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

उर्वरक क्षेत्र में DBT की विशिष्टता

- LPG में DBT के माध्यम से लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी की बजाय सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी।
- सब्सिडी, विभिन्न उर्वरकों के साथ-साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच भी भिन्न-भिन्न होती है।

उर्वरक क्षेत्र में DBT की चुनौतियां

- **उर्वरक सब्सिडी के संबंध में, लाभार्थी और उनकी पात्रता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं** है।
- यूरिया के मामले में, सब्सिडी इसकी MRP के दोगुने से अधिक है। चूंकि DBT के तहत सब्सिडी का अंतरण बाद में होगा। अतः खरीद के समय किसान को MRP और सब्सिडी के अग्रिम भुगतान का वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
- DBT से पहले, उर्वरकों के सब्सिडी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान ढांचा यूरिया के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

उर्वरक क्षेत्र में कुछ अन्य सुधार

- **नीम कोटेड यूरिया-** यह यूरिया के कृषि उपयोगों से विपथन को रोकता है और मृदा में नाइट्रोजन के निक्षालन को भी कम कर देता है।
- **गैस प्राइस पूलिंग-** इसके तहत, उर्वरक संयंत्रों हेतु एक समान दर रखने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत के साथ आयातित LNG की लागत का औसत निकाला या साझा (पूल) किया जाता है।

सुझाव

- **यूरिया आयात को डिकेनालाइज (decanalize) करना** और अधिक संख्या में एजेंसियों को यूरिया आयात की अनुमति देने से और उन्हें खरीद (प्रोक्योरमेंट) के निर्णय में अधिक स्वतंत्रता देने से मांग को समायोजित करने में लचीलापन (flexibility) आएगा।

VISION IAS

- यूरिया को लागत आधारित सब्सिडी के मौजूदा चलन की तुलना में **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (nutrient based subsidy)** के तहत लाना।
- उन स्थानों से लंबी अवधि की आपूर्ति सुरक्षित करना जहां ऊर्जा की कीमतें सस्ती हैं। उदाहरण के लिए, ईरान और ओमान से समझौता।

आगे की राह

- सरकार को उर्वरक क्षेत्र में DBT का विस्तार करने के लिए जन-धन योजना के माध्यम से बैंकिंग के सार्वभौमिकरण का, आधार के माध्यम से कुशल लक्ष्यीकरण और स्मार्टफोन्स के बढ़ते प्रसार का पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

9.12. पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करना

(Increase Oil Palm Production)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मन्त्रिमण्डल ने हाल ही में, भारत में पाम ऑयल क्षेत्र एवं इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए उपायों की स्वीकृति दी है।

आवश्यकता:

- देश में खाद्य तेल का कुल उत्पादन लगभग 9 लाख मीट्रिक टन है जबकि घरेलू आवश्यकता लगभग 25 लाख मीट्रिक टन है। इस अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है जिसका आयात मूल्य 2015-16 में लगभग 68,000 करोड़ रूपए था।
- निजी उद्यमियों को पाम ऑयल उत्पादन क्षेत्र में अपशिष्ट भूमि या बेकार भूमि को पट्टे/किराये पर दिया जा सकता है। हालांकि, NMOOP के अंतर्गत वित्तीय सहायता अधिकतम 25 हेक्टेयर तक ही उपलब्ध है।

पृष्ठभूमि :

- वनस्पति तेल के **आयात में पाम ऑयल का हिस्सा लगभग 70% है**। प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादकता के कारण सबसे सस्ते तेलों में एक है।
- मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड और कोलम्बिया पाम ऑयल के प्रमुख उत्पादक हैं।

प्रस्तावित परिवर्तन:

- मन्त्रिमण्डल ने NMOOP के अंतर्गत **25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सहायता के लिए भूमि की उच्चतम सीमा में ढील दी** है।
- **रोपण सामग्री, देखरेख, अंतर-फसल और बोर वेल** के लिए सहायता के मानदंडों में ढील दी गई है।
- राज्य की वार्षिक कार्य योजना को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन (NMOOP):

- इसका लक्ष्य 2016-17 के अंत तक पाम ऑयल की खेती के अंतर्गत 1.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाना है।
- तिलहन के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र में 26% से 38% तक वृद्धि करना।
- कम उपज देने वाली दलहन की फसलों से तिलहन फसल के क्षेत्र का विविधिकरण करना।
- तिलहनों का अंतर-फसल और बंजर भूमि का उपयोग पाम ऑयल के कृषि विस्तार हेतु करना।
- तिलहनों के संग्रह और खरीद में वृद्धि करना।

महत्व :

- निजी उद्यमियों और सहकारी संस्थाएं **पाम ऑयल कृषि के निवेश में रूचि दिखाएंगे** और 100 प्रतिशत FDI से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- इससे पाम ऑयल के उत्पादन के लिए **आर्द्र भूमि के उपयोग** में सहायता मिलेगी।
- लागत मानदंडों में संशोधन से **किसानों को** पाम ऑयल उत्पादन को अपनाने के लिए **प्रेरणा मिलेगी।**

चुनौतियाँ:

पाम ऑयल की मांग में वृद्धि होने से पाम ऑयल की कृषि के लिए स्थान सृजन हेतु उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ़ किया जा रहा है। इससे पारिस्थितिकी तन्त्र से प्राप्त सेवाओं के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है।

VISION IAS

9.13. किसानों की सहायता हेतु ई- प्रौद्योगिकी

(E-Technology in Aid of Farmers)

कृषि एक सूचना प्रधान क्षेत्र है जिसमें किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी तथा व्यापार तकनीकों से परिचित होना चाहिए। ICT अर्थात सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके प्रबंध में आने वाली चुनौतियों से निबटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

कृषि में ICT की संभावित भूमिका

- **सम्पूर्ण कृषि चक्र के दौरान सूचना का प्रसार** – प्रौद्योगिकी (जैसे उपग्रह संचार, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), कंप्यूटर नेटवर्क, वीडियो तथा मोबाइल फ़ोन) के द्वारा मौसम की स्थिति, मृदा के स्वास्थ्य, उर्वरक प्रयोग के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना। डीडी किसान चैनल का प्रारंभ इस दिशा में की गयी एक पहल है।
- **उत्पादन में वृद्धि–** उत्पादन में वृद्धि के लिए' प्रेसिजन फार्मिंग' जैसी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। कृषि का यह रूप कई विकसित देशों में प्रचलित है। इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का कुशल प्रयोग किया जाता है।
- **कृषि विपणन** – वस्तुओं की कीमतों, लागत तथा उपभोक्ता रुचियों अथवा प्रवृत्तियों से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के विषय में जागरूक रहने से किसानों के आजीविका साधनों को कुशल बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए ICT के कारण ही राष्ट्रीय कृषि बाज़ार संभव हो पाया है।
- **उत्पादकों को समूहीकृत(Collectivization)करने में सहायता -** ICT के माध्यम कृषकों से संबंधित संगठनो का विकास किया जा सकेगा। इसके साथ ही छोटी जोत के स्वामित्व जैसी समस्याओं से पार पाया जा सकेगा तथा इकॉनमीज़ ऑफ़ स्केल को प्राप्त किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए किसान उत्पादक संगठन।
- **बीमा: PMKSY** का लक्ष्य उपग्रह तथा ड्रोन की मदद से चित्र प्राप्त करके फसल को हुए नुकसान का मूल्यांकन तथा इस आधार पर उन्हें बीमा के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। इससे फसलों को हुए नुकसान का सही आंकलन तथा मुआवज़े में सुधार आयेगा।
- **रोज़गार के नए अवसर** – उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना बूथ। इससे प्रछन्न बेरोज़गारी में कमी आएगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गयी **राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (NeGP-A)** का लक्ष्य ICT सक्षम विविध डिलीवरी चैनलों जैसे इन्टरनेट, सरकारी दफ्तर, टच स्क्रीन बूथ, कृषि विज्ञान केंद्र, किसान कॉल सेंटर, कृषि-क्लिनिक, साझा सेवा केंद्र , मोबाइल फ़ोन (ब्रॉडकास्ट, IVRS, असंरचित सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा तथा आवाज पहचानने की तकनीक की मदद से संवादात्मक सन्देश भेजना) आदि के मध्यम से देश के किसानों को कृषि सम्बंधित सूचना को समय पर उपलब्ध करवाना तथा भारत की कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास करना है।

इस क्षेत्र में ICT की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने NeGP-A के तहत कई कदम उठाये हैं उनमें से कुछ प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं:

- **कृषि सेवाएं** जैसे कीटनाशक पंजीकरण, बीज के परीक्षण के परिणामों को वेब पर दिखाना, कीमतों तथा उपलब्धता का विवरण, जिला स्तर पर एग्रो-मेट सलाहकार, उर्वरक/बीज/ कीटनाशकों आदि के बारे में सूचना।
- **मोबाइल एप्लीकेशन** जो सूचना प्रदान करके जागरूकता बढायें। उदाहरण के लिए किसान सुविधा, पूषा कृषि, इंडिया वेदर इत्यादि।
- **वेब पोर्टल्स का विकास** – फार्मर्स पोर्टल जहाँ किसान विविध विषयों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ एम-किसान पोर्टल जिससे अधिकारी तथा सलाहकारों द्वारा किसानों को सीधे परामर्श दिया जा सकता है, फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में सूचना के लिए क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल।

VISION IAS

- **ई-मंडी:** इसे विशेषतौर पर छोटे तथा सीमान्त कृषकों के उत्पादों की सरकारी खरीद को आसान बनाने के लिए तथा उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- **भूमि के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण:** कई राज्यों ने अपने भूमि के रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है तथा यह राज्य मांग के आधार पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज डिजिटल रूप में (रिकार्ड्स ऑफ़ राइट्स) उपलब्ध करवा रहे हैं। इन राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड संबंधी डेटा को सार्वजनिक भी कर दिया है।

इस प्रकार ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने में ICT महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है किन्तु यह तभी हो सकता है जब मौजूदा रुकावटों को जल्द ही दूर किया जाये।

9.14. GM सरसों का वाणिज्यीकरण

(Commercialisation of GM Mustard)

जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी (Genetic Engineering Appraisal Committee: GEAC) ने कुछ शर्तों के अधीन 4 वर्षों के लिए GM सरसों के वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए एक सकारात्मक अनुशंसा दे दी है।

GEAC के बारे में

- यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoFCC) के अंतर्गत **एक सांविधिक निकाय है।**
- यह वातावरण में अनुवांशिक इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों को छोड़ने/मुक्त करने से सम्बंधित प्रस्तावों के अनुमोदन से सम्बंधित शीर्ष निकाय है।
- GEAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले RCGM (रिव्यु कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन) से अनुमोदन के बाद ही ट्रायल के लिए प्रस्तावों पर विचार करता है। RCGM वैज्ञानिकों से मिलकर बना एक निकाय है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने अब तक केवल एक गैर खाद्य फसल GM कपास, को अनुमति दी है। नीति आयोग ने हाल ही में, अपने तीन वर्षीय मसौदा कार्य योजना (three-year draft action plan) में GM खाद्य फसलों का भी समर्थन किया है।
- भारत आयातित खाद्य तेल पर लगभग 12 बिलियन डॉलर का व्यय करता है। जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ इस व्यय में भी वृद्धि होगी।
- 2010 में, GEAC ने बीटी बैंगन के वाणिज्यीकरण की भी मंजूरी दी थी। हालांकि, उसके बाद व्यापक विरोध के चलते पर्यावरण मंत्री ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस सन्दर्भ में एक मामला लंबित है।

GM सरसों के पक्ष में तर्क

- **श्रेष्ठतर फसलें** - ये फसलें बेहतर उपज देती हैं और कीट एवं रोग प्रतिरोधी होती हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भविष्य में इनकी आवश्यकता होगी।
- **जैव-प्रौद्योगिकी में उन्नति** - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश और विकास GM फसलों पर ही केन्द्रित है।
- **स्वदेशी जीएम** - मोंसैंटो के बीटी कपास के विपरीत GM सरसों सार्वजनिक क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय-आधारित **सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ़ क्रॉप प्लांट्स** के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- **जीएम तेल का आयात** - भारत हज़ारों टन खाद्य तेल का (तथा अन्य जीएम खाद्य पदार्थों का) आयात करता है जिसके संबंध में अभी तक आनुवंशिक बदलावों के कारण किसी भी प्रकार के स्वास्थ सम्बन्धी दुष्प्रभाव या मृत्यु के मामले सामने नहीं आये हैं।

GM सरसों के विपक्ष में तर्क

'सरसों सत्याग्रह', जो कि किसानों, उपभोक्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैंकड़ों संगठनों का एक व्यापक प्लेटफार्म है तथा अन्य ऐसे संगठनों ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की हैं:

VISION IAS

- **शामिल जोखिम** - GEAC ने नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में अवैज्ञानिक रवैया प्रदर्शित किया है तथा GMOs के जोखिम/खतरों से नागरिकों की रक्षा के अपने अधिदेश को पूरा करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं है कि GEAC में कोई कृषि विशेषज्ञ या किसानों का प्रतिनिधि शामिल है या नहीं।
- **खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव** - जीएम सरसों का प्रयोग हमारे खेतों और भोजन में रसायनों को बढ़ा देगा।
- **रोजगार का नुकसान** - यहाँ तक कि जीएम सरसों को 25% तक अपनाने से भी सरसों पैदा करने वाले क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ से अधिक रोज़गार दिवसों का नुकसान होगा।
- **पारदर्शिता की कमी** - विविध क्षेत्रों में अभी भी अस्पष्टता विद्यमान है जैसे कि, मानव स्वास्थ्य, खाद्य श्रृंखला, सहयोगी क्षेत्रों (मधुमक्खी पालक, फलोद्यान एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एवं वैद्य) आदि पर पड़ने वाले GM फूड्स के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है ।
- **यह स्वदेशी प्रजाति नहीं** है - यह "स्वदेशी जीएम" नहीं है क्योंकि प्रयुक्त जीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति हैं जो उस पर अपना नियंत्रण पाना चाहती हैं।
- **एकाधिकार और उपज हानि** - इससे किसानों को उपज हानि होगी क्योंकि किसानों को खेती से बचाए गए बीजों के स्थान पर प्रत्येक मौसम में नए बीज खरीदने होंगे जिससे उनकी स्वतंत्रता, फसल विविधता और लाभदेयता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- कृषि के राज्य सूची का विषय होने के कारण इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श।
- सभी हितधारकों की शिकायतों का निवारण - GM सरसों को अनुमति प्रदान करने से पूर्व सुरक्षा दस्तावेजों को ऑनलाइन करते हुए तथा प्राप्त सभी टिप्पणियों में व्यक्त चिंताओं को संबोधित करते हुए किसानों और जनता की सभी शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
- **कानूनी उपाय** - इसमें एक जवाबदेही उपबंध (liability clause) होना चाहिए अर्थात यदि कुछ गलत होता है तो अमेरिकी कानून के समान जवाबदेही को क़ानूनी रूप से तय किया जाना चाहिए। यदि जीएम तकनीक की फसल, नियमित किस्मों को प्रभावित करती है तो इस सन्दर्भ में जवाबदेही काफी अधिक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बीटी कपास पर पिंक बॉलवर्म पेस्ट (pink bollworm) के हमले के मामले में जो गैर-जवाबदेही दिखाई दी, वह दूसरी जीएम फसलों के मामले में दोबारा न हो।

VISION IAS

10. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

(FOOD PROCESSING SECTOR)

10.1. पृष्ठभूमि

2015-16 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% का योगदान दिया। इसी वर्ष इसके कारण कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान 10.12% रहा एवं इसका विनिर्माण क्षेत्र का GDP में 9% का योगदान रहा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत पारंपरिक कृषि आधारित उद्योग जैसे: चावल और आटा मिलों से लेकर चाय एवं कॉफी से डेयरी उद्योग के प्रसंस्करण तक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2015-16 में औपचारिक क्षेत्र के कुल रोजगारों में 11.95% का योगदान इसी क्षेत्र का रहा।

यह क्षेत्र खाद्य अपव्यय को कम करने, रोजगार सृजन और निर्यातों से आय अर्जित करने आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान करता है। हालाँकि यह क्षेत्र वृद्धि और उत्पादकता से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। *वर्ल्ड बैंक एंटरप्राइज सर्वे* के अनुसार, 2014 में चीन में कृषि व्यवसाय में प्रति श्रमिक मूल्य संवर्धन की दर भारत की तुलना में चार गुनी रही है। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) की वित्तीय सुविधाओं तक आसान पहुंच नहीं है। गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे, जिसके अंतर्गत कोल्ड स्टोर, शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तुओं के लिए भण्डारण सुविधाए, वितरण नेटवर्क और परिवहन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं; के अभाव के कारण उत्पादों की लागत में वृद्धि हो जाती है तथा प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही, कृषि जोतों का छोटा आकार, बाजार पहुंच का अभाव, कीमतों से संबंधित अनिश्चितता, कच्चे माल की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा सीमित कुशल मानव संसाधन जैसे कारक इस क्षेत्र के विकास के समक्ष एक चुनौती बने हुए है।

10.2. सम्पदा योजना

(Sampada Scheme)

सरकार ने 2016-20 की अवधि के लिए **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** की योजनाओं को एक **नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना- सम्पदा (SAMPADA: स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स)** के अंतर्गत पुनर्संरचित करने की मंजूरी दे दी है।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017(Draft National Food Processing Policy 2017)

- यह संधारणीय पर्यावरणीय तरीकों को अपनाने पर जोर देती है, जैसे जैव कचरे से ऊर्जा उत्पादन करना।
- यह नीति उत्पादों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए FSSAI एक्ट, 2006 के अनुपालन का सुझाव देती है और स्व-विनियमन का प्रस्ताव रखती है।
- **प्रशासनिक समस्याएँ-**
  - प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी मामलों के प्रबंध के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
  - राज्यों को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की सुविधा के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहिए।
- **अवसंरचनात्मक विकास -**
  - यह नीति खाद्य प्रसंस्करण में इकॉनोमी ऑफ स्केल के लाभों का दोहन करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण के अनुपालन की अनुशंसा करती है।
  - राज्यों को सभी कच्चे माल, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों, की प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा देने के लिए eNAM प्लेटफ़ॉर्म में पंजीकरण कराना चाहिए।
  - उद्यमों को बड़ी इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि की खरीद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भूमि पट्टा अधिनियम पर सीलिंग को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा इसे समाप्त कर देना चाहिए।
  - मेगा फूड पार्कों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए।
  - बारकोडिंग, **RFID टैग्स** जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन किया जाना चाहिए।

VISION IAS

इसका एक उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करके, इन्क्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देकर तथा प्रत्येक राज्य में कौशल केंद्रों की स्थापना आदि के माध्यम से इस क्षेत्रक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है।

आवश्यकता

- वैश्विक स्तर पर कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में खाद्य उत्पादों के अधिक उत्पादन के बावजूद, उपज की हानि चिंता का प्रमुख विषय है।
- भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की तुलना में प्रसंस्करण का स्तर 10% से भी कम है।
- एक सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अपव्यय में कमी, मूल्य वृद्धि में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर रिटर्न, रोजगार को बढ़ावा और निर्यात आय में बढ़ोतरी में सहायता प्रदान की जाती है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015-16 के दौरान, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक का योगदान का क्रमशः 9.1 और 8.6 प्रतिशत रहा है।
- भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में सरकार ने ई-कॉमर्स सहित व्यापार में 100% FDI (ऑटोमैटिक रूट) की अनुमति दी है।
- सरकार ने विनिर्दिष्ट (designated) फ़ूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को रियायती दर पर सस्ते ऋण देने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना की है।
- खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के दायरे के अंतर्गत लाया गया है।

प्रावधान :

- इस योजना का उद्देश्य कृषि को सहायता, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि-अपशिष्टों में कमी लाना है।
- यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है।
  - मेगा फ़ूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा फ़ूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पूर्व की योजनाएं
  - इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज, क्रिएशन ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड प्रिज़र्वेशन कैपेसिटीज़ जैसी नई योजनाएं।
- भारत में *इंटीग्रेटेड इरेडीएशन सेंटर* की स्थापना हेतु परस्पर सहयोग के लिए भारत और रूस आपस में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।
- भारत में अनाज, फलों और सब्जियों से संबंधित क्षेत्रों में *पोस्ट-हार्वेस्टिंग* घाटा बहुत अधिक है। यह लगभग 40-50% के बराबर है।
- *एग्रो-इरेडीएशन सेंटर* वे हैं जहां खाद्य पदार्थों को रोगाणुओं और कीटों से बचाने के लिए निम्न विकिरण क्षेत्र में रखा जाता है। इस प्रकार उनकी दीर्घ आयु और शैल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है।

महत्त्व

- विभिन्न योजनाओं का **समन्वयन कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन** में सहायता प्रदान करेगा।
- यह योजना **उपज के बाद हुए नुकसान को कम करने** में भी मदद करेगी।
- प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इंकम) के बढ़ने से, यह योजना खाद्य तेलों, जूस आदि जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को पूरा करने में मदद करेगी।
- अन्य उद्योगों की तुलना में खाद्य उद्योग में कारखाने एवं इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। यह योजना **रोजगार की संभावनाओं को** बढ़ावा देगी।
- **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ संतुलित पोषक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता** में वृद्धि कर कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

VISION IAS

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित अन्य योजनाएँ

मेगा फ़ूड पार्क स्कीम

- इस योजना का उद्देश्य '*हब एंड स्पोक्स मॉडल*' के द्वारा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
- इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (PPCs) एवं संग्रह केंद्रों (CCs) और सामान्य सुविधाओं के रूप में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसके साथ ही इसमें केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों (CPC) पर सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना शामिल है।

इंटीग्रेटेड कोल्ड चैन एंड वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर

- यह केंद्र सरकार की एक योजना है।
- प्रत्येक परियोजना को अधिकतम 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा देश में खाद्य परीक्षण से संबंधित बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए एक योजना तैयार की गई है।

- इस योजना के अंतर्गत, 45 राज्य/ संघ शासित प्रदेशों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक तथा बड़े राज्यों में दो प्रयोगशालाएं) और 14 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि उन्हें *नेशनल अक्रेडटैशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज* (NABL) की मान्यता प्राप्त हो सके।
- *मोबाइल टेस्टिंग लैब्स* - सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में इस प्रकार की 62 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएंगी।
- *स्कूल फ़ूड एंड हाइजीन प्रोग्राम* - सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के 1500 स्कूलों/कॉलेजों में मूलभूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

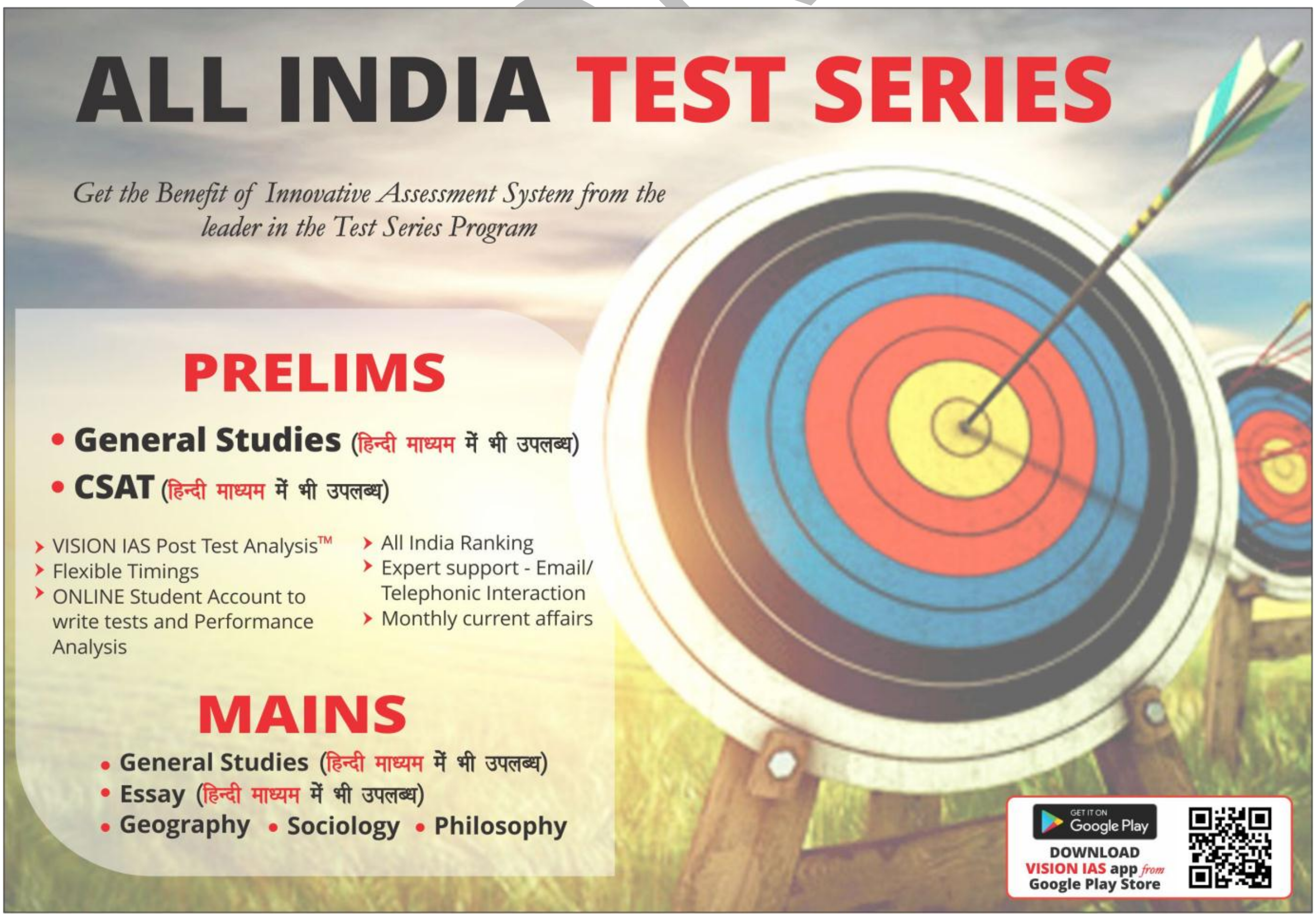

11. मत्स्य क्षेत्र

(FISHERIES SECTOR)

11.1. राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति 2017

(National Policy on Marine Fisheries 2017)

हाल ही में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति लांच की।

पृष्ठभूमि

- भारत विश्व में मछली का **दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वैश्विक मछली उत्पादन में 5.43% योगदान देता है।
- भारत जलीय कृषि के माध्यम से मछली का प्रमुख उत्पादक है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
- स्वतंत्रता के पश्चात **मत्स्य उत्पादन वर्ष 1950-51 के 7.5 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 100.70 लाख टन हो गया है।**
- समुद्री मत्स्यन विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता खाद्य उत्पादक क्षेत्र है। इसमें भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने की काफी संभावनाएं हैं, विशेषकर विशाल जनसंख्या की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करने की।
- 2015 में **डीप सी फिशिंग पर बी. मीनाकुमारी की रिपोर्ट** के बाद, सरकार ने 2004 की मौजूदा समुद्री मत्स्य पालन नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया था।
- सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित दृष्टिकोण के आधार पर 'ब्लू रिवोल्यूशन' नामक एक कार्यक्रम की परिकल्पना की है।
- सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन को 2014-15 में 10.79 मिलियन मीट्रिक टन से 2020-21 तक 15 MMT तक बढ़ाने के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गयी है।
- परिकल्पित कार्यक्रम के घटक:-
  - उत्पादन उन्मुख गतिविधियों के माध्यम से उत्पादकता में बढ़ोत्तरी प्राप्त की जा सकेगी जैसे कि:
    - मछली के गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन;
    - लागत प्रभावी भोजन और प्रौद्योगिकी को अपनाना;
    - उच्च उपज वाले ब्रूडर्स (उत्पादन गृहों) का उपयोग;
  - इसके तहत फिश फिन्गर्लिंग (उंगली के आकार की मछलियों) के लिए एक उप-मिशन होगा तथा 520 करोड़ रूपये की लागत से हेचरीज और फिन्गर्लिंग पालन के तालाब स्थापित किये जायेंगे।

मत्स्य पालन की शाखाएँ

- **समुद्री मत्स्य पालन** - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समुद्री मछलियाँ और अन्य समुद्री उत्पाद आते हैं।
  - जैसे- ऑयल सारडाइन, मैकेरल, बॉम्बे डक्स, ट्यूना और झींगा, कैटफ़िश, पोलिनोमिड, पोम्फ्रेट्स, केंकड़े, ओएस्टर्स तथा समुद्री शैवाल।
- **अंतर्देशीय मत्स्य पालन** - अंतर्देशीय मत्स्य पालन में **ताजे पानी और खारे पानी के मत्स्य पालन** दोनों शामिल हैं। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ताजे पानी के मत्स्य संसाधन कार्प्स, म्यूलेट्स, चानोस और झींगा हैं। कुछ स्थानों पर पश्चजल मत्स्य पालन में श्रिम्प भी शामिल हैं।

'नीली क्रांति (ब्लू रिवोल्यूशन)'

- तकनीकी अर्थ में, ब्लू रिवोल्यूशन से आशय मत्स्य पालन के एकीकृत विकास और प्रबंधन से है।
- व्यापक अर्थ में, ब्लू रिवोल्यूशन में अब तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास तथा आजीविका का सृजन करना भी शामिल माना जाता है।

सजावटी मत्स्य पालन (Ornamental Fisheries) पर पायलट प्रोजेक्ट

- यह रंगीन मछलियों के प्रजनन और उनके पालन से सम्बंधित मत्स्य पालन का एक उप-क्षेत्र है। इसमें मीठे पानी और समुद्री जल दोनों में पायी जाने वाली मछलियाँ शामिल हैं।
- इनका उपयोग एक्वेरियम जैसी सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुओं में होता है।
- पायलट प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ सजावटी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
  - सजावटी मत्स्य पालन के व्यापार और निर्यात का संवर्धन।
  - ग्रामीण और पेरि-अर्बन (अर्द्धशहरी) क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
  - आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रयोग।

नीति के बारे में

- **नीति का उद्देश्य** संधारणीय उत्पादन के जरिए भारत के EEZ (Exclusive Economic Zone- अनन्य आर्थिक क्षेत्र) के समुद्री जीवित संसाधनों का स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना है।
- **समग्र रणनीति सात स्तंभों पर आधारित होगी**, अर्थात् संधारणीय विकास, मछुआरों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अनुषांगिकता (*सब्सिडीएरिटी*) का सिद्धांत, साझेदारी, अंतर-पीढ़ीगत समता, लैंगिक न्याय और निवारक दृष्टिकोण।
- यह नीति मत्स्य पालन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन का जिम्मेदारीपूर्ण निर्वाह करने वाले तौर तरीकों के पालन के लिए FAO (खाद्य एवं कृषि संगठन) की आचार संहिता के अनुरूप होगी।
- **नीति के कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-**
  - निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण (दुर्घटनाओं और अतिक्रमण को रोकने के लिए)
    - बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए, मछुआरों और उनके मछली पकड़ने के जहाजों के लिए चिप आधारित स्मार्ट पंजीकरण कार्ड जारी किए जाएँगे।
    - अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने से बचने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाएगी।
  - **मत्स्य पालन प्रबंधन पर एकीकृत दृष्टिकोण -**
    - संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए **स्थानिक और अस्थायी उपाय** के साथ **प्रजाति-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट** प्रबंधन योजनाएँ।
    - पारिस्थितिकी और जैविक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों (EBSAs), सुभेद्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र (VME) और *इन्डैन्जर्ड* प्रजातियों आदि का संरक्षण।
    - यह **परंपरागत ज्ञान और वैज्ञानिक व्यवसाय सिद्धांतों का मिश्रण** होगा।
    - मछली पकड़ने वाले समुदाय की क्षमताओं में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग। उदाहरण के लिए- मौसम का अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग करना।
    - **मत्स्य पालन के लिए पारंपरिक उपयोग अधिकार** (उन क्षेत्रों में जहां यांत्रिक मत्स्यन निषिद्ध है और छोटे मछुआरों को अनुमति प्राप्त है) जारी रहेंगे।
    - सरकार पारंपरिक मछुआरों को कौशल प्रदान करने के लिए भी योजनाएँ प्रारंभ करेगी।
  - **व्यावसायिक मत्स्य पालन -**
    - **मत्स्यिकी डेटा एवं अनुसंधान** - सरकार सभी हितधारकों के साथ एक **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन डेटा अधिग्रहण योजना** को लागू करेगी।
    - **मैरीकल्चर**- सरकार *मैरीकल्चर फार्म/पार्क* स्थापित करने और क्षेत्र के विकास के लिए बीज की आपूर्ति हेतु *हैचरीज* (hatcheries) की स्थापना के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी। *पोस्ट-हार्वेस्ट* नुकसान को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - **द्वीप मत्स्यन** - भारत के द्वीपों का ट्यूना, स्नैपर, ग्रुपर्स आदि जैसे आकर्षक और वाणिज्यिक मूल्य वाले मत्स्य पालन के लिए दोहन किया जाएगा। क्रिल मत्स्यन को राष्ट्रीय न्यायक्षेत्र से बाहर अवस्थित क्षेत्रों (Areas Beyond National Jurisdiction - ABNJ) में भी बढ़ावा दिया जाएगा।

VISION IAS

- **मत्स्य व्यवसाय** - सरकार व्यापार बाजार में विविधता लाने, FSSAI मानकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ सुसंगत करने, बिचौलियों के प्रभाव को कम करने और मछलियों की *ईकोलेबलिंग* पर ध्यान देगी।
- समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए उद्यमशीलता विकास, निजी निवेश, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **नाबार्ड** की मदद से सरकार मछुआरों को संस्थागत ऋण प्रदान करेगी।

○ **समुद्री पर्यावरण और मत्स्य पालन -**

- मौजूदा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) की समीक्षा एवं समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- यह नीति पारंपरिक मछुआरों के पट्टा अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करेगी ताकि उनकी आजीविका संरक्षण उपायों से प्रभावित न हो।

गहन समुद्री मत्स्यन (डीप सी फिशिंग) पर बी मीना कुमारी समिति

- केंद्र से "अनुमति पत्र" प्राप्त करके 15 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले जहाजों के लिए क्षेत्रीय जल से परे 22 किमी से 370 किमी के बीच EEZ में मछली पकड़ने की अनुमति प्रदान करती है।
- इन जहाजों का भारतीय उद्यमियों द्वारा या 49% विदेशी निवेश के साथ संयुक्त उपक्रमों द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहण किया जा सकता है।
- तट के किनारे *नियर शोर* (near-shore) और *ऑफ शोर* (offshore) (अपतटीय) क्षेत्रों के बीच (200 मीटर और 500 मीटर गहराई के बीच के जल में) **बफर ज़ोन** का निर्माण और इस क्षेत्र में मत्स्यन का विनियमन ताकि तट के निकट क्षेत्रों के साथ-साथ EEZ के गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

महत्व

- निगरानी और पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय मत्स्यन बेड़ा **'अवैध, असूचित एवं अनियमित' (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) मत्स्यन** में संलिप्त न हो।
- मत्स्य पालन के महिला प्रधान *पोस्ट-हार्वेस्ट* क्षेत्रक में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यदि नीति को अच्छी तरह से लागू किया गया तो यह सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित **सतत विकास लक्ष्य 14 (SDG-14)** को बढ़ावा देगी।
- यह हमारी अर्थव्यवस्था के **प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा** देने और इसकी विकास दर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी।

चुनौतियाँ

- नीति अनुमति पत्र योजना को समाप्त करने की सलाह देती है। यह इस प्रकार गहन समुद्री मत्स्यन में निजी निवेश को बढ़ावा देती है (बी. मीनाकुमारी समिति द्वारा अनुशंसित)। इससे छोटे एवं पारंपरिक मछुआरा समुदाय के लिए संकट पैदा हो सकता है।
- राज्यों की कुछ सिफारिशों जैसे कि एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय, राज्यों की प्रादेशिक सीमा का विस्तार आदि को इस नीति में समाहित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- हाल ही में सरकार ने सभी मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक अम्ब्रेला योजना ***'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'*** तैयार की है। यह अम्ब्रेला योजना अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल कृषि *(एक्वाकल्चर)* और समुद्री मत्स्य पालन को कवर करती है। इसमें गहन समुद्री मत्स्यन, *मैरीकल्चर* और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित की जाने वाली सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस नीति को इस योजना के अनुरूप सुसंगत बनाना चाहिए।

11.2. भारत ने विश्व व्यापार संगठन को मत्स्य सब्सिडी प्रतिवेदन प्रदान किया

(India Reports Fishery Subsidies to WTO)

भारत ने मछुआरों को प्रदान की गयी सब्सिडी के बारे में विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (UNFAO) के 'विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति' के अनुसार, लगभग एक तिहाई वाणिज्यिक मछली भंडार को जैविक रूप से अरक्षनीय स्तरों पर निकाला जाता है।

- अतः अवैध, अनियंत्रित तथा असूचित (Illegal, unregulated, and unreported: IUU) मत्स्यन हेतु दी जाने वाली सब्सिडी पर अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों के समूह ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
- विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा 2014-15 के दौरान प्रदान किए गए 284 करोड़ रूपए मूल्य एवं अधिक की सब्सिडी आंकड़ों को दायर करने के लिए बाध्य किया गया। तमिलनाडु में 169 करोड़ रूपए की उच्चतम सब्सिडी (जिनमें से 148 करोड़ रूपए ईंधन श्रेणी में है) प्रदान की गयी थी।

सब्सिडी की आवश्यकता

- पारंपरिक और गरीब मछुआरे समुदाय की रक्षा और उनके आजीविका को सुरक्षित करने हेतु।
- वैसे मछुआरों को सब्सिडी प्रदान की जाती हैं जो या तो बेघर हैं या गरीब नाव मालिक हैं, या जिनके पास पंजीकृत नौका है और मछुआरों की सहकारी समिति के सदस्य हो। इस तरह से सब्सिडी महत्वपूर्ण घटकों के लिए दिए जाते हैं जैसेकि:
    - ईंधन, भीतरी मशीनों की खरीद, जाल, सहायक सामग्री, जीवन रक्षक जैकेटो की खरीद आदि
    - चक्रवात / दुर्घटना / आपदाओं आदि के कारण दुर्घटना से मछुआरों को बीमा कवर,

भारत का रुख

- IUU मत्स्यन के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध के कारण वैसे मत्स्यन पर भी निषेध लगा सकता है जो गैर-IUU कहे जा सकते हैं।
- परिणामस्वरूप यह गरीब और विकासशील देशों में लाखों निर्वाह मछुआरों के हितों को क्षति पहुँचा सकता है।

आगे की राह

- संयुक्त राज्य अमेरिका भी मत्स्यन उद्योग सहित कई क्षेत्रों को निश्चित सब्सिडी प्रदान करता है जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इसमें सभी सब्सिडी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, वर्तमान में IUU मत्स्यन किससे मिलकर संगठित होता है, इसको लेकर विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच मतैक्य नहीं है। सदस्यों को एकमत प्राप्त करना चाहिए।
- विकसित देशों के हितों से सम्बंधित महत्वपूर्ण विषयों को तथा मत्स्य पालन सब्सिडी से सम्बंधित वार्ता को प्राथमिकता दिए जाने पर विराम लगा दिया जाना चाहिए।

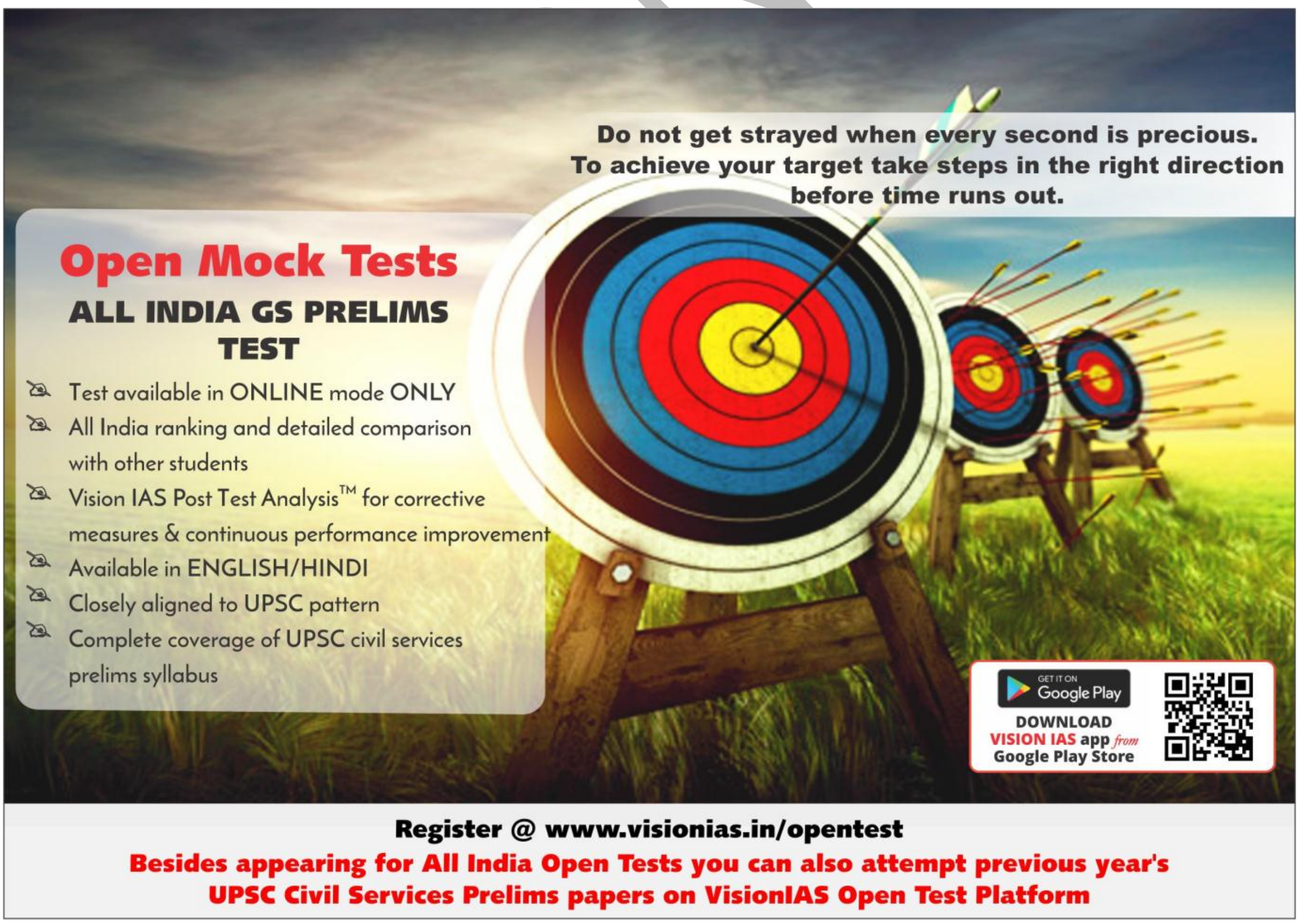

12. औद्योगिक नीति एवं सम्बंधित मुद्दे

(INDUSTRIAL POLICY AND ASSOCIATED ISSUES)

12.1. घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति

Domestically Manufactured Iron And Steel Products Policy

सरकार ने हाल ही में सरकारी खरीद में **घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता** देने की नीति को मंजूरी दी है।

आवश्यकता

- यह नीति **प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण** को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ **घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित** करना है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

- नीति में 2030-31 तक लगभग 300 मीट्रिक टन कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के समान है।
- पहले की नीतियों से अलग इस नीति में न केवल 160 किलो प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अपितु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नीति में नए उत्पादों का उत्पादन तथा प्रमुख कच्चे माल तक पहुँच जैसे मुद्दों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

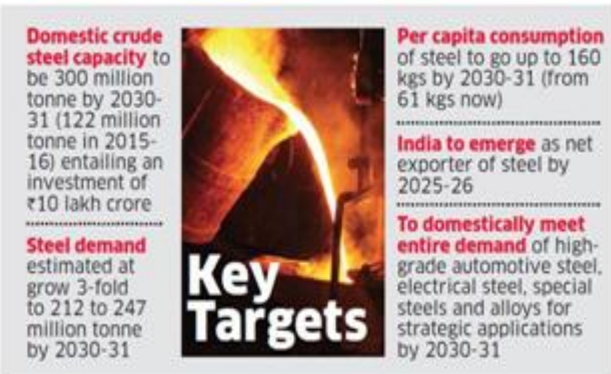

- भारत वर्तमान में अपनी कोकिंग कोल आवश्यकता के करीब 70 फीसदी का आयात करता है। इस नीति का उद्देश्य 2030-31 तक कोकिंग कोल से संबंधित आयात निर्भरता को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए वाश्ड (washed) कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना है।
- किफायती आवास, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, घरेलू जहाज निर्माण उद्योग का विकास, रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्रक में होने वाली वृद्धि से इस्पात की मांग में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।
- 2030-31 तक इस्पात का प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तर, वर्तमान के 60 किलो से बढ़कर लगभग 160 किलो तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

विशेषताएँ

- यह नीति उन सभी सरकारी निविदाओं पर लागू होनी है जिनके लिए बोली मूल्य (प्राइस बिड) घोषित नहीं किया गया है।
- यह प्रिफरेंशियल प्रोक्योरमेंट में शामिल अधिसूचित इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम 15% मूल्य संवर्धन का प्रावधान करती है।
- लचीलापन प्रदान करने के लिए, **इस्पात मंत्रालय निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों तथा न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंडों की समीक्षा** कर सकता है।
- प्रत्येक घरेलू निर्माता सरकारी खरीद एजेंसी को लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू स्तर पर निर्मित होने का स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेगा।
- सामान्यतः दावे की यथार्थता को सत्यापित करना, खरीद एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। हालाँकि कुछ मामलों में जब सत्यता को प्रमाणित करने की लिए कहा जाये तो इसका दायित्व बोली लगानेवाले (बिडर) का होगा।
- यदि किसी निर्माता को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इस्पात मंत्रालय के तहत स्थापित शिकायत निवारण समिति, समयबद्ध तरीके से चार सप्ताह में शिकायत का निपटारा करेगी।

भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग

(Iron and Steel Industry of India)

- भारत, चीन और जापान के बाद विश्व में पूर्णतया निर्मित इस्पात (finished steel) का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में इस्पात क्षेत्र का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक है और यह GDP में 2 फीसदी का योगदान देता है।
- इस क्षेत्र में 6.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 13 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारत एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने 2015 में इस्पात क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक आगतों (इनपुट्स) के तहत श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल शामिल हैं।
- भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं।
- कर्नाटक में भद्रावती और विजय नगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम, तमिलनाडु में सलेम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाले अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं।

- नीति में ऐसे सभी मामलों में छूट दिए जाने का प्रावधान है जहाँ किसी विशिष्ट ग्रेड का इस्पात देश में निर्मित नहीं होता है या परियोजना की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा घरेलू स्रोतों के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती।
- नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकारी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

महत्व

- यह नीति मेक इन इंडिया स्कीम के तहत **घरेलू इस्पात उद्योग के विकास** को बढ़ावा देगी और भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में योगदान करेगी।
- यह सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में **निम्न स्तर के सस्ते आयातित इस्पात का उपयोग करने संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन** लाएगी।
- यह भारत में अतिरिक्त घरेलू क्षमता के साथ स्टील की डंपिंग को रोकने में मदद करेगी और इससे कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आएगी।

घरेलू इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी कदम

- इस्पात की मांग और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, **इंस्टीट्यूशन फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (INSDAG)** नामक संस्था की स्थापना की गई है जिसमें देश के अग्रणी इस्पात उत्पादक शामिल हैं
- मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय ने 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत संयुक्त रूप से 'MSTC मेटल मंडी' नामक ई-प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ये पूर्णतया निर्मित और अर्द्ध-निर्मित इस्पात उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा।
- 'डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर आयरन एंड स्टील' के द्वारा **नेशनल कैंपेन फॉर इन्क्रीजिंग डिमांड फॉर स्टील इन नॉन-ट्रेडीशनल सेक्टर** लांच किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से विनिर्माण, ग्रामीण तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों पर केन्द्रित है।

इस्पात उद्योग की समस्याएँ

- घरेलू मांग की कमी के कारण इस्पात कंपनियां बड़े स्तर पर कर्ज से ग्रस्त हैं।
- धातु शोधन सम्बन्धी (metallurgical) कोक की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस लौह निर्माण में कोक को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कोयले के कार्बनीकरण के माध्यम से निर्मित किया जाता है।
- उच्च निवेश लागत।
- चीन, कोरिया और अन्य देशों से सस्ता आयात भी घरेलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है।

12.2. राष्ट्रीय पूँजीगत वस्तु नीति, 2016

(National Capital Goods Policy, 2016)

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को अक्सर "सभी विनिर्माण उद्योगों की जननी (mother of all manufacturing industry)" कहा जाता है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र कुल विनिर्माण का 12% है। यह 14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 70 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार प्रदान करता है।

VISION IAS

लक्ष्य

- सभी उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में सुधार, कुशल श्रम की उपलब्धता तथा MSME की क्षमता निर्माण तथा वृद्धि सुनिश्चित करना।
- 2025 तक कुल विनिर्माण गतिविधि में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का योगदान वर्तमान 12% से 20% तक बढ़ाना।
- **पूंजीगत वस्तु:** कोई भी वस्तु (संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण) जिसका प्रयोग अन्य उत्पादों के निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- इस नीति को सुदृढ़ करने हेतु अन्य सरकार के द्वारा अन्य प्रयास किये जाएंगे।
- सभी उप-क्षेत्रों में एकसमान वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू करके **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए इको-सिस्टम का निर्माण करना**।
- पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए निर्धारित प्राथमिक अर्हता मानदंडों के पुनरीक्षण के माध्यम से पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए बाज़ार सृजित करना तथा उसका विस्तार करना।
- भारी उद्योग निर्यात तथा बाज़ार विकास सहायता योजना (Heavy Industry Export & Market Development Assistance Scheme - HIEMDA) के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन।
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क तथा टेक्नोलॉजी एक्वीजीशन फण्ड प्रोग्राम के द्वारा प्रौद्योगिकी तथा IPR को प्रोत्साहन।
- भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग का स्पष्ट उद्देश्य उत्पादन को वित्त वर्ष 2014-15 में 35 अरब अमेरिकी डॉलर से बढाकर 2025 तक 115 अरब अमेरिकी डॉलर करना है।.
- इस एजेंडा के तहत इस क्षेत्र में हो रहे कुल उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढाकर 40% तक करने की भी संकल्पना निहित है। इस नीति में भारत में पूंजीगत वस्तुओं की मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादन की भागीदारी को 60% से बढाकर 80% करने पर भी जोर दिया गया है। इन प्रयासों के माध्यम से देश पूंजीगत वस्तुओं का निर्यातक बन सकेगा।

12.3. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति मसौदा

(Draft National Policy On Software Products)

सरकार ने सार्वजनिक परामर्श हेतु राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति का मसौदा जारी किया है।

नए सॉफ्टवेयर नीति की आवश्यकता

- 1986 में पहली सॉफ्टवेयर नीति आई थी। 1991 की **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP)** योजना इसी नीति का परिणाम थी। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग में तीव्र परिवर्तन के कारण, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में अत्यधिक गिरावट देखी गयी है।
- संवृद्धि के विशिष्ट एवं मजबूत घटक होने के साथ एक परिपक्व उद्योग के रूप में, इस क्षेत्रक के पुनर्मूल्यांकन तथा **मध्यम एवं लंबी अवधि के परिपेक्ष्य** में रणनीति बनाने एवं इसकी पूर्ण क्षमता दोहन के लिए **अभिनव समाधान प्रस्तुत करने की आवश्यकता** है।
- अभिनव सॉफ्टवेयर उत्पादों के विकास के संबंध में कमजोरियों को संबोधित करने की आवश्यकता है, जिससे कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज आदि के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- कई विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्यशील आबादी में गिरावट, बढ़ते प्रौद्योगिकी स्वीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारत में इस उद्योग हेतु नए अवसरों की प्रबल संभावना है। इस प्रकार, हमारे IT-ITES क्षेत्र, जो वर्तमान में अपना व्यापार मुख्य रूप से सीमित भौगोलिक क्षेत्र से करते हैं, का वैश्विक प्रसार बढ़ाने हेतु इस उद्योग पर केंद्रित रणनीतियों की आवश्यकता है।
- भारत में इंटरनेट तक लगभग 400 मिलियन लोगों की पहुँच और एक अरब से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन होने के कारण, यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जहाँ हम भारतीय जरूरतों हेतु भारतीय IT पेशेवर के सॉफ्ट पॉवर का लाभ उठाने में सक्षम हों।
- यद्यपि भारत सेवा क्षेत्र को और अधिक विकसित करने के लिए अनुकूल स्थिति में है, हालांकि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति की आवश्यकता है जो एक मजबूत सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग बनाने के लिए सरकार और उद्योग के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

मसौदा नीति का मिशन

- मसौदा नीति के मिशन में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के सृजन हेतु एक व्यावहारिक वातावरण तैयार करना शामिल है जिससे सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित करने तथा इसके फलस्वरूप 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सके।
- 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि करने का प्रयास करना।
- 2025 तक 1,00,000 पेशेवरों का एक विशेष प्रतिभा पूल बनाने हेतु।
- उपरोक्त के अलावा नीति निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार करती है -
  - कोर एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे तथा सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के साथ संपर्क विकसित करना।
  - विघटनकारी नवाचारों (disruptive innovations) का सृजन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।

मसौदा नीति द्वारा चिन्हित रणनीतियाँ

इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस-

- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय समूह** के माध्यम से विशेष रूप से सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग से संबंधित इज ऑफ़ बिज़नस और अन्य समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना।
- भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (Software Technology Parks of India :STPI) के माध्यम से एक **सिंगल विंडो** ऑनलाइन प्लेटफार्म का निर्माण।

निधियन (फंडिंग), सीड फंडिंग और स्टॉक ऑप्शन

- **MeitY द्वारा PPP मॉडल के तहत 100 करोड़ रुपए के समर्थन के साथ इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि** में 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds) के एक निर्धारित हिस्से का आवंटन।
- वित्त मंत्रालय द्वारा निवासी भारतीय नागरिकों के सहयोग से अनन्य रूप से घरेलू सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए **अभिनव कोष** (**Innovation Fund**) का निर्माण।

रोजगार सृजन

- **राष्ट्रीय कौशल मिशन** का सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार भी उपयोग किया जाना जिससे कि लाखों की संख्या में कुशल IT पेशेवर तैयार किए जा सके।

सॉफ्टवेयर उत्पाद पर कर

- **स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर उत्पादों को परिभाषित करते हुए**, 'सॉफ्टवेयर सेवा' से 'सॉफ्टवेयर उत्पाद' हेतु कर व्यवस्था निर्धारित करना।

इसके अलावा, नीति निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करती है -

- उद्योग की भागीदारी के साथ एक **"राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन"** का शुभारंभ।
- **प्रशिक्षण और शिक्षण** तथा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पाद को बढ़ावा देना।
- देश में टीयर II और टीयर III शहरों में फैले **30 समर्पित उद्यमी पार्कों** की स्थापना।
- व्यापार प्रोत्साहन और **घरेलू बाजार तक पहुँच में सुधार** करना।

12.4. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना

(Modified Special Incentive Package Scheme)

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नेट जीरो आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **'संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना' (Modified Special Incentive Package Scheme : M-SIPS)** में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

M-SIPS क्या है?

- **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा जुलाई 2012 में तीन वर्ष की अवधि के लिए M-SIPS नीति की शुरूआत की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र** में निवेश को प्रोत्साहित करना एवं संवितरण (disbursement) प्रक्रिया में तेजी लाना था।

VISION IAS

- यह नीति कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 20-25% सब्सिडी प्रदान करके घरेलू स्तर पर उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- बजट 2017-18 में सरकार ने इस योजना के लिए फंड आवंटन में वृद्धि की है।

महत्त्व

- इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू उत्पादन में वृद्धि की आशा है।
- यह आयात और निर्यात के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नेट जीरो बैलेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पहल एवं प्रोत्साहन योजनाएं हैं - इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट फण्ड (EDF), इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम (EMCS), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क।
- इस प्रकार का घरेलू उत्पादन अंततः देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाएगा एवं यह रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE)

- NPE का विजन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) उद्योग का निर्माण करना है।
- देश में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करके तथा विभिन्न स्तरों पर रोजगार के 28 मिलियन (2.8 करोड़) अवसर सृजित करके, विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी एक ESDM क्षेत्र के विकास का वातावरण तैयार करना।
- दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, औद्योगिक, चिकित्सा, सौर ऊर्जा, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आदि जैसे सामरिक और कोर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मूल क्षमता को विकसित करना।
- कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु पृथक राज्य विशिष्ट नीतियों का निर्माण किया है।

12.5. सार्वजनिक खरीद आदेश 2017

(Public Procurement Order 2017)

सरकार ने हाल ही में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश-2017 {Public Procurement (Preference to Make in India), Order 2017} जारी किया है। इसका उद्देश्य आय और रोजगार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विनिर्माण तथा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

आवश्यकता

- राष्ट्रीय खरीद नीति में प्रतिवर्ष कम से कम दो ट्रिलियन रूपए की खरीद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस नीति में स्वायत्त निकाय, सरकारी कंपनियों और सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- सरकार ने उन वस्तुओं और सेवाओं को स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिभाषित किया है जिनका कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य वर्द्धन भारत में किया गया हो।
- सरकार ने **50 लाख रुपए से कम मूल्य की वस्तु की खरीद** के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही पात्र माना है। सरकार द्वारा 50 लाख रूपए से अधिक की खरीद के लिए बोलियाँ (बिड्स) आमंत्रित की जाएँगी। 5 लाख रूपए से कम मूल्य की खरीद को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए स्व-प्रमाणन आवश्यक होगा। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक और बाहरी सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन कर सकता है। झूठी घोषणा करने वाले को 2 वर्ष के लिए निषिद्ध किया जा सकता है।
- खरीद संस्थाओं द्वारा सभी खरीदों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी। आदेश के अनुसार साधारणतः न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री रखी जाएगी।
- **पारस्परिकता की शर्त (Condition of Reciprocity)**- उन देशों की संस्थाओं को भारत में सार्वजनिक खरीद निविदाओं से बाहर रखा जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है **जहाँ भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी खरीद के लिए भाग लेने या बोली लगाने की अनुमति नहीं है।**

महत्व

- यह भारत में विनिर्माण और वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देगा और साथ ही आय और रोज़गार में वृद्धि करेगा।
- यह घरेलू उद्योगों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।

- लंबे समय में यह नीति विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन की दिशा में भी लाभकारी सिद्ध होगी।
- यह घरेलू **विनिर्माण और सेवाओं में पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित** करेगा।

चुनौती

- यह अल्पावधि में लाभकारी हो सकता है, किन्तु दीर्घावधि में प्रतिबंधों एवं संरक्षणवाद के कारण दक्षता को हानि पहुँचा सकता है।
- खरीद में राजनीतिक हस्तक्षेप और लालफीताशाही; खरीद प्रक्रिया और बाजार के उदारीकरण को चोट पहुँचा सकती है।

आगे की राह

- **नीति के कार्यान्वयन के लिए रमेश अभिषेक (DIPP के सचिव) की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया गया है। यदि इसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से किया जाता है तो यह सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में रिसाव को कम करने में सहायक होगा। यह प्रक्रिया में प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा तथा इसे और अधिक कुशल बनाएगा।

12.6. वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष शाखा

(Special Arm under commerce ministry)

भविष्य की व्यापार नीति के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एक वैश्विक परामर्शदाता फर्म की रिपोर्ट में "वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष शाखा" का सुझाव दिया गया है। वर्तमान समय में इसका संचालन PMO और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत के भविष्य व्यापार (नीति) प्रतिरूप का संचालन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए एवं विदेश मंत्रालय को इसकी सहायोगी भूमिका में होना चाहिए।
- देश के व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली सभी गतिविधियों में महानिदेशक, विदेश व्यापार (DGFT) को शीर्ष भूमिका प्रदान की जाए।
- व्यापार नीति और व्यवस्था के विषय में भारतीय व्यापार सेवा (ITS) की उच्चतर भूमिका के लिए सशक्त परिस्थिति का निर्माण करती है।
- वर्तमान समय में, व्यापार नीति के महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णयन के संबंध में IAS, IRS और IFS के अधिकारियों की ITS कैडर की तुलना में श्रेष्ठ भूमिका रहती है।
- कार्य निष्पादन के लिए व्यापक रूप से डिजिटल मंच का उपयोग किया जाना चाहिए।
- व्यापार नीति निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त पेशेवरों की भर्ती होनी चाहिए।

महत्त्व:

- इससे भारत के ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार होगा (वर्तमान में इसका स्थान 130/190 है)
- डिजिटल तकनीक का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने से सीमा-पार व्यापार और व्यापार की सुगमता (ease of doing business) में सुधार होगा।
- दिसम्बर 2014 से हुए संकुचन और हाल के विमुद्रीकरण से प्रभावित वस्तुओं के निर्यात को दोबारा शुरू करना।
- व्यापारिक कामकाज में सरकार की समन्वयक और समर्थकारी भूमिका निर्वहन करने की नीति में यह लघु परंतु दक्ष (small yet efficient) के समान उचित रूप से फिट बैठता है।

DGFT की क्या भूमिका है?

- विदेशों में व्यापार प्रतिनिधित्व, अनुसंधान और विकास, बाजार सूचना, व्यापारिक गठजोड़ सेवा के अतिरिक्त जन-सम्पर्क, विज्ञापन और बाजार सेवाएं प्रदान करना।

रूपांतरित DGFT की भूमिका (DGFT 3.0 उदारीकरण से पूर्व और पश्चात पहले के दो संस्करण हैं)

- (विदेश व्यापार) पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।
- निर्यात प्रोत्साहन अभियान चलाना
- औद्योगिक व्यापार मेले ।
- लघु और मध्यम फर्मों पर अधिक ध्यान देना।

VISION IAS

12.7. औद्योगिक विस्तार हेतु अन्य पहलें

Other Initiative For Industrial Expansion

बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2017 **BRAP 2017 के सम्बन्ध में** नियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधारों की सिफारिशें 12 क्षेत्रों तक विस्तारित हैं। इनमें श्रम नियमन; अनुबंध प्रवर्तन; निरीक्षण; सिंगल विंडो सिस्टम; भूमि की उपलब्धता और आवंटन आदि शामिल है।	**औद्योगिक नीति पर स्थायी समिति की रिपोर्ट** समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने औद्योगिक नीति, 1991 में आमूलचूल सुधार करने के लिए 'बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। 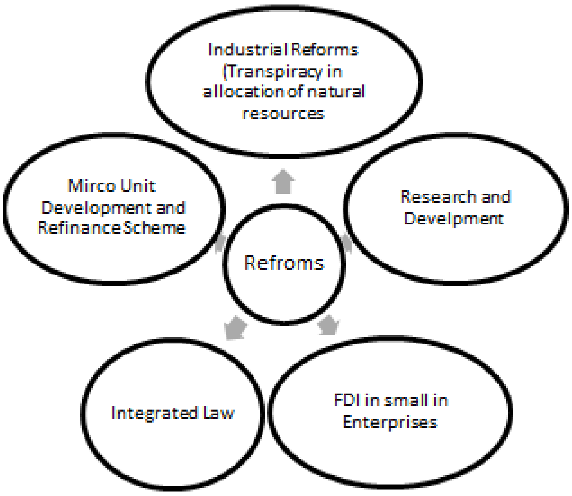	**ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES)** वाणिज्य मंत्रालय द्वारा TIES का शुभारंभ किया गया। इस योजना के उद्देश्य- निर्यात संबंधी बुनियादी ढाँचे की खामियों को समाप्त कर निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना, निर्यात केन्द्रित अवसंरचना का निर्माण, निर्यात संवर्द्धन परियोजनाओं के लिए प्रथम और अंतिम स्तर के मध्य संपर्क स्थापित करना तथा गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण सुविधा प्रदान करना।

13. विदेशी निवेश

(FOREIGN INVESTMENT)

भुगतान संतुलन

- **चालू खाता:** चालू खाते में घाटा (CAD) 2012-13 में GDP के 4.8 फ़ीसदी से उत्तरोत्तर घटकर 2015-16 में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत रह गया।
- **CAD के कम होने में सहायक सकारात्मक कारक:**
    - व्यापार घाटे में होने वाली तीव्र कमी से कुल अदृश्य आय में आई कमी प्रभावहीन हो गयी।
    - कम कीमतों के कारण तेल आयात बिल में कमी आई तथा स्वर्ण आयात में होने वाली कमी के कारण भारत के कुल आयात में भी कमी आई।

पूँजी/ वित्त खाता: कुल पूँजी प्रवाह CAD से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

- **विदेशी ऋण:**
    - भारत का विदेशी ऋण 484.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा तथा इसमें मार्च 2016 के स्तर से 0.8 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर की कमी दर्ज की गयी। इसका मुख्य कारण वाणिज्यिक उधार(in commercial borrowings) तथा अल्पावधि विदेशी ऋण में होने वाली कमी थी।
    - कुल विदेशी ऋण में सरकारी (संप्रभु) तथा गैर सरकारी ऋण की हिस्सेदारी में सितम्बर 2016 के अंत तक क्रमशः 20.1 प्रतिशत तथा 79.9 प्रतिशत थी।
- विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक 2017 में भारत को कम जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।

एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2016

- भारत की अंतर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार लागत एशिया तथा प्रशांत की अन्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक रहा।. हालाँकि, 2009 के बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है।
- सुदृढ़ आर्थिक विकास तथा विशाल घरेलू बाज़ार के साथ-साथ "मेक इन इंडिया" तथा उड्डयन, रक्षा, दवा जैसे क्षेत्रों में FDI नियमों को आसान करने जैसी सरकार की पहलों के कारण देश में FDI के अंतर्वाह में वृद्धि हो सकती है।
- भारतीय व्यवसायी समुदाय के द्वारा होने वाले FDI डायवर्जन में कमी आयी है क्योंकि भारत के द्वारा विदेशों में होने वाले निवेश में 36% की गिरावट दर्ज की गयी है जिससे पता चलता है कि भारतीय निवेशकों का विदेशों की अपेक्षा भारतीय बाज़ार में अधिक विश्वास है।
- 2010-15 के दौरान FDI में अंतर्वाह में औसतन 10% की दर से वृद्धि हुई जबकि केवल 2015 में ही FDI के अंतर्वाह में वृद्धि की दर आश्चर्यजनक रूप से 27.8% रही जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 5.6% के औसत से कहीं अधिक थी।
- सेवा, भवन निर्माण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर तथा टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में अधिकतम निवेश हुआ।

भारत नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे दक्षिण एशियाई देशों के सबसे बड़े व्यापार साझेदार के रूप में भी उभर कर सामने आया है.

13.1. विदेशी फर्मों के साथ विलय के नियम सरल किए गए

(Rules eased: Merger with Foreign Firms)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय कम्पनियों को आउटबाउंड विलय सम्पन्न करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मुख्य विशेषताएं

आउटबाउंड विलय अनुमेय होने के साथ, भारतीय कम्पनियों को **अपतटीय शेयर बाजारों में अधिग्रहण, पुनर्गठन या सूचीबद्ध होने के अवसर** प्राप्त होंगे।

यह विलय **कंपनी अधिनियम, 2013** का अनुपालन करते हुए होगा और इसे **भारतीय रिजर्व बैंक** की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए से कम मूल्य की कंपनियों को विलय हेतु उद्यत होने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की पूर्व अनुमति प्राप्त करने से छूट दी है।

आउटबाउन्ड विलय (Outbound Merger)

- आउटबाउन्ड विलय एवं अधिग्रहण का संदर्भ भारतीय मूल की किसी कम्पनी द्वारा विदेश आधारित कम्पनी में निवेशों से होता है।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 में आउटबाउंड विलयों हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं (केवल इनबाउन्ड विलय)। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

13.2. तंबाकू क्षेत्र में FDI

(FDI In Tobacco Sector)

वाणिज्य मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है।

पृष्ठभूमि

- **यद्यपि भारत में तंबाकू उत्पादन में FDI 2010 से प्रतिबंधित है**, तथापि विदेशी तंबाकू कंपनियां तकनीकी सहयोग, लाइसेंस समझौते और ट्रेडिंग कंपनियों के गठन के जरिए निवेश कर सकती हैं।
- नीति आयोग द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है।

संलग्न मुद्दे

- **भारत में 11 बिलियन डॉलर का तंबाकू उद्योग** है। प्रस्तावित प्रतिबंधों से रोजगार और विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा।
- घरेलू और विदेशी उत्पादकों में भेदभाव के कारण भारत को विभिन्न **द्विपक्षीय निवेश समझौतों (BITs) के तहत चुनौती** दी जा सकती है।

प्रस्ताव का महत्व

- **WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC)** के तहत अपने दायित्व के अनुसार, भारत को तम्बाकू उत्पादों के उच्च उपभोग को कम करना है।
- इस तरह के प्रस्ताव से तंबाकू उपभोग से संबंधित सरकार के स्वास्थ्य व्यय को कम करने में मदद मिल सकती है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BITs)

- BIT उन दो देशों के बीच एक संधि है जो एक राज्य के निवेशकों को दूसरे में निवेश करने के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरणार्थ मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का प्रावधान।
- भारत में विभिन्न देशों के साथ लगभग 83 BITs हैं।

BIT पर भारत का मॉडल ड्राफ्ट/मसौदा

- 2011 में व्हाइट इंडस्ट्रीज के मामले में हारने के बाद, भारत ने एक मॉडल BIT तैयार किया। इसके कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-

MFN प्रावधान को हटाना

- **निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा-** वे निवेशक जो अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए भारत में किसी भी प्रकार के उद्यम को स्थापित नहीं करते, उन्हें BIT के तहत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
- विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने से पहले स्थानीय अदालतों में जाना अनिवार्य है।
- स्वास्थ्य तथा पर्यावरण आदि विषय BIT के लिए अपवाद स्वरुप होंगे जहां इसके प्रावधान अमान्य होंगे।

VISION IAS

प्रस्ताव की सीमाएं

- यह भारत में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को समाप्त करेगा, जिससे तम्बाकू किसानों के निवेश और आजीविका की हानि हो सकती है।
- WHO के FCTC में तम्बाकू के उपयोग को कम करने के एक साधन के रूप में तम्बाकू के क्षेत्र में FDI पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- अमरीका की फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल जैसी विदेशी तंबाकू कंपनियां कहती हैं कि **ऐसा प्रतिबंध संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण हो सकता है।**
- यह निश्चित नहीं है कि विदेशी उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाने से तंबाकू का इस्तेमाल कम हो जाएगा। घरेलू उत्पादकों द्वारा विदेशी उत्पादकों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिससे समस्या पूर्ववत बनी रहेगी।

आगे की राह

- भारत को, तंबाकू उपभोग में कमी लाने के लिए तंबाकू के क्षेत्रक में FDI पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय **वैकल्पिक विनियामक तंत्रों** जैसे सादा पैकेजिंग विनियम, सिगरेट पर करों में वृद्धि, बीड़ी को करों के दायरे में लाने इत्यादि पर विचार करना चाहिए।

13.3. FIPB को समाप्त किया जाएगा

(FIPB to be abolished)

सरकार ने, बजट 2017-18 में वित्तीय वर्ष 2018 में FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को समाप्त करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में दो तरीकों** से, स्वचालित मार्ग और सरकारी अनुमोदन के माध्यम से आता है।
- FIPB **अनुमोदन मार्ग** के तहत आने वाले क्षेत्रों में FDI अनुप्रयोगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था प्रदान करता है। बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों को सम्भाला है।
- FIPB वित्त मंत्रालय के **आर्थिक मामलों के विभाग** में स्थित है और वित्त मंत्री FIPB के प्रभारी हैं।

प्रदत्त कारण

- वर्तमान में, **90% से अधिक** FDI प्रवाह **स्वचालित मार्ग** के माध्यम से होता है, जिसके लिए FIPB से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और वे क्षेत्रीय नियमों के अधीन हैं।
- शेष FDI (कुल FDI प्रवाह का लगभग 8%) के लिए, प्रत्येक सम्बद्ध विभाग के पास इसके संबंध में एक ढांचा या एक नियामक मौजूद है।
- इसके अलावा, FIPB ने FDI आवेदनों के ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रसंस्करण को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- इसलिए, सरकार का मानना है कि FIPB एक ऐसे दौर पर पहुंच गया है जहां इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है।

13.4. ग्रीन बांड

(Green Bonds)

क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव (जलवायु बंधपत्र पहल) के अनुसार, 2015 के 42.2 बिलियन डॉलर की तुलना में 2016 में 81 बिलियन डॉलर के अंकित मूल्य वाले ग्रीन बॉण्ड जारी किए गए।

क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव क्या है?

- **क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव निवेशक केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है।**
- यह **जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए 100 ट्रिलियन डॉलर के बॉण्ड बाजार को संघटित (mobilize) करने हेतु** कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है।
- इसका उद्देश्य विकसित और उभरते बाजारों में एक वृहद् एवं तरल ग्रीन एंड क्लाइमेट बॉण्ड मार्केट को विकसित करना है।
- यह खंडित क्षेत्रकों के लिए धन जुटाने और साथ ही सरकारों को ऋण पूंजी बाजारों (debt capital markets) का दोहन करने में मदद करेगा।

ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में भारत की स्थिति

- **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd) अक्षय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बांड के टैग (चिन्हांकन) के बिना** ही ऐसे बॉण्ड जारी कर चुका है।
- 2015 में, **एक्जिम बैंक** ने 500 मिलियन डॉलर की भारत के प्रथम डॉलर मूल्य (denominated) के ग्रीन बॉण्ड को लॉन्च किया।
- भारत **विश्व का सातवां सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड बाजार** बन चूका है।
- जनवरी 2016 में SEBI ने लिस्टिंग, पैसा उगाही के लिए मानदंड आदि से संबंधित अपने **पहले ग्रीन बॉण्ड गाइडलाइन (दिशा-निर्देशों)** को जारी किया।
- बैंकों को हरित मसाला बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।
- आगामी वर्ष में भारत में पहली बार **'ब्लू बॉण्ड'** भी जारी किए जाएंगे।
- स्मार्ट सिटी पहल के मुताबिक, म्युनिसिपल (नगरपालिका) बॉण्ड मार्केट को पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं (ब्लू बॉण्ड की एक श्रेणी) के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

ग्रीन बॉण्ड

- एक बॉण्ड वस्तुतः एक ऋण साधन (debt instrument) होता है जिसके माध्यम से एक संस्था/कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाती है।
- ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से उगाही गयी पूंजी का प्रयोग 'ग्रीन' प्रोजेक्ट्स (हरित परियोजनाओं) जैसे- अक्षय ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती आदि के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- पहला ग्रीन बॉण्ड 2007 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।
- अभी तक ग्रीन बॉण्ड की कोई मानक परिभाषा नहीं है।

ब्लू बॉण्ड

- यह ग्रीन बॉण्ड का ही एक प्रकार है जो विशिष्ट रूप से जलवायु प्रतिरोधी (Climate resilient) जल प्रबंधन और जल अवसंरचना में निवेश करता है।

मसाला बांड क्या हैं?

- मसाला बांड फण्ड की उगाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले रुपया-नामित (rupee-denominated) बांड हैं। अब तक इसका केवल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ही कारोबार किया जा रहा है।
- मसाला बांड नाम **विश्व बैंक की निवेश शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)** द्वारा दिया गया है। इसने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इन बांडों को जारी किया है।

ग्रीन बॉण्ड का महत्व

- **भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा क्षमता के निर्माण** का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस हेतु लगभग 200 बिलियन डॉलर के वित्तीयन की आवश्यकता है।
- पेरिस मसौदे के लिए भारत की INDC (Intended Nationally Determined Contribution) अपने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को वचनबद्ध करता है।
- इस हेतु **बजट आवंटन अपर्याप्त है**, इसमें से अधिकांश कोयला क्षेत्र के लिए आवंटित हुआ है।
- भारत में उच्च ब्याज की दरों के कारण अक्षय ऊर्जा की लागत में 25 फीसदी तक की वृद्धि हो जाती है। **ग्रीन बॉण्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर वाले होते हैं।**
- **इसमें निवेशक कम जोखिम उठाते हैं क्योंकि परियोजना का जोखिम निवेशक के बजाय इसके जारीकर्ता के साथ संबद्ध रहता है।**

VISION IAS

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यह तीव्र एवं सतत विकास को बढ़ावा देगा।

भारत में ग्रीन बॉण्ड की सफलता में चुनौतियां

- **ग्रीन बॉण्ड के तहत लक्षित परियोजनाओं** को लेकर चिंता इसके सफलता में एक प्रमुख चुनौती है। उदाहरण के लिए, फ्रेंच यूटिलिटी (एक संगठन) GDF Suez द्वारा जारी किए गए 3.4 अरब डॉलर के ग्रीन बॉण्ड से अमेज़न के वर्षावनों को हानि पहुँचाने वाली एक बांध परियोजना का वित्तपोषण किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय निर्गमों की तुलना में भारत में जारी किए जाने वाले अधिकांश ग्रीन बॉण्ड 10 वर्षों की एक लघु अवधि की अवधि के होते हैं। एक आदर्श ऋण भी न्यूनतम 13 वर्षों के लिए होता है।
- कई लक्षित खरीदार AAA- रेटिंग से कम रेटिंग वाले किसी भी प्रकार के बॉण्ड में निवेश नहीं करना चाहेंगे।
- मूल्य निर्धारण के मुद्दों के कारण व्यवहार्य और विश्वसनीय परियोजनाओं की कमी होती है।
- हरित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बुनियादी ढांचे (जैसे- जल से संबंधित बुनियादी ढांचे में अप्रभावी मीटरिंग) अपर्याप्त हैं।
- **भारत में शहरी स्थानीय निकायों की साख में कमी** एक आम समस्या है, जो अंततः सीमित विश्वसनीयता को जन्म देता है।
- वर्तमान में, भारतीय कंपनियां अत्यधिक जागरूकता एवं समर्पित निवेशकों के कारण विदेशी बाजार का दोहन करती हैं।
- छोटे पैमाने पर होने के चलते और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के कारण एकल आधार वाली हरित परियोजनाएं (जैसे- रूफ-टॉप सोलर) निवेशकों को अनाकर्षक लगती हैं।

आगे की राह

- **इस पूरे क्षेत्रक के लिए एक सामान्य समझ सुनिश्चित करने हेतु 'ग्रीन' (प्रोजेक्ट्स) की एक औपचारिक परिभाषा** को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे स्तर की हरित परियोजनाओं को मुख्यधारा विषयक ऋण प्रदान करने के लिए कुछ नवाचारी तंत्रों यथा **समूहन (aggregation) और प्रतिभूतिकरण (securitisation)** का प्रयोग किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भविष्य में ग्रीन बॉण्ड को बढ़ावा देने में **नियामकों, नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट और वित्तीय संस्थानों की सामूहिक भागीदारी** अहम होने जा रही है।

वर्तमान में विद्यमान जलवायु वित्तीयन के विभिन्न तंत्र

- **ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी(GEF)** सरकारों, नागरिक समाजों, बैंकों आदि का एक बहुपक्षीय निकाय है जो UNFCCC जैसे पर्यावरणीय अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- **ग्रीन क्लाइमेट फंड** का निर्माण UNFCCC द्वारा 2011 में किया गया था। यह UNFCCC के वित्तीय तंत्र की क्रियात्मक इकाई है।
- राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कार्बन कर और उपकर।
- **क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) -** इसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा, विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं में निवेश शामिल है।
- **जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन (JI) -** जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, विकसित देशों को अन्य विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं के संचालन में सक्षम बनाता है।
- **परफॉर्म अचीव ट्रेड(PAT) -** यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE) के तहत एक बाजार आधारित ट्रेडिंग योजना है। इसमें उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति (Offset) के लिए **ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्रों (energy efficiency certificates)** की खरीद-बिक्री शामिल है।

VISION IAS

14. अवसंरचना

(INFRASTRUCTURE)

14.1. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Funding)

14.1.1. थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक

(Wholesale Long Term Finance Banks)

- RBI के एक परिचर्चा पत्र में विशेषकर अवसंरचना और उद्योगों की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु 1,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के साथ दीर्घावधिक वित्त बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।

आवश्यकता

- वर्तमान संवृद्धि स्तर को बनाए रखने या इस स्तर को बढ़ाने के लिए अगले 10 वर्षों में भारत को अवसंरचना क्षेत्र में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।
- भारत दबावग्रस्त बैंकों और अति-ऋणग्रस्तता से जूझने वाली कंपनियों के कारण दोहरे-तुलनपत्र (Twin Balanced sheet) की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए समर्पित मार्ग (dedicated paths) समय की आवश्यकता हैं।
- अवसंरचना ऋणों की अवधि बहुत लंबी होती है और इसलिए इसके प्रति बैंक जैसे संस्थान उत्साहित नहीं होते हैं। इसलिए पृथक अवसंरचना बैंकों की आवश्यकता है।

RBI का प्रस्ताव

- थोक और दीर्घावधि वित्त बैंक (Wholesale and Long-term Finance Bank: WLTFB) के प्रवर्तकों के लिए पात्रता मानदंड, ऑन-टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के समान होंगे। उदाहरण के लिए
  - बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाला, कम से कम 5,000 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्ति और अपनी कुल आय का 40 प्रतिशत से कम गैर-वित्तीय स्रोतों से प्राप्त करने वाला कोई भी व्यापार समूह या व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है,
  - बड़े औद्योगिक घराने इन बैंकों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं।
  - इन बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने से छूट दी जाएगी और कृषि और समाज के कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- WLTF बैंकों को **रुपये के मूल्य वर्ग वाले बांड्स, वाणिज्यिक बैंक उधारी और सर्टिफिकेट्स ऑफ़ डिपॉजिट्स** बेचकर धन जुटाने की अनुमति होगी।
- उन्हें **नकद आरक्षित अनुपात** (CRR) **बनाए रखना** होगा लेकिन अवसंरचना बांड्स के माध्यम से एकत्रित फंड के लिए यह आवश्यक नहीं होगा।
- WLTF बैंकों को **सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने की आवश्यकता** नहीं होगी।

14.1.2. राज्यों को विदेशी ऋण के लिए अनुमति

(States Allowed Overseas Loans)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में **राज्य सरकार की संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से सीधे वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।**

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से बाह्य विकास सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है;
  - केंद्रीय क्षेत्र में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए

VISION IAS

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए
    - राज्य सरकारों की ओर से, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों(PSU) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए
- वर्तमान दिशानिर्देश राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा बाह्य एजेंसियों से सीधे उधार लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

आवश्यकता

- राज्य संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना पड़ता है। ऐसा कोई भी वित्तपोषण राज्य के उधारी बजट में सम्मिलित किया जाता है जिससे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का उल्लंघन होता है।

प्रस्ताव

- 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व वाली राज्य संस्थाएँ जो 5,000 करोड़ रूपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं पर काम कर रही हैं; को द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता साझेदारों (bilateral Official development assistance partners) से सीधे धन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
- संबंधित राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी प्रदान करेगी और भारत सरकार ऋण के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करेगी।

महत्व

- इससे राज्यों को **बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निवेश प्राप्त करने में सहायता** मिलेगी।
- **राज्य, सरकारी खजाने पर बोझ डाले बिना** तथा FRBM लक्ष्यों में व्यवधान डाले बिना केंद्र सरकार की गारंटी के आधार पर ऋण उठाने में सक्षम होंगे।
- इससे राज्य के बजट पर दबाव कम हो जाएगा और उनके लिए **कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय** करना संभव होगा।

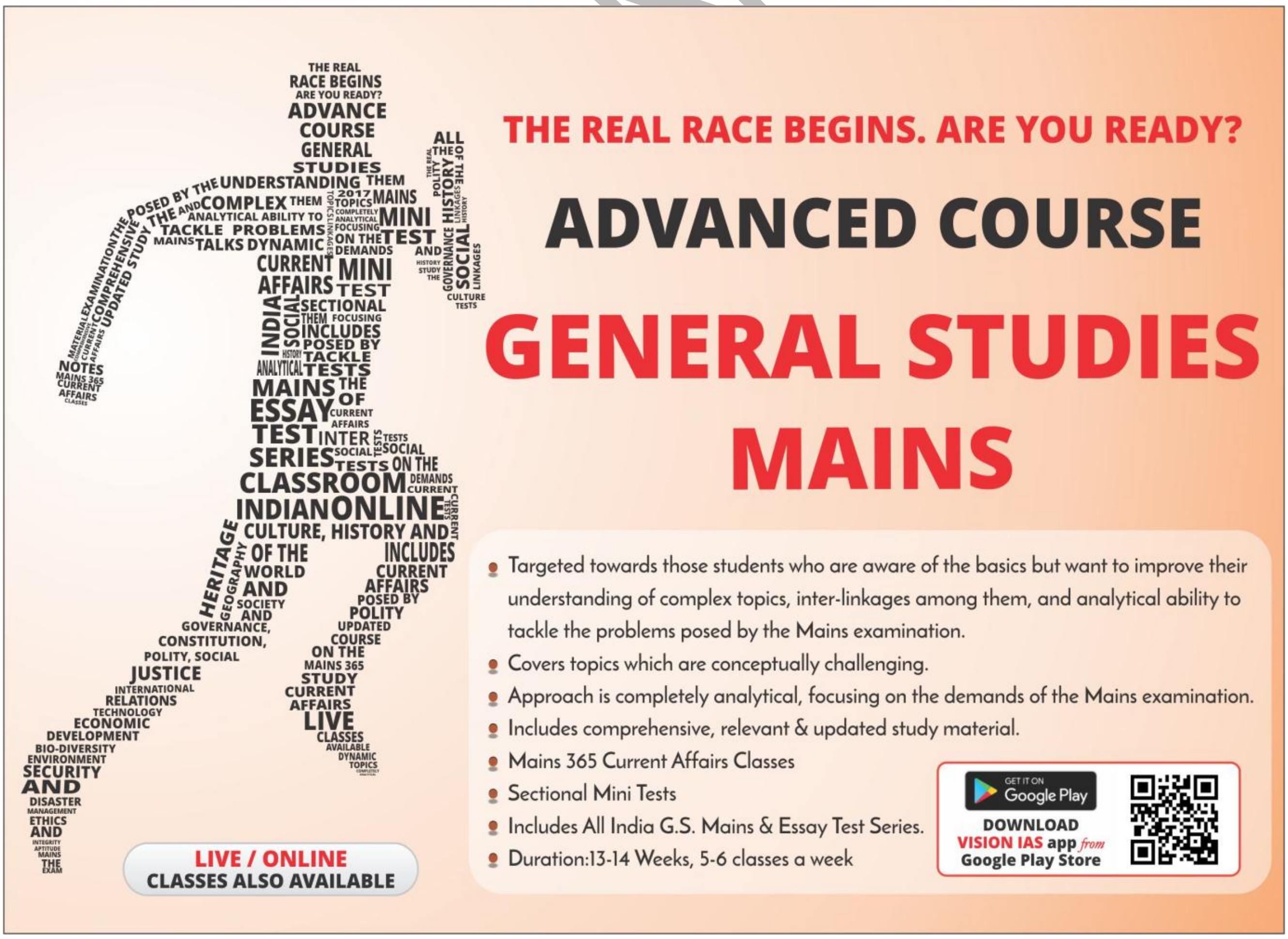

15. ऊर्जा

(ENERGY)

15.1. ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट

(Global Energy Architecture Performance Index Report)

ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट एक्सेंचर (Accenture) के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा तैयार किया जाता है I यह ऊर्जा के भविष्य को आकार देने की **WEF की पहल** का एक हिस्सा है।

- यह इंडेक्स 18 संकेतकों के अनुसार 127 देशों के ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है I इसमें **तीन कोर आयाम शामिल हैं: ऊर्जा पहुंच एवं सुरक्षा, संधारणीयता और आर्थिक विकास में योगदान।**
- सूची में **स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर नॉर्वे और स्वीडन** का स्थान रहा।
- **ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट** में भारत 87वें स्थान पर रहा और अपनी स्थिति में मामूली रूप से सुधार किया है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है"।
- ब्रिक्स देशों में ब्राजील सबसे ऊपर था और यह 30वें स्थान पर था, इसके बाद रूस (48 वां), दक्षिण अफ्रीका (76 वां), भारत (87 वां) और चीन (95 वां) ने स्थान प्राप्त किया।

15.2. स्वदेशी नाभिकीय उर्जा

(Indigenous nuclear power)

कैबिनेट ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा बनाए जाने वाले 10 स्वदेशी प्रेसराईज्ड हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर (PHWR) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट है। इससे यह देश की वर्तमान स्थापित परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट के दोगुने से अधिक हो जाएगी।

NPCIL के बारे में:

- यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है।
- यह कंपनी अधिनियम के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करना है।
- DAE के एक अन्य PSU भाविनी में इसकी इक्विटी भागीदारी है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है।

केबिनेट के इस निर्णय का महत्व:

- **परमाणु क्षमता को दोगुना करना -** इस संयंत्र से देश की परमाणु उर्जा क्षमता, वर्तमान में स्थापित परमाणु क्षमता से दोगुने से भी अधिक हो जाएगा।
- **घरेलू परमाणु क्षमता निर्माण -** इस कदम से स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने में भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ा है, जो भविष्य में वैश्विक परमाणु आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखला में भारत को अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा।
- **रोज़गार में वृद्धि -** इस प्लांट से घरेलू विनिर्माताओं (विशेषकर उपकरण विनिर्माण उद्योग में) के लिए 70,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय और लगभग 33,400 रोजगार उत्पन्न होगा।

- **निर्भरता कम करना -** भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (collaborations) में परेशानी का सामना करना पर रहा है, जैसे- अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस द्वारा दिवालियापन के लिए आवेदन करना और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा के साथ लागत संबंधी समस्याएं आदि।
- **INDC प्रतिबद्धताएं -** इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पेरिस समझौते के तहत कार्बन मुक्त स्रोतों से युक्त भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को भी पूरा किया जा सकता है।

सम्बंधित चिन्ताएं:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं -** प्रस्तावित रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में सरकार को सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।
- **विनियामक मुद्दे -** एक स्वतंत्र निकाय को सार्वजनिक क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विनियमित करना चाहिए ताकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जो एक सरकारी निकाय है, द्वारा विनियमित किए जाने से हितों के टकराव की समस्या से बचा जा सके।
- **समय और लागत में वृद्धि -** अब तक स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यह एक परम्परा के रूप में देखा गया है। इसे परिवर्तित कर एक निश्चित समय सीमा के भीतर नए संयंत्रों के संचालन को सुनिश्चित करना होगा।
- **परमाणु ऊर्जा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विमुखता -** जबकि विश्व परमाणु ऊर्जा के विकल्प को छोड़ रहा है उसी समय भारत परमाणु उर्जा की ओर अग्रसर है।

Plant	Unit	Type	Capacity (MWe)
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	1	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	2	BWR	160
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	3	PHWR	540
Tarapur Atomic Power Station (TAPS), Maharashtra	4	PHWR	540
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	1	PHWR	100
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	2	PHWR	200
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	3	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	4	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	5	PHWR	220
Rajasthan Atomic Power Station (RAPS), Rajasthan	6	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	1	PHWR	220
Madras Atomic Power Station (MAPS), Tamilnadu	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	1	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	2	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	3	PHWR	220
Kaiga Generating Station (KGS), Karnataka	4	PHWR	220
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	1	VVER-1000 (PWR)	1000
Kudankulam Nuclear Power Station (KKNPS), Tamilnadu	2	VVER-1000 (PWR)	1000
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	1	PHWR	220
Narora Atomic Power Station (NAPS), Uttarpradesh	2	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	1	PHWR	220
Kakrapar Atomic Power Station (KAPS), Gujarat	2	PHWR	220

Total Nuclear Power Plant Capacity : 6780 MWe

भारत की परमाणु क्षमता की वर्तमान स्थिति:

- NPCIL वर्तमान में 22 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है।
- भारत में परमाणु उर्जा की स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो कि भारत में कुल स्थापित उर्जा क्षमता का 2.1% है।
- इस रिएक्टर बेड़े में तीन प्रकार के रिएक्टर शामिल हैं
  - PHWR
  - BWR (बॉईलिंग वाटर रिएक्टर)
  - VVER (प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर)
- आज भारत का फ्रांस, रूस, UK,अमेरिका और जापान सहित कई देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग समझौता है।

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों की तुलना निम्नलिखित तालिका में की गई है:

	BWR	PWR	PHWR	FBR
उद्देश्य	इलेक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर्ड शिप	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन	इलेक्ट्रिसिटी, प्लुटोनियम का उत्पादन
कुलेंट	जल	जल	भारी जल (D2O)	पिघला, द्रव सोडियम
मोडरेटर	जल	जल	भारी जल (D2O)	आवश्यकता नहीं
फ्यूल	युरेनियम डाइ आक्साइड	युरेनियम डाइ आक्साइड (UO2)	UO2 या मेटल	प्लुटोनियम डाइ आक्साइड ओर UO2 अलग कम्बीनेशन के साथ
इनरीचमेंट लेवल	लो-इनरिच्ड	लो-इनरिच्ड	नॉट-इनरिच्ड	P-239और U-235 के विभिन्न प्रकार

भारत ने क्यों PHWR को चुना?

- ईंधन की उपलब्धता - भारत को IAEA के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत सबसे ज्यादा PHWR को ही रखने का अनुमति प्राप्त है।
- महंगी संवर्धन सुविधा स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है।
- स्वदेशी तकनीक, विशेषज्ञता और संसाधनों की उपलब्धता।
- लाइट वॉटर रिएक्टर की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशलता।

15.3. केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा

(Centre to Double Solar Park Capacity)

कैबिनेट ने सौर पार्क की क्षमता को दोगुना करते हुए 40,000 मेगावाट तक बढाने को मंजूरी दे दी है।

राज्य सौर पार्क डेवलपर की पहचान करेगा और उस ज़मीन की भी पहचान करेगा जिस पर इसका निर्माण किया जाएगा।

इस कदम की आवश्यकता

- यह कदम INDCs के भाग के रूप में वैश्विक मंच पर भारत के ग्रीनहाउस उत्सर्जन सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं पर लक्षित है।
- अब तक, 20000 मेगावाट के समतुल्य 34 सौर पार्कों को आरम्भ किया गया है। अब यह कदम इस तरह के अन्य पार्कों को जोड़ेगा।

इंटेंडेड नेशनली डीटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस (INDCs)

- ये 2015 में UNFCCC की COP 21 बैठक में देशों द्वारा 2020 के पश्चात जलवायु कार्यवाहियों पर की गयी सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं हैं।
- प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखना है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)

- **यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी** है।
- यह वर्तमान में **भारत सरकार के कई सौर कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी है।**

योजना की पात्रता

- **सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के लिए पात्र हैं।**
- **भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत योजना का प्रबंध करेगी।

VISION IAS

कदम का महत्व

- **यह कदम वर्ष 2019 -2020 तक लगभग 500 मेगावाट के कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने में मदद करेगा। इससे वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में रूपान्तरण को बढ़ावा** देने में सहायता मिलेगी।
- कार्बन उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के कारण यह भारत को एक पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास प्रदान करेगा।
- यह सौर और संबद्ध उद्योगों जैसे कांच, धातु, भारी औद्योगिक उपकरण आदि में व्यापक स्तर पर **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर** पैदा करेगा।
- सौर पार्क **प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि न करने योग्य भूमि का उत्पादक उपयोग** भी सुगम बनाएगा जो परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी सुगम बनाएगा।
- केंद्र 20 लाख रुपये प्रति मेगावॉट की केन्द्रीय वित्तपोषण सहायता या परियोजना लागत के 30%, दोनों में से जो भी कम हो, के अतिरिक्त 25 लाख रुपये तक का अनुदान भी देगा। इससे **हरित परियोजनाओं के लिए क्रेडिट प्रवाह में सुधार होगा।**

15.4.ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र

(Energy Saving Certificates)

ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के मसौदे (ड्राफ्ट एनर्जी सेविंग्स सर्टिफिकेट) के नियमों के तहत, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ने विद्युत् विनिमय केन्द्रों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों (ESCs) के व्यापार को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव

- पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को ESCs के पंजीकरण की भूमिका निभानी है।
- ESCs के विनिमय के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को प्रशासक की भूमिका में नियुक्त किया गया है।
- CERC समय-समय पर प्रशासक द्वारा तैयार की गई प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करेगा और उन्हें स्वीकृति देगा। यह विद्युत् बाजारों के सन्दर्भ में बाजार निगरानी भी करेगा।

परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम

- **यह राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency)** के तहत एक स्कीम है।
- इसे ऊर्जा-गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- यह प्रमुख उद्योगों जैसे ताप विद्युत, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि पर लक्षित है।
- यह बाजार आधारित तंत्र है जो ESCerts (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र) के व्यापार की अनुमति देता है।
    - ऊर्जा दक्षता मानकों को हासिल करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा 2013 में ESCerts पेश किए गए थे।
    - ये BEE या विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।
    - एक प्रमाण पत्र **एक मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (mtoe)** ऊर्जा की खपत के बराबर है।

कदम का महत्व

- **यह ESCs का आदान-प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी और कार्यकुशल मंच** तैयार करेगा।
- यह विद्युत्, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को खरीदने और बेचने के लिए वन-स्टॉप शॉप बनने हेतु भारतीय ऊर्जा विनिमय जैसे विद्युत् विनिमय केन्द्रों को सक्षम करेगा।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र:

- यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और अनिवार्य नवीकरणीय खरीद दायित्वों (mandatory purchase obligation) के बीच असंगतता को संबोधित करता है।
- इसका मूल्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा अन्तःक्षेपित (injected) 1 मेगावाट विद्युत के बराबर है।

आगे की राह

- विद्युत् विनिमय केन्द्रों के माध्यम से ESCs का व्यापार एक स्वागत योग्य कदम है। **सरकार को ESCs का एक आधार मूल्य भी तय करना चाहिए** ताकि अधिक आपूर्ति की दशा में उनकी कीमत बाज़ार कीमतों से नीचे न गिरे।

16. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

(COAL AND HYDROCARBON)

16.1. शक्ति नीति

(Shakti Policy)

मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक कोल लिंकेज नीति को मंजूरी दी है जिसे **स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांस्पैरेन्टली इन इंडिया (SHAKTI)** नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य ऊर्जा कंपनियों को दीर्घावधि के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करना है।

आवश्यकता:

- बिजली की बढ़ती मांग के कारण कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है। कोयले की मांग और आपूर्ति में संतुलन के अभाव में बिजली कंपनियाँ विदेश से कोयला आयात करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। अतः यह समय की मांग है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो और कोयला-उत्पादकों को बिजली-उत्पादकों के साथ जोड़ने के लिए एक कोल लिंकेज नीति तैयार की जाए।

भारत में बिजली उत्पादन

तापीय उर्जा - 69.3% जिसमें 60.8% कोयले से आती है

जलविद्युत (नवीकरणीय) - 14.0%

परमाणु उर्जा - 1.9%

नवीकरणीय उर्जा स्रोत - 14.9%

सरकार और निजी कंपनियों के बीच कोयला विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए **कोल मित्र वेब पोर्टल**।

खनन कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए **TAMRA वेब पोर्टल** और मोबाइल एप्लिकेशन |

खनन निगरानी तंत्र (Mining Surveillance System), खान मंत्रालय द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है। इसके लिए स्वचालित *रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलोजी* तथा सार्वजनिक भागीदारी का उपयोग किया जायेगा। इसका उद्देश्य अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी खनिज प्रशासन की स्थापना करना है।

नीति के प्रावधान:

- राज्य स्वामित्व वाली ऊर्जा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को कोल लिंकेज प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात डिस्कॉम्स राज्यों या केंद्र के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को आवंटन के माध्यम से और निजी इकाइयों को नीलामी के माध्यम से कोल लिंकेज उपलब्ध कराएँगी।
- वे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स: IPPs) जिनके पास विद्युत क्रय समझौते (पावर पर्चेज़ एग्रीमेंट्स: PPAs) हैं, नीलामी में भाग लेंगे और मौजूदा शुल्कों में छूट के लिए बोली लगायेंगे। इस छूट को सकल कोयला बिलों (ग्रॉस कोल बिल्स) से समायोजित किया जाएगा।
- वे IPPs जिनके पास विद्युत क्रय समझौते नहीं हैं, कोयला कंपनी द्वारा अधिसूचित मूल्य पर बोली लगाएँगे।

महत्व:

- यह उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में **30,000 मेगावाट क्षमता के उन विद्युत संयंत्रों** में उत्पादन पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा जो ईंधन आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं।

VISION IAS

- इससे आयातित कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। अधिकांश ताप विद्युत परियोजनाएँ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल जाने की कगार पर हैं। PPAs होने के बावजूद वे बिजली नहीं बेच पा रही हैं क्योंकि ईंधन की आपूर्ति का अभाव है। इस नीति से यह समस्या हल हो जाएगी।
- यह नीति उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत शुल्क दरों को कम करने में मदद करेगी।

चुनौतियाँ:

- यह लिंकेज नीति उन प्रोजेक्ट डेवेलपर्स को छूट प्रदान करती है जो कैप्टिव माइंस (किसी उद्योग विशेष के लिए निर्धारित खदानों) की अग्रिम पूँजी लागतों और जोखिमों से सम्बद्ध हैं। इससे कुछ समय के लिए सरकारी खजाने में प्रत्यक्ष लाभ की कमी हो सकती है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले तापीय संयंत्रों को **आवंटन के आधार पर** जबकि निजी डेवलपरों को **नीलामी प्रक्रिया के आधार पर** कोल लिंकेज देने से विद्युत बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह:

- सभी नागरिकों को 24x7 बिजली प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह भारत में बढ़ते शहरीकरण और लोगों की आकांक्षाओं के लिए भी लाभप्रद होगा।

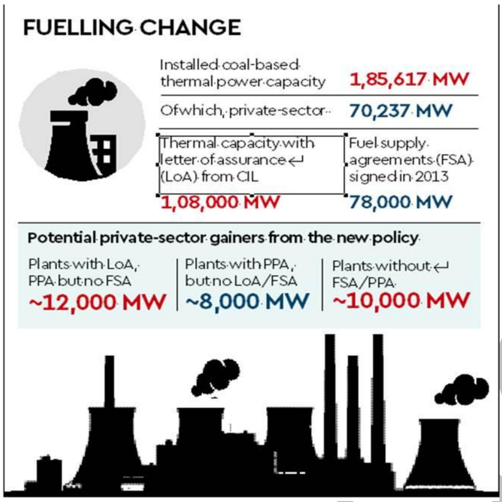

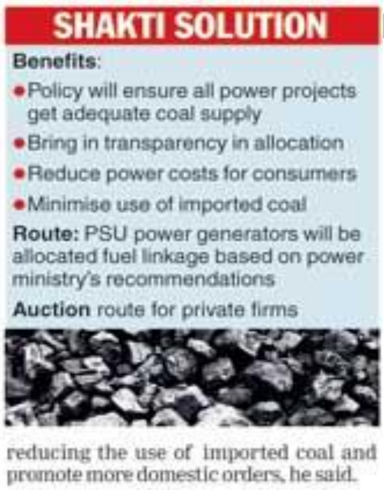

16.2. भारत के हाइड्रोकार्बन उद्योग में बाधाएं:

(Roadblocks in Hydrocarbon Industry of India)

तमिलनाडु के नेदूवसल गांव के किसान डिस्कवर्ड स्माल फ़ील्ड्स बिडिंग के तहत आवंटित एक ऑनशोर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट ब्लाक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

नई ऊर्जा परियोजनाओं की आवश्यकता

- भारत मौजूदा समय में अपनी **प्राकृतिक गैस आवश्यकता का 40% तथा कच्चे तेल की आवश्यकताओं के 80% से अधिक** आयात कर रहा है। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भण्डार में पर्याप्त कमी आई है तथा घरेलू मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण भी कमज़ोर हुआ है।
- आर्थिक विकास के साथ मांग बढ़ रही है, किन्तु **घरेलू उत्पादन में गिरावट** आ रही है।

नई घरेलू परियोजनाओं के लिए चुनौतियां

- **भूमि की कमी** के कारण, **तटवर्ती (ऑनशोर) तेल परियोजनाओं** के खिलाफ किसान समुदाय कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

> **अंडर रिकवरीज़**
>
> - यह उस अनुमानित राष्ट्रीय हानि को इंगित करता है जो सब्सिडीकृत मूल्य, जिस पर कंपनियां डीज़ल जैसे कुछ निश्चित उत्पाद बेचती हैं, तथा उस मूल्य के बीच अंतर के कारण होती है जो कंपनियों को अपनी उत्पादन लागत को प्राप्त करने के लिए मिलना चाहिए था।

VISION IAS

हाइड्रोकार्बन मूल्य निर्धारण:

तेल क्षेत्र:

- नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति उत्पादन साझा (प्रोडक्शन शेयरिंग) मॉडल के बजाय राजस्व साझा अनुबंध (रेवेन्यु शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट) को बढ़ावा देती है।
- राजस्व साझा अनुबंधों में उच्च जोखिम होने के कारण यह नीति इस क्षेत्र में बड़े निवेश को हतोत्साहित कर सकती है।

गैस क्षेत्र:

- कच्चे तेल के विपरीत, घरेलू गैस कीमतें बाज़ार आधारित नहीं है बल्कि फार्म्यूला-आधारित हैं।
- यह 4 अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों के भारित औसत के रूप में प्रत्येक 6 महीनों पर निर्धारित की जाती हैं। ये बेंचमार्क हैं- US आधारित हेनरी हब, कनाडा आधारित अल्बर्टा गैस, UK आधारित NBP तथा रशियन गैस,

निवेश:

- ऐसा देखा गया है कि PSU कंपनियां भी सब-ऑप्टीमल निवेश कर रही हैं।
- उदाहरण के लिए, ONGC ने KG बेसिन में GSPC के संपूर्ण 80% शेयरों को 1.2 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। उल्लेखनीय है कि इसे घाटे के सौदे के रूप मे भी वर्णित किया जाता है।
- सब-ऑप्टीमल पूँजी आवंटन PSU कंपनियों की भविष्य की संभावनाओं में निवेश करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है।
- **ख़राब अवसंरचना :** गैस क्षेत्र में ख़राब निकासी (इवैक्यूएशन) अवसंरचना जैसे ख़राब पाइप लाइन कनेक्टिविटी के कारण भारत में यह क्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर सका है।

हाइड्रोकार्बन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मूल्य निर्धारण सुधार:** वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के गिरने के बाद पेट्रोल और डीज़ल जैसे इंधनों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया गया है। इसके चलते तेल कंपनियों के लाभ की सीमा में भी सुधार हुआ है।
- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग पॉलिसी के निम्नलिखित प्रावधान है:
  - **रेवेन्यु शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट:** वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होते ही सरकार के साथ राजस्व साझा करना।
  - **एकीकृत लाइसेंसिंग नीति:** एक ब्लॉक में सभी संभव हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण
  - **ओपन एक्रीएज लाइसेंसिंग:** अन्वेषक/बिडर्स औपचारिक नीलामी की प्रतीक्षा किये बिना स्वयं अन्वेषण ब्लॉक्स का चयन कर सकते हैं।
  - दुर्गम क्षेत्रों से नए गैस उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता।
- भारतीय तेल कंपनियों ने US में **शेल गैस के अन्वेषण के लिए अनुबंधों** पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ **दीर्घकालिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में पुन: वार्ताएं (रिनिगोशीएशन)**।
- तेल की कम कीमतों के वर्तमान समय में विशाखापट्टनम, पादूर, बीकानेर आदि जैसी जगहों में **सामरिक भंडार का नियोजन**।
- हाल के बजट में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रक की एक **एकीकृत 'तेल कंपनी (ऑयल मेजर)'** के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह उन बड़ी विदेशी परिसंपत्तियों हेतु बोली लगाने के लिए वित्तपोषण को मज़बूत करेगा जिनके लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

16.3. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र

(Fuel Administered Price Mechanism)

हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism: APM) समाप्त कर दिया।

पृष्ठभूमि

- नरसिम्हा राव सरकार ने प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने का खाका खींचने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में **"आर समिति" (‘R’ अर्थात रिफार्म या सुधार)** का गठन किया था।
- किन्तु इस प्रकार का तंत्र सफल नहीं हो पाया क्योंकि 21वीं सदी के प्रथम दशक में कच्चे तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हो गईं और सुधारों पर राजनीतिक आम सहमति नहीं बन पायी थी।

ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र

- 1970 के दशक के आरम्भ में सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों - कालटेक्स, एस्सो और बर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण करने के बाद APM का सृजन किया गया था।
- APM के साथ ही सरकार ने आयल पूल एकाउंट्स की प्रणाली भी स्थापित की, जिसका प्रशासन तेल समन्वय समिति (Oil Cordination Committee: OCC) द्वारा किया जाता था।
- तेल शोधन कंपनियों के कामकाज की निगरानी करने के लिए OCC का दर्ज़ा घटाकर उसे पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन **पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ** (Petroleum Planning and Analysis Cell) बना दिया गया।
- प्रशासित मूल्य निर्धारण मे कॉस्ट प्लस फ़ॉर्मूले के अंतर्गत, सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कच्चे तेल की खरीद और शोधन के आधार पर तय की जाती हैं।
- • पेट्रोलियम उत्पादों के बीच क्रॉस सब्सिडाईज़ेशन प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत अस्तित्व में था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और केरोसिन की कीमतों को सब्सिडी दी जाती थी।

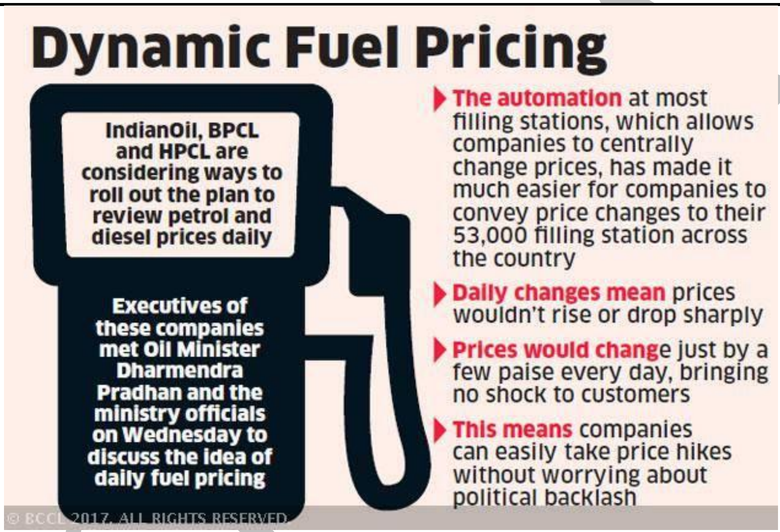

प्रावधान

- **2014 में भारत ने डीजल पर से मूल्य नियंत्रण को हटा लिया था जबकि पेट्रोल पर मूल्य नियंत्रण 2010 में ही समाप्त कर दिया गया** था जिससे सार्वजनिक कंपनियां बाजार कीमतें वसूलने लगीं। वर्तमान में **सार्वजनिक कंपनियां प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े के अंत में कीमतों की समीक्षा** करती हैं।
- अब से **सभी पेट्रोल पंपों पर दैनिक बिक्री कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी** होगी।

महत्व

- अब **तेल कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारित करने के मामले में आयात समता और बाजार बलों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं।**
- इसके साथ ही भारत शीघ्र ही अधिक निजी कंपनियों के प्रवेश के साथ एक जायेगा। इससे ईंधन जैसे दुर्लभ संसाधन के अकुशल आवंटन में सुधार आएगा।**प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था बन**
- इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को तेल से लाभान्वित होने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी खजाने पर बोझ में भी कमी आएगी।

चुनौतियां

- कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर इस तंत्र को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- इससे अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों की असमानता उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए बाजार आधारित कीमत निर्धारण के अस्तित्व में आने पर तटीय राज्यों में ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, जबकि आतंरिक प्रदेशों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी।

- अब मुक्त बाजार में तेल कंपनियों की सफलता के लिए तीन महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होंगे, ये हैं- **रिटेल उपस्थिति, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन। व्यापक स्तर पर रिटेल उपस्थिति कंपनियों के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी।**

16.4. एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत

(India as a Gas Based Economy)

हाल ही में सरकार ने यह कहा कि अन्य ईंधनों जैसे- कोयला एवं तेल की तुलना में बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के चलते प्राकृतिक गैस एक बेहतरीन स्वच्छ इंधन होने के साथ-साथ सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधनों में से एक है।

ऊर्जा गंगा परियोजना:

- इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से कुकिंग गैस (PNG) और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराना है।
- परियोजना के अंतर्गत 2018 तक जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) से हल्दिया (पश्चिम बंगाल) को जोड़ने वाली 2,050 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनायी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित पाँच राज्य शामिल होंगे।

प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदम

'भारत को एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए' उठाए गए कदम

- घरेलू गैस की खोज और इसके उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अथवा LNG के रूप में प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से गैस के स्रोतों का विकास।
- गैस पाइपलाइन अवसंरचना और सम्बंधित वितरण नेटवर्क का विकास।
- उर्वरक, बिजली, परिवहन और उद्योग आदि जैसे गैस की खपत वाले बाजारों का विकास।

विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- हाइड्रोकार्बन संबंधी खोजों से शुरुआती लाभ उठाने के उद्देश्य से विकास व उत्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान अनेक छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण प्रदान करने से संबंधित नीति।
- सीमांत क्षेत्र नीति- खोजे गए छोटे से क्षेत्र से संबंधित नीति।
- समान लाइसेंसिंग नीति- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP)।
- छोटे और मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्रों के विस्तार की अनुमति के लिए नीति।
- गहरे जल और अतिशय गहरे जल वाले क्षेत्रों आदि से उत्पादित गैस के लिए विपणन संबंधी **स्वतंत्रता** के लिए नीति।
- न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) ब्लॉकों के अधीन किए गए खोजों के लिए परीक्षण आवश्यकताओं पर नीति।
- दुर्गम क्षेत्रों से गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विपणन संबंधी कई छूटें प्रदान की है, जैसे- मूल्य निर्धारण। साथ ही हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति: HELP) के तहत भविष्य में अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे।

इन क़दमों की आवश्यकता क्यों?

- प्राकृतिक गैस अन्य इंधनों जैसे- कोयला एवं तेल की तुलना में बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला एवं सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधनों में से एक है।

VISION IAS

- एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार के ये कदम न केवल जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र विश्व स्तर पर एक जिम्मेदार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, अपितु ये अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिए भारी निवेश भी आकर्षित करेंगे।
- यह आशंका व्यक्त की गयी है कि भारत के लिए गैस आपूर्ति में असंतुलन (घाटे) इस वित्तीय वर्ष के 78 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन (mscmd) से बढ़कर 2021-22 में 117 mscmd हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। इस प्रकार इन नीतिगत पहलों और अन्य सुधारात्मक पहलों के कार्यान्वयन से घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

16.5. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

(DBT for Kerosene)

इसके बारे में

- LPG/रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की योजना के बाद सरकार किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए भी प्रत्यक्ष DBT लांच करने की योजना बना रही है।
- इसने इस प्रक्रिया को झारखण्ड के चार जिलों में एक पायलट कार्यक्रम के माध्यम से आरम्भ किया है।
- DBTK योजना के अंतर्गत, PDS किरोसिन को गैर-सब्सिडी युक्त मूल्य पर बेचा जा रहा है, एवं, सब्सिडी, स्वीकार्य होने पर, सीधे उपभोक्तओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।
- सरकार की इस पहल का लक्ष्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी चोरी में कटौती करना एवं प्रशासनिक लागतों को कम करना है। यह, इस प्रकार, सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाना चाहती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- सुव्यवस्थित और एकीकृत डिजिटल उपभोक्ता डेटाबेस का अभाव: रसोई गैस के सभी उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्रक की तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत थे, जिससे उपभोक्ता डेटा संकलित करना सरल हो गया था। हालांकि, किरोसिन के मामले में उपभोक्ता डेटा अपने राज्यों के पास उनकी PDS के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार विशेष रूप से गैर-डिजीटलीकृत PDS लाभार्थी डेटाबेस के मामले में, राज्य स्तरीय कर्ताओं की बड़ी संख्या के बीच समन्वय का प्रकरण बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है।
- केंद्र और राज्यों के बीच अंतर: यद्यपि केंद्र सब्सिडी के वित्तीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करता है, किन्तु लाभार्थियों और सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। इस प्रकार इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को इस विचार के अनुरूप होना चाहिए।
- डीजल और सब्सिडी-रहित किरोसिन के बीच मूल्य का अंतर अभी भी इतना अधिक होगा कि यह दलालों को इस ईंधन को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग करने हेतु इसकी आपूर्ति का मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होगा।
- दूसरी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह सब्सिडी प्रमुख लाभार्थियों अर्थात् गरीब घर-परिवारों तक पहुँचे। वर्तमान में, दूरदराज के स्थानों में बैंक शाखाएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं हैं, परिणामस्वरूप बैंक से धन आहरण की लागत बढ़ जाती है।

आगे की राह

- अध्ययनों से पता चलता है कि किरोसिन मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में प्रकाश उत्पन्न करने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 प्रतिशत से कम लोग ही इसका प्रयोग भोजन पकाने के प्रमुख ईंधन के रूप में करते हैं।
- इस प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा चालित समाधानों एवं भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दीर्घावधि में यह सरकार और साथ ही साथ घर-परिवारों दोनों ही के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा।

VISION IAS

17. विद्युत्

(ELECTRICITY)

17.1. राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा (उत्पादन)

(Draft National Electricity Plan [Generation])

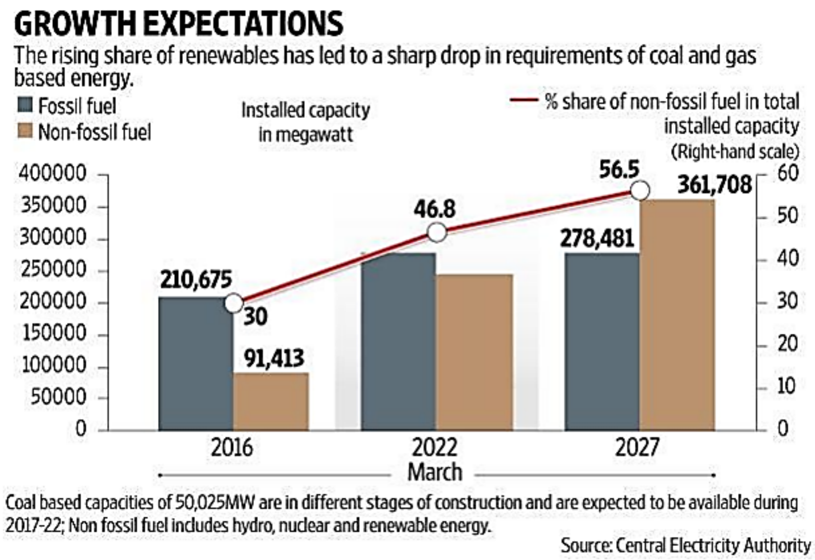

केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदे (उत्पादन) का विमोचन किया।

मसौदा योजना की मुख्य विशेषताएं

- दस्तावेज में 2017-22 के दौरान, गैस से 4340 मेगावाट, जलविद्युत से 15,330 मेगावाट और 2,800 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता के सृजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 115326 मेगावाट की प्रतिबद्ध क्षमता का अनुमान लगाया गया है।
- विद्युत् उत्पादन हेतु 2022-27 की अवधि के लिए, जल और परमाणु आधारित परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- इस अवधि में कोयला आधारित क्षमता सृजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 44 गीगावॉट की आवश्यकता के विरुद्ध 50 गीगावॉट की क्षमता परियोजना पहले से ही निर्माणाधीन है।
- यह कहा गया है कि, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन द्वारा 2021-22 और 2026-27 में क्रमशः कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 20.3 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत योगदान किया जाएगा।
- भारत में अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपायों को मद्देनज़र रखते हुए, इसने अगले 10 वर्षों में भारत में उच्च विद्युत् मांग के संबंध में 18वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (EPS) की रिपोर्ट में लगाए गए अनुमानों की तुलना में इसे (उक्त मांग को) कम करके आंका है।
- ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने हेतु इसने निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं:
  - भवनों के लिए एक ऊर्जा दक्षता कोड का विकास,
  - लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता योजना आरम्भ करना,
  - कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा कुशल पंप सेट का उपयोग करना, और
  - मांग आधारित मूल्य निर्धारण जैसे नियामक साधनों को लाना।

शामिल मुद्दे

- कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि, नवीकरणीय ऊर्जा, पनबिजली और गैस आधारित परियोजनाओं के क्षेत्र में विस्तार को अमल में नहीं लाया जा सका है, इसलिए यदि सरकार CEA के अनुमान पर टिकी रही तो, बिजली की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है।
- यद्यपि विद्युत् की उच्च मांग को नीचे लाने की योजना है, वहीं इस बात की भी चिंता है कि सरकारी पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया', गांवों / घरों के विद्युतीकरण और नए स्मार्ट शहरों के निर्माण से विद्युत् की मांग में वृद्धि होगी।

हाल ही में उठाये गए कदम

24X7 विद्युत (24X7 Power for all) का लक्ष्य 2019 तक देश के सभी स्थानों पर हर समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कोयला आपूर्ति में उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ **पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि के लिए सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन (SEVA) की शुरुवात की गयी है।**

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): यह विधुत मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम ह जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसे पहले राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के नाम से जाना जाता था।

GARV-II ऐप, देश के सभी गाँवों (6 लाख) को ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराएगा।

उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना): यह योजना वित्तीय व्यवस्था और बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के पुनरुद्धार के लिए शुरू की गयी है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यह योजना समस्या का एक दीर्घकालिक स्थायी समाधान सुनिश्चित करती है।

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA): यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित किया गया एक सांविधिक संगठन है।
- यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप तैयार की जाए।

17.2. विद्युत पारेषण योजना

(Power Transmission Planning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा गठित माता प्रसाद समिति ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर विद्युत पारेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए पारेषण योजना का पुनरुद्धार करने का सुझाव दिया है।

महत्वपूर्ण सुझाव

- दीर्घावधिक विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) की व्यवस्था के विपरीत पारेषण योजना को उपभोक्ता की आकांक्षाओं को पूरा करने के अनुरुप होना चाहिए। पारेषण योजना राज्यों के अनुमानित भार एवं वरीयता क्रम संचालन के आर्थिक सिद्धातों के आधार पर प्रत्याशित उत्पादन परिदृश्य के आधार पर भी की जा सकती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में पारेषण प्रणाली की योजना प्रत्येक राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना एवं नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं में अनुमानित क्षमता बढ़ोत्तरियों के आधार पर केन्द्रीय पारेषण व्यवस्था (CTU) द्वारा भी निर्मित की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र ने पहले ही 2032 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बढ़ोत्तरी करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
- विद्युत बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण कॉरिडोर का आवंटन उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रत्येक फ्लो गेट के 5% भाग को अगले दिन के संयुक्त लेन-देन के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जिसे विद्युत एक्सचेंजों द्वारा कॉरिडोर के गैर-उपयोग के मामले में आनुषंगिक बाजार (contingency market) के लिए जारी किया जा सकता है। इसकी वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।
- समिति ने भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में उत्पादकों के केन्द्रीय भंडार का निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जहाँ नए उत्पादन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव देने वाले किसी उत्पादन परियोजना विकासकर्ता को अनिवार्य रूप से स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए। यह न केवल पारेषण योजना प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा बल्कि असमन्वित उत्पादन बढ़ोत्तरियों से उत्पन्न होने वाली समस्यायों का भी निराकरण करेगा।
- समिति ने सटीक मांग पूर्वानुमानों के लिए CEA एवं CTU द्वारा राज्यों की हैण्ड-होल्डिंग के मामले को मजबूती के साथ रखा है।

महत्व

ये अनुशंसाएँ भारत की विद्युत अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली पारेषण व्यवस्था हेतु बेहतर दीर्घावधिक योजना निर्मित करने में सहयोग करेंगी।

VISION IAS

18. बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जलमार्ग

(PORTS AND INLAND WATERWAYS)

18.1. मर्चेंट शिपिंग विधेयक

(Merchant Shipping Bill)

मंत्रिमंडल ने एक नए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और 1838 के कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय टन भार में बढ़ोतरी (Augmentation of Indian tonnage promotion)
  - भारी-स्वामित्व वाले जहाजों को भारतीय ध्वज पोतों (Indian flag vessels) के रूप में पंजीकरण की अनुमति देकर;
  - भारतीय नियंत्रित टन भार को एक अलग श्रेणी की पहचान देकर;
- निम्नलिखित द्वारा भारत में तटीय शिपिंग का विकास
  - तटीय ऑपरेशन के लिए भारतीय ध्वज पोतों को लाइसेंस जारी करने की जरूरत पूरी करके और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बंदरगाह मंजूरी दिलाकर; और
  - तटीय जहाजों का विकास और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग नियम बनाकर।
- नाविकों के लिए कल्याणकारी उपायों की शुरुआत, जैसे: -
  - समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बना लिए गए नाविकों को तब तक मजदूरी प्राप्त होगी जब तक वे रिहा होकर सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचते;
- किसी भी क़ानून के तहत सम्मिलित नहीं होने वाले कुछ बची हुई श्रेणी के जहाजों का पंजीकरण और साथ ही सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के लिए प्रावधान भी इसमें शामिल है।
- सभी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) कन्वेंशनों / प्रोटोकॉल को भारतीय कानूनों में शामिल करना। **(बॉक्स देखें)**

इंटरनेशनल कन्वेंशन

- द इन्टर्वेन्शन कन्वेंशन, 1969
- सर्च एंड रेस्क्यू कन्वेंशन, 1979
- द प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स एनेक्स VI टू मरीन पोल्यूशन कन्वेंशन,
- द कन्वेंशन फॉर कण्ट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ़ शिप्स बैलस्ट वाटर एंड सेडिमेन्ट्स, 2004
- द नैरोबी रेक(Wreck) रिमूवल कन्वेंशन, 2007
- द सालवेज कन्वेंशन 1989 तथा
- द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बंकर आयल पोल्यूशन डैमेज ,2001

- 1838 का कोस्टल वेसल्स अधिनियम ब्रिटिश काल का एक पुराना कानून है जिसके तहत बिना मैकेनिकल प्रोपल्सन वाले जहाजों का ही पंजीकरण किया जा रहा है और वो भी सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ अधिकार क्षेत्र में, इसलिए उसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2016 में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनमें पूरे भारत के जहाजों का पंजीकरण किया जाएगा।

निहितार्थ

- विधेयक के विभिन्न प्रावधान भारत में मर्चेंट शिपिंग को शासित करने वाले कानूनों को सरलीकृत करेगा और साथ ही भारत के सागरमाला परियोजना और तटीय आर्थिक क्षेत्र के विकास में इससे मदद मिलेगी।
- अनावश्यक एवं निरर्थक प्रावधान निरस्त होंगे और शेष अच्छे प्रावधान समेकित किये जाएंगे जिससे ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को बढ़ावा मिलेगा।

VISION IAS

18.2.द मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटिज बिल, 2016

(Major Ports Authority Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट,1963' के स्थान पर 'द मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटिज बिल 2016' को स्वीकृति दी है।

बंदरगाहों से संबंधित मद्दे

- पोर्ट ट्रस्ट, निजी ऑपरेटरों को समय पर भूमि पट्टे पर नहीं दे रहे हैं।
- निर्णयन की प्रक्रिया में कई एजेंसियों के सम्मिलित होने के कारण विलम्ब होता है।
- विभिन्न हितधारकों द्वारा अपने तरीके से रियायत समझौतों की व्याख्या करने के कारण मतभेद और मुकदमें बढ़ते हैं।
- वर्तमान में हितधारकों के बीच विवादों के निपटान हेतु कोई स्वतंत्र बोर्ड नहीं है।
- यद्यपि बंदरगाह क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, परन्तु अब भी शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी से बोली लगाने को आकृष्ट करने वाली निविदा प्रक्रिया (tendering process inviting bidding) का आमतौर पर सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए, पालन नहीं किया जाता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- नए विधेयक में **पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड** के ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 3-4 स्वतंत्र निदेशकों सहित केवल 11 सदस्य होंगे जबकि अभी विभिन्न हित समूहों के 17 से 19 सदस्य होते हैं।
- **प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ अथॉरिटी (Tariff Authority of Major Ports:TAMP)** की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब **पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड** को टैरिफ तय करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो PPP परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्य से जिन मानदंडों की सिफारिश की गयी थी, उन मानदंडों पर टैरिफ सुनिश्चित करेगा।
- BPA को बंदरगाह से संबंधित प्रयोजनों हेतु 40 वर्षों के लिए तथा बंदरगाह से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु 20 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने हेतु अधिकृत किया गया है। तथा इसे अन्य बंदरगाह से सम्बंधित सेवाओं एवं परिसंपत्तियों (जैसे भूमि) की कीमत तय करने के लिए भी सशक्त किया गया है।
- विधेयक में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार CSR गतिविधियों एवं लेखा परीक्षा का उल्लेख है। साथ ही इसमें पत्तन प्राधिकरण द्वारा अवसंरचनात्मक विकास किए जाने के बारे में भी उल्लेख है।
- एक स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड (Independent Review Board: IRB) प्रस्तावित किया गया है जो प्रमुख बंदरगाहों के लिए तत्कालीन TAMP के पुराने मामलों को सुलझाएगा। इसमें यह बंदरगाहों और PPP रियायतदारों के मध्य विवादों को सुलझाएगा, PPP परियोजनाओं की समस्याओं की समीक्षा करेगा और परियोजनाओं से जुड़े PPP संचालनकर्ताओं, बंदरगाह, निजी ऑपरेटरों के बीच होने वाले मसलों को लेकर शिकायतों पर सुझाव देगा।
- IRB निजी ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में की गई शिकायतों की भी जांच करेंगे।

निहितार्थ

- विधेयक देश के प्रमुख बंदरगाहों के संचालन को व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रदान कर उनको अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करेगा।
- यह प्राधिकरण की त्वरित और स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता करेगा जो समग्र रूप से सरकार, हितधारकों और देश के लिए मददगार साबित होगा।
- पेशेवर स्वतंत्र सदस्यों के साथ एक सुगठित बोर्ड निर्णय निर्माण और रणनीतिक नियोजन (strategic planning) को मजबूती प्रदान करेगा।
- यह बंदरगाहों की परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर बनाएगा।

VISION IAS

- यह विधेयक केंद्रीय बंदरगाहों के प्रशासन मापदंडो को लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अनुरूप पुनःस्थापित करने में सहायक होगा। वर्तमान में भारत के प्रमुख पत्तनों पर टर्मिनल ऑपरेशन भी होते हैं जिसके फलस्वरूप ये पत्तन प्रशासन के हायब्रिड पोर्ट मॉडल बन गए हैं।

निष्कर्ष

- भारत में लम्बे समय से अप्रयुक्त मॉडल- सर्विस पोर्ट मॉडल के हायब्रिड प्रारूप का प्रयोग किया किया जा रहा है, जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से सुसंगत रहा है।
- वैश्विक रूप से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को ही निरंतर अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में पोर्ट ट्रस्ट और निजी क्षेत्र के मध्य हितों में टकराव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कई मामलों में पोर्ट ट्रस्ट ही बंदरगाह नियामकों और व्यावसायिक सेवा प्रदाता दोनों के रूप में कार्य करता है।
- अतः बंदरगाह की दक्षता बढ़ाने हेतु लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में सुचारु परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है।

लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल

सार्वजनिक रूप से शासित पत्तन प्राधिकरण, एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, वहीं नौभार-संचालन (cargo-handling) का कार्य निजी क्षेत्र की कंपनियाँ करती हैं। हालाँकि, पत्तन प्राधिकरण बन्दरगाह पर मालिकाना हक रखता है लेकिन बुनियादी ढाँचे का निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। बदले में, पत्तन प्राधिकरण (लैंडलॉर्ड पोर्ट) निजी कंपनियों से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त करता है।

सर्विस पोर्ट मॉडल

पत्तन प्राधिकरण, नियामक निकाय होने के साथ-साथ बन्दरगाह पर मालिकाना हक भी रखता है और सभी तरह की चल-और अचल सम्पतियों का स्वामी भी होता है। पोर्ट ट्रस्ट, लैंडलॉर्ड और कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर होता है।

18.3. जल विकास मार्ग परियोजना

(Jal Vikas Marg Project)

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा वाराणसी तथा हल्दिया के मध्य जल विकास मार्ग परियोजना के पहले चरण (राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की क्षमतावृद्धि) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए विश्व बैंक तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

बजट 2015-16 के दौरान जल विकास मार्ग परियोजना की घोषणा की गई।

जल विकास मार्ग परियोजना के बारे में

- इस परियोजना में **गंगा** नदी पर **इलाहाबाद** और **हल्दिया** के बीच 1,620 किलोमीटर की कुल दूरी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) के लिए एक **नौवहन चैनल** बनाने की योजना है। इस चैनल (मार्ग) की **न्यूनतम गहराई 3 मीटर** होगी जिससे चैनल द्वारा 1500-2000 टन भार वाले जहाजों का वाणिज्यिक नेविगेशन किया जा सके। यह परियोजना **6 वर्षों** में पूर्ण होगी।
- इस परियोजना का **मुख्य उद्देश्य** परिवहन के लिए **पर्यावरण अनुकूल, ईंधन कुशल और लागत प्रभावी वैकल्पिक प्रणाली** प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1)** उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हावड़ा, कोलकाता, हल्दिया जैसे प्रमुख शहरों को अपनी सेवाएं दे रहा है।
- इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के विकास से बड़ी मात्रा में कार्गो का परिवहन किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
- **डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कोर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)** के साथ मिलकर **IWAI** राष्ट्रीय जलमार्ग के महत्वपूर्ण नोडल पॉइंट्स पर रेल कनेक्टिविटी वाले लॉजिस्टिक हब भी बनाएगा।

- इस परियोजना में **फेयर-वे का विकास; वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी-मोडल टर्मिनल का निर्माण; नदी नेविगेशन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना; संरक्षण कार्य, आधुनिक नदी सूचना प्रणाली; डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम; नाइट नेविगेशन सुविधाएं; चैनल मार्किंग के आधुनिक तरीके तथा फरक्का पर एक नये स्टेट ऑफ़ आर्ट नेविगेशनल लॉक का निर्माण सम्मिलित है।**
- यह परियोजना रोजगार सृजन, कार्गो के सस्ते, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन, NW-1 से संलग्न क्षेत्रों तथा इसके आंतरिक क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के अधिकतम उपयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विषय में:

- यह 1986 में **जहाजरानी मंत्रालय** के अंतर्गत शिपिंग और नेविगेशन के लिए **अंतर्देशीय जलमार्गों** के विकास और विनियमन हेतु बनाया गया एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।
- प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय **नोएडा (उत्तर प्रदेश)** में है।

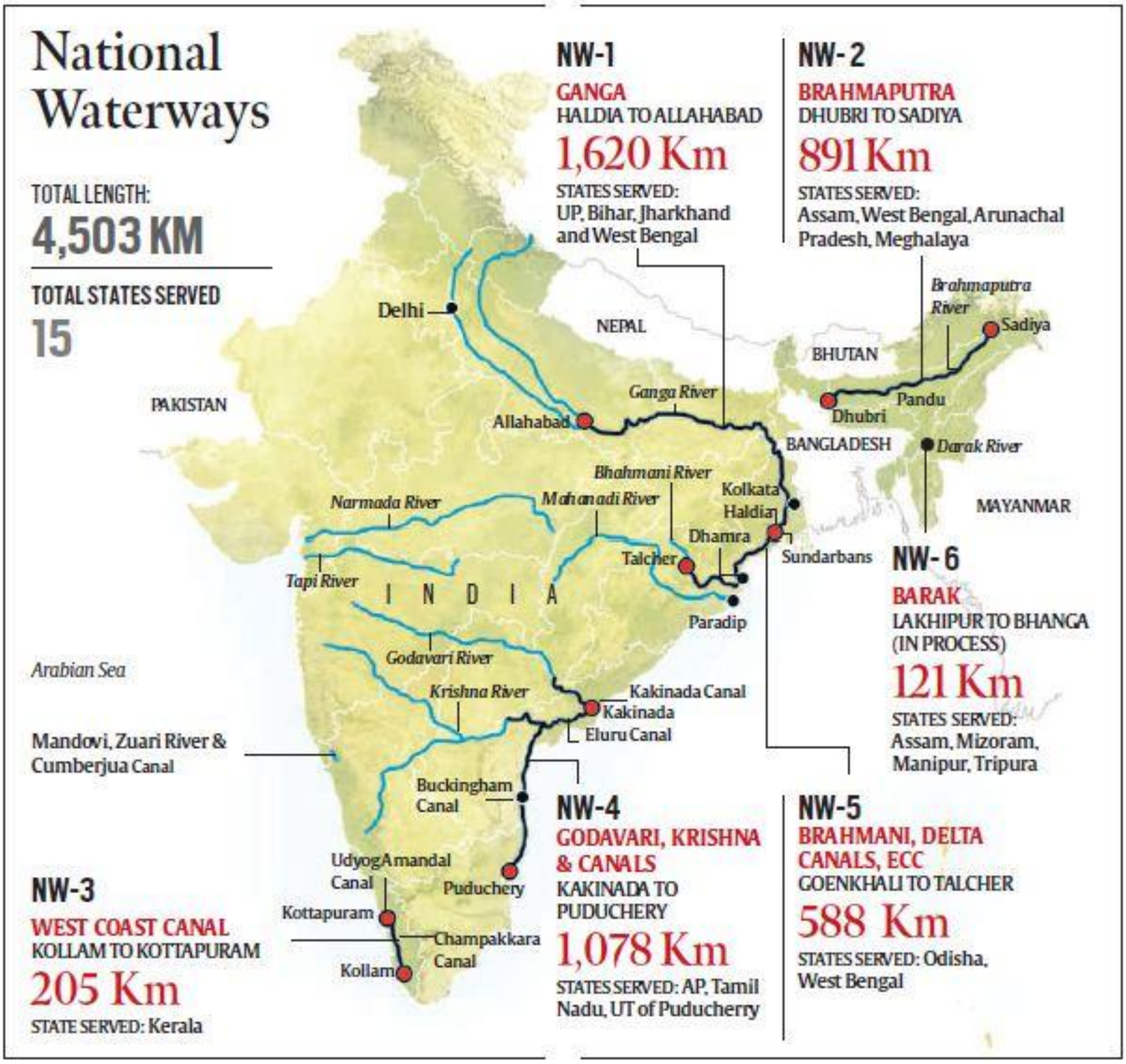

राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) के विषय में:

- भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** का नौपरिवहन योग्य जलमार्ग है जिसमें नदियाँ, नहर, बैकवाटर, खाड़ी आदि शामिल हैं।
- भारत में कुल **111 NW** हैं जिनमें से **106** को **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** के तहत 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।

19. सड़कें

(ROADS)

19.1. ट्रांजिट आधारित विकास नीति

(Transit Oriented Development Policy)

शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने एक ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) नीति प्रकाशित की है।

ट्रांजिट आधारित विकास
यह लोगों को, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) जैसे ट्रांजिट कोरिडोर से साइकिल से या पैदल तय करने योग्य दूरी के भीतर रहने के लिए सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि

- अहमदाबाद, दिल्ली (कड़कड़डूमा), नया रायपुर, नागपुर और नवी मुंबई में ट्रांजिट आधारित विकास परियोजनाएं पहले से ही प्रारंभ कर दी गई हैं।
- ट्रांजिट आधारित विकास की वर्तमान प्रगति निम्न तथ्यों में देखी जा सकती है -
  - सात शहरों में **300 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन** का परिचालन किया जा रहा है और 600 किमी की मेट्रो लाइन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
  - **12 शहरों में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम** प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।
  - दिल्ली में 380 किमी लंबाई के **मास रेल ट्रांज़िट सिस्टम (Mass Rail Transit System)** की शुरुआत की जा रही है।

नीति के बारे में

- **मास ट्रांजिट कॉरिडोर के आस-पास शहरी घनत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:**
  - **फ्लोर एरिया अनुपात को बढ़ाकर उर्ध्वाधर भवनों का निर्माण।**
  - पैदल चलने और साइक्लिंग के लिए **गैर-मोटर चालित परिवहन** को बढ़ावा देना।
  - फीडर सेवाओं के माध्यम से प्रथम और अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी के साथ **विभिन्न परिवहन माध्यमों का समेकित एकीकरण।**
- **यह बढ़ती शहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में TOD पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की समझ को बढ़ाने** के लिए प्रयास करता है। इन चुनौतियों में -
  - बेतरतीब शहरी विकास और कुप्रसार
  - सड़कों पर भीड़-भाड़ और तेजी से बढ़ रहे निजी वाहनों से संबंधित शहरी गतिशीलता की समस्याएँ
  - अनियंत्रित प्रदूषण
  - आवास विकल्प, आदि प्रमुख हैं।
- इसे ट्रांजिट कॉरिडोर में निवेश के बाद बेहतर मूल्यों के माध्यम से, संपत्ति मूल्य में बढ़ोतरी के एक हिस्से को दिशा देकर, वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है
- इसका उद्देश्य **मिश्रित पड़ोस के विकास** के साथ किफायती आवास समेत विभिन्न आवास विकल्प और सड़क विक्रेताओं के लिए रिक्त स्थान सुनिश्चित कर **समावेशी विकास** करना है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक होगा:
  - TOD को मास्टर प्लान्स और डेवलपमेंट प्लान में शामिल करें।
  - राजस्व स्रोत के दोहन के लिए **ट्रांजिट कॉरिडोर से 'प्रभावित क्षेत्र' की पहचान** करना।

VISION IAS

फ्लोर एरिया (Floor Area) अनुपात

जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उस भूमि के आकार की तुलना में भवन के कुल फ्लोर एरिया का अनुपात फ्लोर एरिया अनुपात कहलाता है।

ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) को बढ़ावा देने के लिए अन्य नीतियां

- **TOD को दो और पहलों, मेट्रो नीति** और **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम** के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **नई मेट्रो नीति** के तहत, TOD को अनिवार्य कर दिया गया है जबकि **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम** के तहत, TOD को केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता के साथ एक आवश्यक सुधार के रूप में इसकी सिफारिश की गई है।

प्रस्ताव का महत्व

- **यह मास ट्रांजिट सिस्टम का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में सुधार करके देश की सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने में मदद** करेगा।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन** होगा।
- यह नियोजन द्वारा, प्राप्त भूमि से **बेहतर भूमि उपयोग के अधिक अवसर** भी खोल सकता है। उदाहरण- किफायती आवास
- भूमि उपयोग योजना को परिवहन और अवसंरचना विकास के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह अनियोजित एवं अव्यवस्थित शहरी विकास के वर्तमान स्वरूप के विपरीत संगठित विकास हेत आवश्यक है।

संलग्न चुनौतियां

- **ट्रांजिट आधारित विकास में फंडिंग की कमी** आ सकती है।
- इसके लिए, लोगों को साइकिल से और पैदल चलने हेतु **व्यवहार में बदलाव** लाने की आवश्यकता होगी।
- यह भूमि अधिग्रहण और मार्ग के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी शामिल कर सकता है।
- पुराने बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और फिर से एक नियोजित तरीके से पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए **लोगों की सहमति** और सरकार की ओर से **राजनीतिक इच्छाशक्ति** की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति वाहनों को चलाए जाने के स्थान पर लोगों को चलाए जाने पर ध्यान केंद्रित करती है। नई ट्रांजिट आधारित विकास नीति इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। यह अन्य शहरों में भी संकुलन रहित विस्तार में मदद करेगी।

19.2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Eastern Dedicated Freight Corridor)

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में

- यह भारतीय रेलवे द्वारा पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भारतीय राज्यों को जोड़नेवाला निर्माणाधीन माल गलियारा है।
- यह 1,840 किलोमीटर लंबा है और तीन अनुभागों वाली परियोजनाओं की श्रृंखला के रूप में पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक विस्तृत है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व बैंक समूह के अंग अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I.R.B.D) ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए D.F.C.C.I.L. को $650 मिलियन डॉलर उधार देने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- क्रमशः 975 मिलियन डॉलर और 1,100 मिलियन डॉलर के ऋणों के रूप में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग की सहायता से D.F.C.C.I.L, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले दो चरणों का पहले से ही कार्यान्वन कर रहा है।

VISION IAS

इस परियोजना का महत्व

- इससे रेल परिवहन क्षमता का संवर्धन होगा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में स्थित विद्युत और भारी विनिर्माण उद्योग सीधे लाभान्वित होंगें क्योंकि ये उद्योग भारी और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के साथ-साथ अपने कच्चे माल के कुशल परिवहन के लिए सुचारू रेलवे नेटवर्क पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, रेलवे यात्री भी लाभान्वित होंगें क्योंकि वर्तमान यात्री लाइनों की भीड़भाड़ कम जाएगी।
- इससे संपूर्ण समर्पित मालभाड़ा गलियारा नेटवर्क का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करने के लिए D.F.C.C.I.L की संस्थागत क्षमता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

19.3. सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें

(Other Initiative By Ministry Of Road And Transportation)

भारतीय पुल प्रबन्धन प्रणाली **(Indian Bridge Management System: IBMS)** IBMS का विकास देश के समस्त पुलों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए किया जा रहा है ताकि उनकी संरचना की अवस्था की गंभीरता का आकलन कर सही समय पर उनकी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न किया जा सके। इससे परिवहन दक्षता में सुधार होगा तथा दुर्घटनाओं में कमी आएगी। देश में सभी पुलों को एक अद्वितीय राष्ट्रीय पहचान प्रदान की जायेगी इनकी इंजीनियरिंग विशेषताओं एवं संरचनात्मक घटकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तथा एक पुल वर्गीकरण संख्या प्रदान की जाती है और पुलों को ***स्ट्रक्चरल रेटिंग नंबर*** भी दिया जाता है। पुलों को सामाजिक-आर्थिक पुल रेटिंग संख्या भी दी जा रही है। इससे क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक गतिविधि में पुल के योगदान का महत्व निर्धारित होगा।	लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम **(Logistics Efficiency Enhancement Programme: LEEP)** यह LEEP के तहत देश में माल ढुलाई (freight movement) की मौजूदा लॉजिस्टिक अवसंरचना और गंतव्य स्थानों के गहन परीक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट: DPRs-सर्वे) पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत परियोजना के तहत की गयी है। 44 अलग-अलग माल गलियारों (आर्थिक गलियारों), अंतर गलियारों और फीडर मार्गों पर माल ढुलाई की लागत और समय की बचत के लिए यह किया जाता है। इसका लक्ष्य अवसंरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के हस्तक्षेप के माध्यम से लागत, समय, कन्साइनमेंट (माल) की ट्रैकिंग और स्थानांतरणीयता में सुधार कर भारत में माल परिवहन में सुधार लाना है।	**INAM-Pro+ की शुरूआत** यह एक वेब आधारित पोर्टल है जिसको *नेशनल हाईवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन* (NHIDCL) द्वारा विकसित किया गया है यह एक साझा मंच है जिसके अंतर्गत सीमेंट खरीददारों और विक्रेताओं को एक साथ लाया जाएगा। यह INAM-PRO का एक अपग्रेडेड संस्करण है, जिसमें निर्माण सामग्री, उपकरण / मशीनरी और सेवाएँ जैसे - खरीद/मजदूरी/नये पट्टे/निर्माण सामग्री के डोमेन में प्रयुक्त उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं

VISION IAS

20. उड्डयन

(AVIATION)

20.1. नागरिक उड्डयन में सुधार

(Civil Aviation Reforms)

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार के लिए हाल के दिनों में कुछ प्रस्ताव किये गए हैं

- AAI से संबद्ध भूमि के मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम (AAI अधिनियम) में संशोधन।
- एयर इंडिया, पवन हंस आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का रूपांतरण।

प्रथम मुद्दा: AAI अधिनियम में संशोधन करना

प्रस्ताव की आवश्यकता

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कब्जे में आने वाली भूमि से आय अर्जित करने पर काफी प्रतिबन्ध लगाता है।
- उदाहरणार्थ अधिनियम होटल, रेस्तरां, विश्रामगृह जैसी गतिविधियों के लिए भूमि का उल्लेख करता है और इसकी कोई व्यापक सूची नहीं है।

प्रस्ताव का महत्व

- भूमि का बेहतर मुद्रीकरण सरकार को नागरिक उड्डयन नीति के अनुरूप और अधिक हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति देगा।
- हवाई अड्डा अवसंरचना का निर्माण स्व-वित्तपोषित एवं आत्म-निर्भर हो जाएगा।

द्वितीय मुद्दा: नागरिक उड्डयन PSUs का रूपांतरण

पृष्ठभूमि

- **एयर इंडिया** के पास नए विमानों सहित भारत में सबसे बड़ा बेड़ा है। इसके पास 17% बाजार हिस्सेदारी है और यह घरेलू यात्री बाजार के 14.6% का नियंत्रण करता है।
- एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपये का कर्ज है। 2012 में 10 वर्षों के लिए एक बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी गई थी और अब तक 24,000 करोड़ रुपये इसके तहत दिए जा चुके हैं।
- 2016 में, सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री भी पूरी की।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- **हाल ही की एक रिपोर्ट में एयर इंडिया को विश्व स्तर पर** 2016 में **तीसरी सबसे खराब प्रदर्शन** वाली एयरलाइन बताया गया था।
- हालांकि, एयर इंडिया के घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है और 2014-15 में इसको संचालन लाभ भी हुआ था, किन्तु **एयर इंडिया को इसे बनाए रखने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।**

प्रस्ताव का महत्व

- एयरलाइन को वित्तपोषित करने के लिए सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। साथ ही इसके पुनर्गठन के लिए इस्तेमाल किया गया धन भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह सरकार का ध्यान प्रशासन की गैर-कोर गतिविधियों से कोर गतिविधियों की ओर केन्द्रित करने में सहायता करेगी।

संलग्न चुनौतियां

- निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। राष्ट्रीय एयरलाइंस का निजीकरण हाल ही में प्रस्तावित नागरिक उड्डयन नीति के उद्देश्यों में बाधा हो सकता है। उदाहरण के लिए हवाई किराए की कैपिंग।
- प्रस्तावित निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छंटनी की भी आशंका है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- यह 1995 में गठित एक सांविधिक निकाय है।

इसे देश में भूमि और एयर स्पेस दोनों पर नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

एयर इंडिया पर कैग रिपोर्ट (2011)

- **असफल अधिग्रहण योजनाएं -** रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के वित्तीय रूप से अपंग होने के निम्नलिखित मूल कारण हैं -

VISION IAS

- **विमान खरीदने और किराए पर लेने के लिए धन बर्बाद किया गया था।**
- अधिग्रहण में 8 वर्ष लगे (1996-2004)
- 2004 की शुरुआत में, विमानों के लिए कोई मांग नहीं होने के बावजूद उन्हें शामिल किया गया था।
- विमानों को खरीदने से पहले कोई लागत बेंचमार्क नहीं भेजे गए थे।
- अधिग्रहण को उच्च ब्याज ऋण और उधारी से वित्त पोषित किया गया था।

- **एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय -** यदि इन दोनों एयरलाइनों द्वारा बड़े स्तर पर बेड़े का विस्तार करने से पूर्व विलय कराया गया होता, तो इस विलय द्वारा लाभ प्राप्ति की सम्भावना थी।
- VIPs के लिए सब्सिडी युक्त और मुफ्त यात्रा से एयरलाइन को नुकसान होता है।

अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उदारीकृत नीतियाँ जैसे US के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें, आर्थिक रूप से हानिकारक थीं।

आगे की राह

- हाल के समय में **एयरपोर्ट निजीकरण ने स्वामित्व में बदलाव के बजाय प्रबंधन अनुबंध प्रदान करने का स्वरूप ग्रहण कर लिया है।** उदाहरण के लिए जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डे। यह एक स्वागत योग्य कदम है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49% से अधिक FDI निवेश के लिए सरकार की मंजूरी के साथ 100% तक निवेश की छूट प्रदान की गई है। यह भारत के नागर विमानन क्षेत्र को खोलने की दिशा में एक क्रमिक कदम भी है।
- लघु स्तर के परिचालनों की निजी क्षेत्रों को आउटसोर्सिंग जैसे विकल्पों से आरम्भ करते हुए नागरिक उड्डयन PSUs में सुधार किया जाना चाहिए।

20.2. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ

(Regional Connectivity Scheme 'Udan' Launched)

योजना के बारे में

- UDAN क्षेत्रीय उड्डयन बाज़ार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य है- **"उड़े देश का आम नागरिक"।**

प्रमुख विशेषताएं

- उड़ान योजना 200 किमी से 800 किमी के बीच की उड़ानों पर लागू होगा जबकि पहाड़ी, सुदूरवर्ती, द्वीपीय तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा नियत नहीं की गयी है।
- इस योजना में एक न्यूनतम संख्या में उड़ान सीटों को आरक्षित करना है अर्थात रियायती दरों पर सीटें उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही यह कम दूरी की उड़ानों के किराए पर भी एक अधिकतम सीमा नियत करती है।
- इसे दो साधनों के आधार पर प्राप्त किया जाएगा:
  - केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विमान पत्तन संचालकों से रियायतें जैसे कि करों में छूट, पार्किंग तथा लैंडिंग शुल्क से छूट, इत्यादि के रूप में **वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करना।
  - ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानों का आरम्भ करने के इच्छुक एयरलाइनों के लिए **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** प्रदान करना जिससे कि यात्री किरायों को वहनीय रखा जा सके।
    - रूचि रखने वाले ऑपरेटर, योजना लागू करने वाली एजेंसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात ऐसे सभी मार्ग प्रस्तावों को उत्क्रमित बोली व्यवस्था के माध्यम से स्पर्धी बोली लगाने की पेशकश की जाएगी और उस ऑपरेटर को मार्ग अधिकार मिलेगा जिसकी बोली प्रति सीट न्यूनतम VGF की होगी।
    - तीन वर्ष की अवधि के पश्चात इस सहायता को वापस ले लिया जाएगा। उस अवधि के समाप्त होते-होते उन मार्गों के स्वतः वहनीय हो जाने की अपेक्षा की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत VGF संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक **क्षेत्रीय संपर्क कोष (रीजनल कनेक्टिविटी फण्ड: RCF)** बनाया जाएगा। भागीदार राज्य सरकारें (इनमें पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं जिनका योगदान 10 प्रतिशत होगा) इस कोष के लिए 20 प्रतिशत हिस्से का योगदान देंगी और कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान RCF कर लगाया जाएगा।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास** के लिए इस योजना के तहत आवंटन देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप किया जाएगा। वे क्षेत्र हैं- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व।

VISION IAS

- उड़ान योजना का संचालन जिन हवाई अड्डों से शुरू किया जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके और उनकी रियायतों की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा।
- उड़ान योजना में, वर्तमान सुविधाहीन तथा अत्यंत कम सुविधा प्राप्त **हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार** कर कनेक्टिविटी प्रदान करने कि परिकल्पना की गयी है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

महत्व

- इस योजना के कारण वहनीयता, कनेक्टिविटी, संवृद्धि तथा विकास सुनिश्चित होंगे।
- यह रोज़गार सृजन में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निवेश किये जाने वाले प्रत्येक रुपए से अर्थव्यवस्था में 3.5 रुपए की वृद्धि होती है, तथा प्रत्यक्ष रूप से सृजित प्रत्येक रोज़गार 6.1 अप्रत्यक्ष अवसरों का निर्माण करता है।
- यह थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली वर्तमान वस्तुओं, कमज़ोर या टूट सकने वाली वस्तुओं तथा उच्च मूल्य वाले निर्याताभिमुख उत्पादों को वायु मार्ग से एक से दुसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि के द्वारा व्यवसाय का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।
- राज्य सरकारों को छोटे वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों को सेवा में लाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास, संवर्द्धित व्यापार तथा वाणिज्य एवं पर्यटन के और अधिक विस्तार जैसे अनेक लाभ होंगे।
- वर्तमान में सेवारत एयरलाइनों को नए मार्गों तथा और अधिक यात्रियों की प्राप्ति की संभावना बनती है, जबकि स्टार्ट अप एयरलाइनों के लिए नवीन आरोह्य (scalable) व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं।
- सेवा-बाधित तथा क्षमता से कम सेवा प्रदान कर रहे हवाई अड्डों (कुल संख्या 416) का व्यावसायीकरण के कारण केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित रहे सार्वजनिक स्वामित्व के स्थलों का लोकतंत्रीकरण होगा। एक औसत नागरिक को उनके प्रयोग तथा विकास में साझेदारी प्राप्त होगी।

आलोचनाएं

- एयरलाइनें विलासिता की प्रतीक होती हैं। भारत जैसे निर्धन देश में क्षेत्रीय वायु-मार्गों की कनेक्टिविटी के लिए सरकारों तथा यात्रियों के ऊपर अतिरिक्त अनुदानों का बोझ डाला जाना अनुपयुक्त प्राथमिकताओं वाला मुद्दा प्रतीत होता है।
- यात्री आवागमन के रूप में देखें तो भारत विश्व का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बाज़ार है। जनवरी तथा सितम्बर 2016 के बीच, भारत में यात्री आवागमन में 23.17% की वृद्धि हुई। उड्डयन नियामक के आंकड़ों को देख कर पता चलता है कि सभी लाइसेंस प्राप्त एयरलाइनों ने अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कोटे को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नियामकों द्वारा निर्देशित संख्या से कहीं बहुत अधिक यात्रियों को ढोया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस अवस्था से बाज़ार की गतिशीलता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए, राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को कहीं अन्य व्यय किया जाना बेहतर सिद्ध होगा।
- किसी मार्ग को स्वयं वहनीय बनाने के लिए तीन वर्ष की पूर्व-धारणा अनुपयुक्त हो सकती है। साथ ही इसमें ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पहलू का आकलन नहीं किया गया है जो वायु-मार्ग के किराया संबंधी गतिकी में प्रभावी बदलाव लाएगा।

एयरलाइनों के संचालन संबंधी वातावरण पर पहले से ही अत्यधिक कर-बोझ है (ATF पर आरोपित कर विश्व में सबसे अधिक हैं)। इसलिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक और करारोपण से एयरलाइनें और अधिक परेशान प्रतीत हो रही हैं।

VISION IAS

21. रेल

(RAIL)

21.1. रेल सुरक्षा

(Rail Safety)

रेलवे मंत्रालय उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विश्व बैंक से परामर्श करने की योजना बना रहा है जहाँ बजट में घोषित विशेष रेल सुरक्षा निधि (स्पेशल रेल सेफ्टी फण्ड) से निवेश की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय बजट 2017-18 में रेल सुरक्षा हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- यात्री सुरक्षा के लिए, 5 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये के एक कॉर्पस के साथ एक **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष** निर्मित किया जाएगा।
- सरकार से सीड कैपिटल के अतिरिक्त, रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों का प्रबंध करेगा।
- सरकार इस कोष से वित्त पोषित होने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों को लागू करने के लिए **स्पष्ट दिशानिर्देश** और समय-सीमा निर्धारित करेगी।
- 2020 तक **ब्रॉड गेज लाइनों** पर मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा।
- सुरक्षा तैयारियों और रखरखाव के तरीकों में सुधार करने के लिए विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय सहायता ली जाएगी।

भारत में रेल दुर्घटनाओं के कारण

- **कुल रेल दुर्घटनाओं में से 50% पटरी से उतरने (डिरेलमेंट) के कारण होता है, इसके बाद 36% दुर्घटनाएं मानवरहित क्रासिंग फाटकों पर होती हैं।**
- **अग्नि पहचान प्रणाली (फायर डिटेक्शन सिस्टम) का अभाव:** भारत में अभी भी अधिकांश रेलगाड़ियों में धुंए और आग की पहचान करने हेतु प्रभावी प्रणाली नहीं है।
- **टक्कर रोधी प्रौद्योगिकियों का अभाव:** ये ऐसे उपकरण हैं जो किसी रेड सिग्नल को पार करने पर ट्रेन को स्वचालित (आटोमेटिक) रूप से रोक देते हैं। भारत, जो कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, में अभी भी ऐसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है।
- **स्टाफ की कमी:** तीव्र गति और रेड सिग्नल पर ध्यान न देना चिंता के मुख्य कारण हैं, मानवीय गलतियाँ भी दुर्घटनाओं का एक अन्य सामान्य कारण है। इसका आंशिक कारण कर्मचारियों की कमी है, जिसका अभिप्राय यह है कि श्रमिक के ऊपर प्रायः कार्य का अधिक बोझ रहता है।
- **पटरियों का यथोचित रखरखाव नहीं किया जाना:** खन्ना रेल सेफ्टी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल रेलवे ट्रैक का करीब 25 प्रतिशत अपनी आयु सीमा को पार कर चुका है और इसे प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- **संसाधन की कमी:** खन्ना समिति ने आगे कहा था कि भारतीय रेल में इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण संसाधनों की कमी है।
- **खराब रोलिंग स्टॉक:** रोलिंग स्टॉक, अर्थात् अधिकांश रेलगाड़ियों के लोकोमोटिव्स लिंक हॉफमैन बुश (Linke Hoffman Busch: LHB) डिब्बों (coaches) से लैस नहीं हैं।
- **सरकार की लापरवाही:** हाल ही में रेलवे में तीन उच्च स्तरीय समितियां गठित की गयी थीं, जैसे कि **रेलवे के आधुनिकीकरण पर सैम पित्रोदा समिति, रेलवे सुरक्षा की समीक्षा पर अनिल काकोदकर समिति, रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देवराय समिति**। इन समितियों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं और इनकी सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं।
- तोड़फोड़ के कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम

- **पटरियाँ दोष-रहित अवस्था में रहें, इसके लिए नियमित रूप से सख्त ऑडिटिंग किए जाने की आवश्यकता है।**
- **दोषों का सटीक तरह पता लगाने हेतु इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रा साउंड फाल्ट डिटेक्शन मशीन** को शीघ्रता से स्थापित करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- रेलगाड़ियों में निर्धारित सीमा से अधिक भार वहन करने की अनुमति देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पटरियों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली हो। पटरियों की सिग्नलिंग और टूट-फूट से रहित होने (इंटीग्रिटी) की सख्त ऑडिटिंग होनी चाहिए।
- ICF कोच के स्थान पर LHB कोच का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि पटरियों को नुकसान के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने की स्थिति में कम से कम संख्या में लोग हताहत हों।
- विदेशी तकनीकों जैसे टक्कर-रोधी उपकरण और रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशिष्ट रूप से निर्माण किया जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों और जनशक्ति नियोजन के मुद्दों से सम्बंधित रिक्त पदों को समय-बद्ध रूप से भरकर, रेलवे यूनियनों की मांग को संबोधित किया जा सकता है।
- **सेतु-भारतम परियोजना** को प्राथमिकता देकर पर पूर्ण करना जिससे कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त हो सकें।
- सरकार के अधीन रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण जैसा एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष और विशेषज्ञ रेलवे के बाहर से हों।

21.2. रेलवे विकास प्राधिकरण

(Railway Development Authority)

सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से 50 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ एक रेल विकास प्राधिकरण (RDA) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। इसका प्राधिकरण दिल्ली में अवस्थित होगा।

आवश्यकता

- केन्द्र सरकार किरायों का निर्धारण अधिकतर राजनीतिक विचारों के आधार पर करती रही हैं। इसके कारण **तिर्यक सब्सिडी (क्रास-सब्सिडी) दिए जाने एवं मालभाड़ा क्षेत्रक को घाटे होने की अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं।**
- **इस पहल पर विभिन्न समितियों द्वारा जोर दिया गया है**, जैसे:
    - राकेश मोहन विशेषज्ञ समूह (2001)।
    - राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (NTDPC) (2014)।
    - प्रमुख रेल परियोजनाओं एवं रेल मंत्रालय के पुनर्गठन हेतु संसाधनों के संघटन पर बिबेक देबरॉय समिति(2015)।

इस प्राधिकरण के कार्य

- इसके प्राथमिक कार्य होंगे:
    - लागतों के अनुरूप **प्रशुल्क की अनुशंसा** करना।
    - **सामाजिक सेवा दायित्व** के लिए सिद्धांतों को विकसित करना।
    - **निजी निवेश के लिए नीतियों** का सुझाव देना।
    - दक्षता मानक तय करना एवं किसी भी प्रकार के रियायत समझौतों के संबंध में विवादों का समाधान करना।
    - रेल क्षेत्रक के संबंध में सूचना एवं सांख्यिकी का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार करना।
- यह रेलवे अधिनियम 1889 के मानदंडों के अंतर्गत कार्य करेगा एवं रेल मंत्रालय को यात्री और माल भाड़ा किरायों के संबंध में अनुशंसाएं प्रदान करेगा।
- यह स्वतंत्र निकाय होगा। पृथक बजट एवं नियुक्ति तथा पदच्युति की प्रक्रिया के प्रावधान इसकी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने में सहायता करेंगे।

प्राधिकरण की संरचना

- इसका **एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्य** होंगे जिनमें से प्रत्येक का नियत कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- केंद्र सरकार **खोज और चयन समिति (search and selection committee) द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से चयन करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी।** इस खोज और चयन समिति में सम्मिलित होंगे -
    - कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष)
    - रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष
    - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव
    - कैबिनेट सचिव द्वारा नामित केन्द्र सरकार के किसी भी विनियामक निकाय का अध्यक्ष।
- उन्हें दिवालियापन, दोषसिद्धि, कदाचार इत्यादि आधारों पर सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा।

महत्व

- यह यात्री किरायों की अनुशंसा करेगा एवं रेल संचालनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड निर्धारित करेगा। **इस प्रकार यह निजी क्षेत्र प्रतिभागिता के लिए एक समान स्तरीय नीति** उपलब्ध करायेगा।
- यह कदम **यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करेगा** एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि करेगा।
- यह प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा एवं बाजार विकास को प्रोत्साहित करेगा।

चुनौती

- इसकी अनुशंसाएं **बाध्यकारी नहीं होंगी।** यह केवल रेल मंत्रालय को अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा जो निर्णय लेने हेतु अंतिम प्राधिकरण होगा। इसलिए, यह कदम प्रतीकवाद तक सीमित रह सकता है।
- क्योंकि इसे कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया है। यह इसकी वैधता को कम कर देता है और इसे **राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति प्रवण** (prone to political interference) बनाता है।

आगे की राह

- रेल क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु सहायता करने के लिए RDA की स्थापना कर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाया है। लेकिन यदि प्राधिकरण को स्वतंत्र, स्वायत्त एवं वैधानिक नहीं बनाया जाता है तो यह निरर्थक बन सकता है।

21.3. भारतीय रेलवे की पर्यटन नीति का मसौदा

(Draft Tourism Policy of Indian Railways)

रेलवे के व्यापार को रूपान्तरित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में पर्यटन नीति का एक प्रारूप तैयार किया है।
रेलवे के यात्री खंड में घाटा हो रहा है और इस प्रारूप से इस खंड की आय बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

नीति की विशेषताएँ

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए **समर्पित ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करना।**
- पर्यटकों के लिए होटल में ठहरने और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण जैसी सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए, IRCTC सहित कई सेवा प्रदाताओं को सम्मिलित करना।
- टूर ऑपरेटरों के लिए **समर्पित पर्यटक कोच** (dedicated tourist coaches) की बोली लगाने की अनुमति देना।
- हिल स्टेशनों में संचालित किए जाने हेतु भाप से चलने वाली ट्रेनों को पुन: प्रचालित करना और **PPP मॉडल द्वारा पर्वतीय रेल के वित्त में सुधार** लाना।
- आम लोगों के लिए किफायती दरों के साथ **'भारत दर्शन ट्रेन'** लॉन्च की जाएगी।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना:
  - **आस्था सर्किट ट्रेन**: रेलवे द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर संचालित की जाएगी।
  - **राज्य तीर्थ ट्रेन:** राज्य सरकारों के अनुरोध पर एवं उनके व्यय पर चलाई जाएगी।
- विदेशी पर्यटकों के लिए प्रभावी रूप से अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए एक वर्ष अग्रिम में सीटों की बुकिंग।
- भारत समृद्ध पर्यटकों के लिए लक्जरी और अर्ध-लक्जरी पर्यटक ट्रेनों का शुभारंभ करके लक्जरी ट्रेन खंड में भी अपना स्थान बनाएगा।

IRCTC

- यह एक **सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम** (PSE) है जिसे 1999 में प्रारंभ किया गया था।
- यह **मिनी रत्न श्रेणी 1** का PSE है।
- इसके कार्यों में सम्मिलित हैं::
  - स्टेशन पर, रेलगाड़ियों में और अन्य स्थानों पर खान-पान और आतिथ्य सेवाओं का उन्नयन और प्रबंधन।
  - बजट होटल, विशेष टूर पैकेज, सूचना और व्यावसायिक प्रचार और वैश्विक आरक्षण प्रणाली का विकास।
  - रेल यात्रियों के लिए बोतलबंद पेयजल का विनिर्माण।

VISION IAS

21.4. रेल मंत्रालय द्वारा गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा

(Indian Railways Launch Non-Fare Revenue Policies)

रेल मंत्रालय ने आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति, ट्रेन ब्रांडिंग नीति, कंटेंट-ऑन-डिमांड, रेल रेडियो नीति और ATM नीति के साथ प्रथम गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा की है।

नीति की आवश्यकता

- 2015-16 में, भारतीय रेलवे की राजस्व वृद्धि दर 4.6% रही, यह 2010-11 के बाद से दर्ज की गई न्यूनतम वृद्धि दर है। यह अंतिम चार वर्षों की 10-19% की वृद्धि दर की तुलना में काफी कम है।
- अंतिम चार वर्षों में 4-5% वृद्धि की तुलना में माल-भाड़ा, जो कि 60 प्रतिशत आय का स्रोत है, में केवल 0.6% वृद्धि देखी गयी है।
- यात्री अनुभाग में किराया मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का अभाव माल-भाड़ा राजस्व के **साथ उच्च क्रॉस सब्सिडी का कारण बनता है। यह आर्थिक अक्षमताओं का निर्माण करता है।**

नीति के प्रावधान

गैर-किराया राजस्व नीति में शामिल है:

- विज्ञापन होर्डिंग और बिलबोर्डस के लिए रेलवे स्टेशनों के आउटडोर रिक्त स्थान की बिक्री।
- स्टेशनों पर और ट्रेनों में वाई-फाई के माध्यम से रेडियो और वीडियो सामग्री उपलब्ध कराना।
- ATM के लिए प्लेटफार्मों के रिक्त स्थान को पट्टे पर देना।
- ट्रेनों और स्टेशनों की ब्रांडिंग राइट्स की बिक्री।
- **ट्रेन ब्रांडिंग नीति** के तहत 10 वर्ष के अनुबंध के आधार पर ट्रेन के बाह्य और आंतरिक भाग में विनाइल कवर (vinyl wraps) के विज्ञापन की अनुमति होगी।
- **आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति**, अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए- रोड ओवर ब्रिजेज, लेवल क्रासिंग गेट्स आदि पर।

नीति का महत्व

- **यह यात्रियों के लिए** उनके व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर **मनोरंजक गतिविधियां** उपलब्ध कराएगा। यह **ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाएगा।**
- यह कदम यात्री और माल ढुलाई के रूप में **पारंपरिक राजस्व के स्रोत पर निर्भरता को कम** करेगा।
- यह कदम वायुमार्ग और सड़क मार्ग जैसे परिवहन के क्षेत्रों की तुलना में **रेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ा** सकता है। परिणामस्वरूप, यह कदम सड़कों से भीड़ को कम कर सकता है और सार्वजनिक परिवहन को सस्ता कर सकता है।

आगे की राह

- रेल बजट 2016-17 के अनुसार, भारतीय रेलवे अपने राजस्व का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रशुल्क (नॉन-टैरिफ) स्रोत से अर्जित करती है। जापान में, 25-30 प्रतिशत राजस्व गैर-किराया स्रोत से आता है। रेलवे को अगले सात से आठ वर्षों में इस स्तर तक पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह हमारे रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में सही कदम होगा।

VISION IAS

22. आवास

(HOUSING)

सतत विकास लक्ष्य-11, 2030 तक सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न सकारात्मक कार्यों की शुरुआत की है।

22.1. ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास"

(“Housing for All” in Rural Areas)

प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में **"सभी के लिए आवास" योजना के बारे में**

- इसे **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - PMAY-G** के नाम से जाना जाएगा।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रगति का कार्यान्वयन ग्रामीण - आवास योजना के नाम के तहत किया जाएगा।
- **आवास मंत्रालय (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार)** के अनुसार, परियोजना की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रावधान

- **यदि लाभार्थी की इच्छा होगी तो उसके लिए 70,000 रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है। लाभार्थियों का चयन –** एक पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लाभान्वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत **2019 तक 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों (Masons) के लिए कौशल प्रदान करने का प्रावधान** है और साथ ही देश में हाउसिंग टाइपोलोजी (typologies), पर्यावरणीय खतरों और परिवारों के आवश्यकतानुसार किए गए एक विस्तृत अध्ययन के आधार पर देश भर में 200 से अधिक भवन डिजाइन की अनुमति दी गयी है।
- **स्थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग** के साथ रसोई, बिजली कनेक्शन, LPG, स्नानघर व शौचालय के प्रावधानों से युक्त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया गया है।
- **भुगतान प्रक्रिया-** पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी की अनुमति के उपरांत उसके **आधार से जुड़े बैंक खातों में IT/DBT** के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- **राजमिस्त्रियों के लिए कौशल प्रशिक्षण-** इसमें लाभार्थियों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है; **ग्रामीण राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण स्थल पर ही 45 दिनों के कौशल प्रशिक्षण से गरीब परिवारों को कौशल प्रदान किया जाएगा।**

22.2. गरीबों के लिए नई आवास योजनाएं

(New Housing Schemes for the Poor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीबों को घरों का निर्माण करने अथवा खरीदने में मदद करने के लिए **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत दो नई आवास योजनाओं की घोषणा की।

मुख्य विशेषताएं

- **ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि** की जा रही है।
- ग्रामीण भारत में घरों के निर्माण अथवा उनके विस्तार के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये रियायती ऋण **शहरी गरीबों** के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% और 12 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की **ब्याज सहायता** (अनुदान) दी जाएगी।
- 2022 तक सभी के लिए आवास की नई योजना के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए प्रति घर केंद्रीय सहायता राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किए जाने की योजना बनाई गई है।

VISION IAS

लाभ

- बाजार मूल्य से कम मूल्य के होने से यह EWS के लिए वहनीय हैं।
- इस तरह की सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत घरों को खरीदने या बनाने हेतु मूल्य निर्धारण, अवस्थिति और निवेश की सुरक्षा सहित कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
- आसान और त्वरित कानूनी मंजूरी भी सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि ऐसी संपत्ति को बिक्री के लिए सामने रखने से पहले सरकार इन बातों को सुनिश्चित करती है।
- ग्रामीण आवास योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा दे सकती हैं।

चुनौतियां

- भूमि की उपलब्धता और इसका अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा है।
- दोषपूर्ण BPL सूचियों के कारण लाभार्थियों के चयन में बहिष्करण और शामिल किए जाने से संबद्ध मुद्दे।
- जब हम निजी डेवलपर्स से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इस तरह की योजनाओं में आम तौर पर घरों के निर्माण पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा पेयजल, बिजली की आपूर्ति, रसोई गैस आदि जैसी अन्य सुख-सुविधाओं के साधनों का यहाँ अभाव देखने को मिलता है।
- इस तरह की सरकारी योजनाओं से निर्मित घरों की गुणवत्ता में कमी के चलते ये दीर्घकालिक निवेश के लिहाज से अच्छा विकल्प नहीं बन पाते।
- इस तरह के आवंटन में स्थानीय अधिवास की शर्त होने के कारण नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आम तौर पर प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग ऐसे आवंटन से लाभ उठाने से वंचित हो जाता है।
- भ्रष्टाचार की विद्यमानता और कार्यान्वयन की निगरानी का अभाव ऐसी योजनाओं को अप्रभावी बना देती हैं। कई मामलों में लाभार्थी के लिए धन के मोचन (जारी किए जाने) के बावजूद घरों का निर्माण नहीं किया गया।
- योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति भी एक प्रमुख बाधा है। इस वर्ष गरीबों के लिए 4.4 मिलियन नए ग्रामीण घरों का निर्माण किया जाना है लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष सिर्फ 1.1 से 1.8 मिलियन घरों का ही निर्माण कर पाया है।

आगे की राह

- इस योजना के तहत फंड जारी करने के पूर्व लाभार्थियों का प्रभावी लक्ष्यीकरण आवश्यक है।
- योजनाओं के उचित कार्यान्वयन एवं निगरानी की सुनिश्चितता के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का क्षमता निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- इसके अकुशल निर्माण कार्य को मनरेगा के साथ संबद्ध करने से श्रमबल की कमी और उच्च श्रम लागत की समस्या को संबोधित किया जा सकता है।
- पेयजल, जलापूर्ति, बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

22.3. रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016

{Real Estate (Development and Regulation) Act, 2016}

संसद द्वारा मार्च **2016** में रियल एस्टेट (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2016 पारित किया गया। यह कानून मई**, 2017** से पूरी तरह से प्रभावी हो गया है। केवल **13** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस मॉडल कानून के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर के नियमन हेतु नियम अधिसूचित किए है। यह इस एक्ट के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक चिंता का विषय है।

अधिनियम के प्रावधान

- कम से कम **500** वर्ग मीटर क्षेत्र या आठ फ्लैट्स वाली परियोजनाओं का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (**RERA**) के तहत **अनिवार्य पंजीकरण।**
- नियामक की वेबसाइट में प्रत्येक परियोजना से संबंधित विवरणों का आवश्यक रूप से सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **परियोजना विकासकर्ताओं के लिए अब निर्माण लागत को पूरा करने के लिए एक पृथक एस्क्रौ अकाउंट में भूमि की कीमत सहित अपना कम-से-कम 70% फंड जमा करना आवश्यक होगा।**
- अपीलीय अधिकरण के आदेशों के उल्लंघन पर प्रमोटर्स को **3** वर्ष तथा एजेंट्स और खरीददारों को **1** वर्ष तक के कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है।
- **कार्पेट एरिया की स्पष्ट परिभाषा** तय की गयी है तथा खरीददारों से कार्पेट एरिया के लिए शुल्क लिया जाएगा न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया के लिए।
- **अपीलीय अधिकरण** वादों का न्यायनिर्णयन करेंगे तथा नियामक प्राधिकरण **60 दिनों के भीतर** शिकायतों का समाधान करेंगे।
- भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, नियामकीय प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों से परे विकसित की जाने वाली परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकते हैं; मंजूरी प्राप्त करने हेतु सिंगल-विंडो सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं तथा परियोजनाओं और प्रमोटर्स का श्रेणीकरण भी कर सकते हैं। उन्हें गठन के तीन महीने के भीतर नियमों का प्रारूप भी तैयार करना होगा।
- इस एक्ट के तहत **वाणिज्यिक और आवासीय दोनों परियोजनाओं** को विनियमित किया जाएगा। साथ ही रियल एस्टेट गतिविधियों का निरीक्षण करने हेतु राज्य स्तरीय नियामकीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- खरीददार को संपत्ति हस्तांरतरित करने के पांच वर्ष बाद तक बिल्डर्स, संरचनात्मक कमियों को ठीक करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
- 30 जुलाई, 2017 से पहले सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स और एजेंट्स को अपने संबंधित राज्य प्राधिकरणों में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

महत्व

- इस एक्ट के प्रावधानों से इस क्षेत्र में **जवाबदेही और पारदर्शिता** आएगी।
- इस एक्ट से इस क्षेत्र में **विदेशी निवेश** आकर्षित होगा।
- यह एक्ट उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा।

22.4. शहरी किराया आवास नीति का मसौदा

(Draft Urban Rental Housing Policy)

हाल ही में आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शहरी किराया आवास नीति का मसौदा जारी किया गया है।

आवश्यकता

- 1988 में पहली राष्ट्रीय आवास नीति जारी की गयी थी। हालांकि इसमें कर छूट और सब्सिडी से संबंधित कुछ प्रावधान थे, किन्तु इसमें समाज के उन वर्गों को संबोधित नहीं किया गया था जो घर खरीदने में असमर्थ थे और केवल किराये सम्बन्धी खर्च ही वहन कर सकते थे।
- देश में बढ़ते शहरीकरण के साथ ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर प्रवास में भी वृद्धि हुई है। उचित किराया आवास नीति के अभाव में प्रवसन के कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मुख्य विशेषताएं

- **आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय** ने स्वयं की भूमिका को 'सुविधाप्रदाता' के रूप में परिभाषित किया है। यह राज्य द्वारा या PPP के जरिए और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत निर्मित किराये के आवासों के लिए **वित्तीय और गैर-वित्तीय रियायतें प्रदान** करेगा।
- यह किराये के आवासों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: **शहरी गरीबों के लिए सामाजिक किराया आधारित आवास और बाजार चालित किराया आवास।**
    - **सामाजिक किराया आधारित आवास** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), कम आय वाले समूहों (LIG) और **'टेनेंट्स बाई कंस्ट्रेंट'** के रूप में परिभाषित वर्गों पर लक्षित है जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवासी, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित शहरी गरीब शामिल हैं।

- ○ **बाजार चालित किराया आवासों** में **किराया आधारित संस्थागत इकाइयां** शामिल हैं जैसे- छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए हॉस्टल, PSU कर्मचारियों और सरकारी विभागों के लिए **सार्वजनिक किराये के मकान** और सभी के लिए **निजी किराये के आवास**।
- इसमें चुनिंदा स्मार्ट शहरों में प्रायोगिक आधार पर **किराया रसीद (वाउचर) के लिए एक कोष** स्थापित करने की भी चर्चा की गयी है। किसी निश्चित नकद राशि के बराबर के ये वाउचर शहरी गरीबों द्वारा दिए जाने वाले अत्यधिक किराए को आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित करेंगे।

चुनौतियां

- यह नीति **आवास की कमी की समस्या का समाधान नहीं करती है** क्योंकि आवास की कमी को आजीविका से संबंधित मुद्दा माना जाता है। इसलिए इसे आवास नीतियों के अधीन रखने के बजाय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत रखा गया है। यदि विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है तो नीति निर्माण में अंतराल उत्पन्न हो सकता है ।
- मसौदा नीति में केंद्र की भूमिका **मांग-पक्ष में हस्तक्षेप** तक ही सीमित है, जबकि सामाजिक किराया आवासों (social rental housing stock) की आपूर्ति बढ़ाने हेतु उचित उपायों की भी आवश्यकता है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बाजार पर डाल दिया गया है।
- आवास राज्य का विषय है, इसलिए सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, मुंबई महानगरीय क्षेत्र आदि की अपनी स्वयं की आवास किराया संबंधी नीतियां (rental housing policies) हैं। हालांकि ये **अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र के प्रसार को रोकने में विफल** रहीं हैं।
  - ○ जैसे मुंबई ने शहरी किराये की नीति में मूलनिवास की आवश्यकता संबंधी प्रावधान जोड़ा है जिससे नीति का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।
- कई केंद्रीय सरकारी योजनाओं के विपरीत, जो गृह निर्माण के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती हैं, किराया संबंधी आवास नीति का मसौदा किसी भी प्रकार का केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

- अभी तक के अधिकांश नीतिगत हस्तक्षेप आवासों का स्वामित्व प्रदान करने पर ही केन्द्रित रहे हैं जिससे शहरी भारत में आवासों की कमी की समस्या को हल नही किया जा सकता क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) एवं कम आय वाले समूहों (LIG) में ही अधिकांश शहरी आवासों की कमी है। इसलिए किराये के आवासों के प्रति एक एकीकृत एवं समर्पित नीति वर्तमान समय की आवश्यकता है।

22.5. स्मार्ट सिटी: कार्यान्वयन में समस्याएं

(Smart Cities: Problems in Implementation)

अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी (USTDA) के अधिकारियों, जिन्हें भारत के साथ स्मार्ट सिटी पहल की देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, ने इस पहल के क्रियान्वयन में कुछ मुद्दों को चिन्हित करते हुए हुए उन्हें सामने रखा है।

अमेरिका स्मार्ट शहरों के रूप में अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापत्तनम के विकास में भागीदारी कर रहा है।

USTDA द्वारा चिन्हित मुद्दे

- परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में शासन में स्पष्टता का अभाव और सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्पेशल परपज़ व्हीकल की भूमिका एवं कार्य
- राज्यों द्वारा पहले से कुछ काम किए जाने की पूर्व आवश्यकता/शर्त की पूर्ति न होने के कारण राज्यों को कोष आवंटित न होना यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त समन्वय/सहयोग की कमी को दर्शाता है।
- जापान और कोरिया को उपलब्ध कराए गए निवेश डेस्क की तर्ज़ पर यहाँ किसी भी प्रकार का निवेश डेस्क उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह का डेस्क अमेरिकी निवेशकों से निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा।

VISION IAS

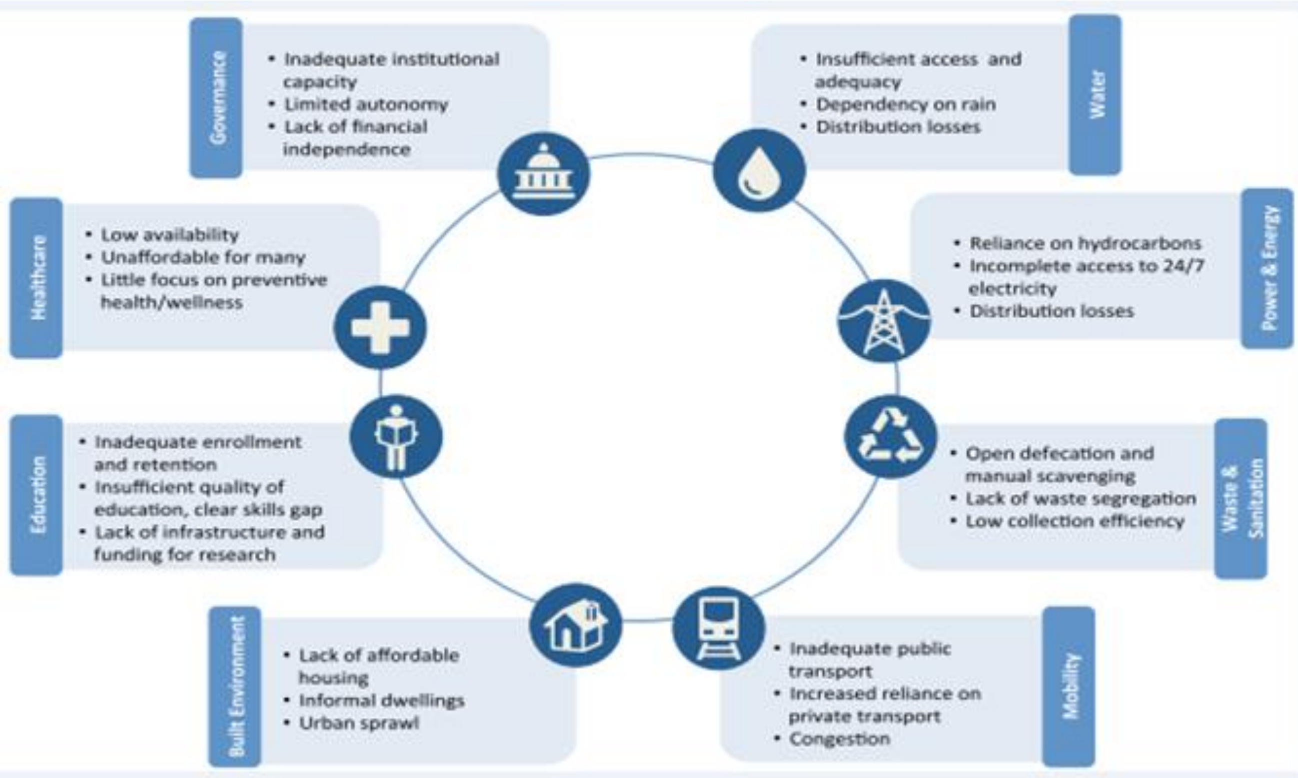

आगे की राह

- **एकल खिड़की प्रणाली:** अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण परियोजना के निष्पादन में तेजी लाएगा, जिससे लागत में कमी आएगी तथा यह परियोजना में विलम्ब की प्रवृत्ति को कम करेगा एवं साथ ही यह अंतर तथा अन्तरा विभागीय सहयोग में भी सुधार करेगा।
- **संस्थागत सुधार:** एक शहर के भीतर विविध योजना एवं प्रशासनिक निकायों (multiple planning and administrative bodies) में बेहतर सहयोग एवं एकीकृत कमांड संरचना।

- स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वायत्त बनाने हेतु यूजर चार्ज (user charges)के निर्धारण तथा उसके संग्रहण के लिए अधिकारों का हस्तांतरण।

22.6. विश्व बैंक का "इज ऑफ़ लिविंग" सूचकांक

(World Bank's "Ease of Living" Index)

- विश्व बैंक वैश्विक स्तर पर शहरों को रैंकिंग के लिए एक "इज ऑफ़ लिविंग" (रहन-सहन में सुगमता) सूचकांक जारी करने की कगार पर खड़ा है।
- यह खबर ऐसे समय में आयी है, जब विश्व बैंक "इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" सूचकांक में संशोधन करने की योजना बना रहा है।

यह क्या है?

- यह सूचकांक इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है कि जैसे-जैसे शहरों का विकास और विस्तार होता है, इज ऑफ़ लिविंग (रहन-सहन में सुगमता) एक महत्वपूर्ण पैरामीटर (मापदण्ड) बन जाता है।

- इस सूचकांक में अग्रलिखित श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सकता है:- सामाजिक समावेशन, रहन-सहन की लागत, सार्वजनिक परिवहन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्रता, अपराध/सुरक्षा, गवर्नेंस और भ्रष्टाचार।

वर्तमान में भारत की स्थिति?

- 2016 के इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस सूचकांक में भारत को एक निम्न अर्थात् 130वां स्थान प्रदान किया गया।
- भारत ने विश्व बैंक से यह सिफारिश की है कि पूरे देश में हुए आर्थिक सुधारों को “इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस” सूचकांक के लिए विचार किया जाए न कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई में हुए सुधारों को।
- विभिन्न मापदंडों यथा- लाइसेंस प्राप्ति, अवसंरचना, सरकारी नीति आदि के आधार पर इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस सूचकांक में यह मापा जाता है कि किसी विशिष्ट देश में नया कारोबार शुरू करना कितना आसान है।

23. भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों से सम्बंधित ख़बरें

(OTHER SECTORS OF INDIAN ECONOMY IN NEWS)

23.1. वस्त्र क्षेत्रक

(Textile Sector)

23.1.1. पॉवरटैक्स इंडिया

(PowerTex India)

यह विद्युत करघा क्षेत्रक (Powerloom Sector) के विकास हेतु एक व्यापक योजना है जिसे हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है।

पृष्ठभूमि

- दूसरी पंचवर्षीय योजना ने **बुनाई की क्षमता के विस्तार** को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार 1980 के दशक और 1990 के दशक तक, कई हथकरघों को विद्युत करघों में परिवर्त्तित कर दिया गया था।
- अभी भी अधिकाधिक रूप से हथकरघों पर निर्भर पूर्वी भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, अधिकतर राज्यों में विद्युत करघे ही व्याप्त हैं।
- विद्युत करघों की तीव्रतम वृद्धि **केवल 3 राज्यों - महाराष्ट्र** (भारत का सर्वाधिक विशाल विद्युत करघा उद्योग), **तमिलनाडु और गुजरात** में हुई।

विद्युत करघा

वस्त्र विनिर्माण हेतु विद्युत शक्ति की सहायता से संचालित करघों को **विद्युत करघे** कहा जाता है, जबकि विद्युत शक्ति की सहायता के बिना संचालित करघों को **हथकरघे** कहा जाता है।

इस योजना का प्रावधान

- इसका उद्देश्य **सामान्य अवसंरचना एवं विद्युत करघा क्षेत्रक के आधुनिकीकरण** को बढ़ावा देना है।
- इसके **नौ प्रमुख अवयव** हैं; जैसे- ग्रुप वर्कशेड स्कीम (GWS), यार्न बैंक स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC), टेक्सटाईल वेंचर कैपिटल फण्ड इत्यादि। हाल ही में **दो नई योजनाओं को सम्मिलित किया गया है**-विद्युत करघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना, विद्युत करघा हेतु सौर ऊर्जा योजना।
- **ग्रुप वर्कशेड स्कीम** के लिए आवश्यक करघों की न्यूनतम संख्या को 48 से कम करके 24 कर दिया गया है।

विद्युत करघे पर अन्य सरकारी योजनाएं

- भारत सरकार ने **विद्युत करघा क्षेत्रक के लिए सब्सिडी वाली विभिन्न योजनाओं** को लॉन्च किया है, जैसे कि–
  - **संशोधन प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (o Amended Technology Up-gradation Fund Scheme: A-TUFS)।**
  - प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए साधारण विद्युत करघों हेतु **स्वस्थानी उन्नयन योजना (In-situ Up-gradation Scheme)।**
  - विद्युत करघा क्षेत्रक हेतु वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता देने के लिए **ग्रुप वर्कशेड स्कीम।**
  - क्रेता-विक्रेता मिलन के रूप में विपणन समर्थन हेतु विस्तारित सहायता प्रदान करने के लिए **विद्युत करघा क्षेत्रक विकास हेतु एकीकृत योजना (Integrated Scheme for Powerloom Sector Development: ISPSD)।**

विद्युत करघा क्षेत्रक से संबंधित चुनौतियाँ

- **विपणन:** यह क्षेत्रक बिचौलियों पर अधिक निर्भर हैं, जो इससे प्राप्त होने वाले लाभों को हड़प जाते हैं।
- **वित्तपोषण:** इस क्षेत्रक के लिए समर्पित वित्तपोषण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता में कमी है।
- **कच्चा माल:** यह उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है।
- **प्रौद्योगिकी:** अधिकतर विद्युत करघे पुराने और अप्रचलित हैं। इसलिए, उत्पाद की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- उद्यमिता कौशलों (entrepreneurial skills) का अभाव।

23.1.2. तकनीकी वस्त्र

(Technical Textiles)

तकनीकी/ कार्यात्मक वस्त्र

- वस्त्रों का एक ऐसा समूह है, जिसका उपयोग सौन्दर्यात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं अपितु उसके व्यवहारिक या प्रयोजनमूलक गुणों के लिए किया जाता है।
- ये बुने हुए या बुनाई रहित हो सकते हैं।

उदहारण के लिए जिओ (Geo) वस्त्र पारगम्य वस्त्र होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के साथ किया जाता है और उनमें पृथक्करण और निथारने की क्षमता होती है।

- टेक्नो-टेक्स 2017 का हाल ही में मुम्बई में शुभारम्भ किया गया जिसका मूल विषय था "टेक्निकल टेक्सटाइल्स : टूवाड्र्स फ्यूचर"। इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय और FICCI द्वारा किया गया था।

आवश्यकता:

- तकनीकी वस्त्रों को सनराइज क्षेत्रक समझा जा रहा है क्योंकि उनका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। ग्राहकों की उच्च प्रयोज्य आय के कारण भी इस प्रकार के तकनीकी वस्त्रों की मांग में वृद्धि होती है।
- यद्यपि चीन तकनीकी पहलुओं में और इसके उत्पादन में आगे है, परन्तु इसका मूल्य बहुत ही ऊंचा होता जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- सरकार ने **तकनीकी वस्त्रों के विकास और प्रगति के लिए योजना (SGDTT)** आरम्भ की थी (2007-2010), इसके तीन घटक थे:
  - तकनीकी वस्त्र उद्योग का डाटाबेस बनाने के लिए आधारिक सर्वेक्षण।
  - आधारभूत ढांचा सहयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना जैसे जिओ-वस्त्रों के लिए **BTRA, कृषि वस्त्रों के लिए SASMIRA, सुरक्षात्मक वस्त्रों के लिए NITRA और चिकित्सा वस्त्रों के लिए SITRA**
  - उद्यमियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना।
- इसके उपरांत, तकनीकी वस्त्र उद्योग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तकनीकी वस्त्रों पर **तकनीकी मिशन (Technology Mission on Technical Textiles) (2010-2014)** का शुभारम्भ किया। इसके दो मिनी मिशन हैं:
  - **मिनी मिशन–I:** मानकीकरण के लिए, सामान्य परीक्षण सुविधाएं बनाना, प्रोटोटाईप से स्वदेशी विकास और IT आधारित संसाधन केंद्र।
  - **मिनी मिशन–II**: यह **घरेलू और निर्यात बाजार के विकास के लिए स्टार्ट अप्स को सहायता**, अनुबंध अनुसन्धान और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने पर केन्द्रित है।
- सभी तकनीकी वस्त्र आधारित मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत लाया गया है।

महत्त्व:

- तकनीकी वस्त्रों के अनेक लाभ हैं, जैसे:
  - कृषि वस्त्रों का उपयोग छाया करने एवं घास व कीट नियन्त्रण के लिए किया जाता है।
  - पर्यावरण संरक्षण– जिओ वस्त्र जैसे बुनाई रहित थैलों में रेत भर कर भू-क्षरण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - मेडिटेक उत्पादों के उपयोगों में स्वच्छता, व्यक्तिगत देखभाल और शल्यचिकित्सा अनुप्रयोग सम्मिलित हैं, उदहारण के लिए डायपर आदि।
  - औद्योगिक वस्त्रों का उपयोग औद्योगिक उत्पादों जैसे फिल्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (circuit boards) आदि।

- तकनीकी वस्त्र निर्यात राजस्व का एक सम्भावित स्रोत हो सकता है।

चुनौतियाँ:

- वर्तमान में, यह विभिन्न छोटे और मध्यम उद्योगों की एक विखंडित सरंचना है।
- तकनीकी वस्त्रों पर कार्यरत इकाइयों के डाटाबेस का आभाव है।
- उपभोक्ताओं और उद्यमियों में जागरूकता बहुत ही कम है।
- तकनीकी वस्त्रों के कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और विवेकशून्य कीमतें।
- चीन, बंगलादेश आदि पड़ोसी देशों की प्रतिस्पर्धा।

23.2. फार्मा क्षेत्रक

(Pharma Sector)

23.2.1. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में **इनोवेट इन इंडिया (i3)** नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसे राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के नाम से भी जाना जाता है।

मिशन की आवश्यकता

- भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग अभी भी विकसित देशों के अपने समकक्ष उद्योगों के मुकाबले 10-15 साल पीछे है। भारत को इस क्षेत्र में चीन, कोरिया तथा अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- यह कमी मुख्यतः इसलिए है क्योंकि उत्कृष्टता केंद्र असंबद्ध हैं,रूपान्तरण संबंधी अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जा रहा है,वित्त पोषण सुचारू नहीं है।

इस प्रकार समावेशी नवाचार सुनिश्चित करने के लिए देश में उत्पाद की खोज, रूपान्तरण संबंधी अनुसंधान और प्रारंभिक चरण वाले निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समेकित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की तात्कालिक आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

बायोफार्मास्यूटिकल, जिसे जैविक चिकित्सा उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है**,** जैविक स्रोतों से निष्कर्षित या अर्धसंश्लेषित कोई भी औषधीय उत्पाद है।

मिशन के संबंध में

- इसके द्वारा भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की सम्भावना है।
- यह मिशन इस क्षेत्रक में उद्यमशीलता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सक्षमकारी वातावरण के निर्माण हेतु कार्यरत है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत को बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों और समाधानों (सोलूशन्स) के डिजाइन और विकास का नवीन, किफायती तथा प्रभावी केंद्र बनाना है।
- वर्तमान में वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल बाजार में भारत की भागीदारी केवल 2.8% है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप यह बढ़कर लगभग 5% हो जाएगी। इससे 16 बिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त व्यापार अवसर उत्पन्न होगा।
- यह मिशन उत्पाद का विकास करने वाले अनुसंधानों की गति बढ़ाकर संपूर्ण उत्पाद विकास मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने और सहायता देने के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
- इस मिशन का कार्यान्वयन जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) द्वारा किया जाएगा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह मिशन उत्पाद विकास मूल्य श्रृंखला के माध्यम से संभावनाओं से भरे समाधानों पर आगे बढ़ने हेतु रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञताएं एक साथ लाएगा।
- इस प्रकार यह कार्यक्रम अपने दृष्टिकोण में विशिष्ट है। यह वैज्ञानिक खोजों को नया रूप देने, सह-निर्माण करने और सह-सुविधा प्रदान करने हेतु महत्त्वपूर्ण सहायता देगा और युवा उद्यमियों को इस उद्योग से सर्वश्रेष्ठ तरीकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

VISION IAS

23.2.2. जनऔषधि परियोजना

(Janaushadhi Pariyojana)

रेल मंत्रालय ने प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत रेलवे स्टेशनों एवं अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर जन औषधि केंद्र खोलने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- भारत को विश्व का औषधालय (World's Pharmacy) कहा जाता है और हमारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र 20-21% की दर से बढ़ रहा है तथा भारत कई देशों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का निर्यात कर रहा है।

योजना के बारे में

- **प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, औषध विभाग** द्वारा आरम्भ किया गया एक अभियान है, जिसके तहत **प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK)** नामक विशेष केंद्र के माध्यम से जनता को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- PMBJK के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की **खरीद, आपूर्ति और समन्वय** के लिए सभी केन्द्रीय PSU की सहायता से औषध विभाग के तहत **ब्यूरो ऑफ़ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (BPPI)** की स्थापना की गयी है।
- खरीदी गयी जेनेरिक दवाओं को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50% से 90% कम कीमत पर बेचा जाएगा।
- इस योजना के तहत खरीदी गई सभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NABL (नेशनल ऐक्रेडियेशन बोर्ड लैबोरेटरीज) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की जाती हैं। ये दवाएं WHO GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) मानक के अनुरूप कार्य करने वाली कंपनियों से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
- राज्य सरकारें जन औषधि केंद्र के लिए सरकारी अस्पतालों के परिसर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर स्थान उपलब्ध कराएंगी। PMBJK को **सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली किसी भी सरकारी इमारत में किसी भी सरकारी एजेंसी** द्वारा खोला जा सकता है।
  - कोई भी NGO/चैरिटेबल सोसाइटी/संस्थान/सेल्फ हेल्प ग्रुप /व्यक्तिगत उद्यमी/ फार्मासिस्ट /डॉक्टर अस्पताल परिसर के बाहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं।
  - इसके लिए सरकार 2.5 लाख रुपये तक का अनुदान भी प्रदान करती है।

महत्व

- यह जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के लिए एक अन्य प्रमुख सरकारी कदम है।
- रेलवे स्टेशनों पर जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता से इन दवाओं तक लोगों की पहुंच, आवश्यक दवाइयों की वहन क्षमता और ग्राहकों की सुविधा में सुधार होगा।

23.3. कॉयर उद्योग

(Coir Industry)

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नारियल के खेतों में जल की व्यापक कमी के कारण इन भागों में कॉयर उद्योग की उपज में कमी आई है।

पृष्ठभूमि

- कॉयर और कॉयर उत्पादों के वैश्विक उत्पादन का लगभग 66% हिस्सा भारत का है।
- भारत में केरल कॉयर उद्योग के सन्दर्भ में सबसे बड़ा राज्य है। कॉयर उद्योग का भौगोलिक (geographical location) स्थान कच्चे माल की उपलब्धता (नारियल) पर निर्भर करता है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में उपलब्ध है।

VISION IAS

सरकार की पहल

- **कॉयर उद्यमी योजना** - पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का नाम बदल कर कॉयर उद्यमी योजना कर दिया गया है।
    - यह एक **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** है जो 10 लाख तक की परियोजना लागत के कॉयर यूनिट की स्थापना के लिए 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक लोन और 5 लाभार्थी अंशदान प्रदान करती है।
    - किसी भी कोलेटरल सिक्यूरिटी/थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और इसमें आय की कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है।
    - यह सहायता व्यक्तियों, कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ,1860 के तहत गठित संस्थानों, सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूहों और धर्मार्थ ट्रस्ट्स के तहत पंजीकृत संस्थाओं को उपलब्ध है।

कॉयर उद्योग के आधारभूत तथ्य

- कॉयर नारियल के छिलके से प्राप्त होने वाली रेशेदार सामग्री है।
- यह एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है।
- भारत में कॉयर उद्योग दो अलग-अलग घटकों से मिलकर निर्मित होता है यथा -
    - **वाइट फाइबर** - यह अपेक्षाकृत अधिक चिकना और महीन किन्तु कमज़ोर होता है। यह कच्चे हरे नारियल से प्राप्त किया जाता है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रस्सी निर्माण में किया जाता है। यह रस्सी निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है।
    - **ब्राउन फाइबर** - यह पूरी तरह से पके हुए भूरे रंग के नारियल से प्राप्त किया जाता है। यह मजबूत होता है और इस प्रकार ब्रश, मैट आदि वस्तुओं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- 2015-16 में कॉयर निर्यात से लगभग 1900 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी।
- भारत से मुख्य निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- इस उद्योग में प्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख लोग संलग्न हैं जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रोंसे हैं। इसमें से महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 70% है।

- **कॉयर विकास योजना** -
    - इसमें कौशल उन्नयन और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।
    - इसमें **महिला कॉयर योजना** भी शामिल है, जिसके अंतर्गत महिला कॉयर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मशीनें व उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
    - इसके अन्य घटक उत्पादन अवसंरचना का विकास, घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना इत्यादि हैं।

कॉयर बोर्ड

- यह कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 (Coir Industry Act 1953)के तहत विकसित एक **सांविधिक निकाय** है।
- यह पंजीकरण और लाइसेंस के माध्यम से कॉयर के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है।
- यह उद्योग के लिए मानकों को भी निर्धारित करता है।
- यह कॉयर उत्पादों के उत्पादन के लिए सरकार का एक सलाहकार निकाय है।
- यह MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

कॉयर उद्योग का महत्व

- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कॉयर आधारित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।
- ई-कॉमर्स के विकास के परिणामस्वरूप कॉयर से बने मैट और गद्दों की मांग तथा विपणन में वृद्धि हुई है।

VISION IAS

चुनौतियां

- जलवायु परिवर्तन और मानसूनी वर्षा की कमी कॉयर उद्योग की पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं।
- इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों से होने वाली प्रतिस्पर्धा भारतीय कॉयर उद्योग के लाभ मार्जिन को प्रभावित कर सकती है।
- कच्चे माल सम्बन्धी समस्याओं में कच्चे माल की खराब गुणवत्ता और उसकी उच्च लागत शामिल हैं।
- श्रम सम्बन्धी समस्याओं में श्रमिक अनुपस्थिति, कम वेतन, निम्न कौशल, कम श्रम उत्पादकता शामिल आदि है।
- अन्य चुनौतियों में वित्तीय ऋण की अनुपलब्धता, तैयार माल आदि के विपणन की समस्याएं आदि शामिल हैं।

23.4. रत्न और आभूषण क्षेत्रक

(Gems and Jewellery Sector)

प्रधानमन्त्री ने हाल ही में भारत को रत्न और आभूषण का हब बनाने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया है।

आवश्यकता:

- सरकार का लक्ष्य वैश्विक आभूषण निर्यात बाजार को लगभग 50% तक बढ़ाना है। वर्तमान में इस पर इटली, जर्मनी, तुर्की और हांगकांग के निर्माताओं का वर्चस्व है।

पृष्ठभूमि:

- यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में बेचे गए 14 हीरों में से 12 हीरों की कटाई या पॉलिश भारत में की जाती है।
- वैश्विक हीरा बाजार में भारत का भाग मूल्य के अनुसार 60% और परिमाण के अनुसार 90% है।
- उच्च कुशल श्रमिक, कम लागत, प्रौद्योगिकी और बाजार की उपलब्धता से इस उद्योग का वितरण निर्धारित होता है।
  - भारत के आभूषण उद्योग का केंद्र मुम्बई में है -
  - यहाँ पर देश के अधिकांश सोने और कच्चे हीरों का आयात होता है।
  - यहाँ पर कई आधुनिक, अर्ध-स्वचालित कारखाने और SEZs में लेजर से कटाई करने वाली इकाइयां हैं।
- हीरा प्रसंस्करण अधिकांशतः गुजरात में (प्रमुखतः सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और भुज) और राजस्थान (जयपुर) में किया जाता है।
- कोलकता और त्रिचुर हल्के भार के सपाट स्वर्ण आभूषणों के लिए लोकप्रिय हैं।
- आंध्रप्रदेश में हैदराबाद बहुमूल्य और अर्ध-मूल्य वाले जड़ित आभूषणों का केंद्र है। आंध्रप्रदेश का ही नेल्लोर हस्तनिर्मित आभूषणों का केंद्र है।

विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भारत का 2015-16 में निर्यात इस प्रकार रहा है:

- कटाई और पॉलिश किये गये हीरे: US$ 20 बिलियन
- स्वर्ण मेडल और सिक्के: US$ 5.2 बिलियन
- चांदी के आभूषण: US$ 3 बिलियन

चुनौतियाँ:

- कच्चे माल जैसे खुरदुरे (कच्चा) हीरे की उपलब्धता बहुत कम है।
- विश्व स्तर पर मांग और खपत के स्वरूप परिवर्तित हो गए हैं। अब भारी जड़ाऊ आभूषणों के स्थान पर फैशन के आभूषणों की मांग अधिक है, यहीं मांग भारतीय ग्राहकों की भी है।
- विदेशियों द्वारा मांग किए जाने वाले कारीगर डिजाइनों की क्षमता का अभाव। उदहारण के लिए भारतीय निर्माताओं की 22 और 20 कैरट के स्वर्ण आभूषण बनाने में विशेषज्ञता है परन्तु निर्यात बाजार में 8 या 10 कैरेट के आभूषणों की मांग है।
- विदेशों से आने वाली बड़ी मात्रा में आभूषणों की मांग को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर मशीनरी का अभाव।
- सरकारी प्रलेखन (Government documentation) इस क्षेत्र के निर्यात में बाधक हैं।

VISION IAS

सरकार द्वारा उठाये गए कदम:

- "खुरदरे (कच्चे) हीरों" को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रमुख रूसी कम्पनी अलरोसा के साथ लॉबिंग कर रही है।
- निर्यात प्रोत्साहन के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को फोकस क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्वचालित रूट के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।
- मुम्बई स्थित रत्न और आभूषण संस्थान (IIGJ) को पूरे देश भर में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए सशक्त किया जा रहा है।
- वाणिज्य मन्त्रालय की सहायता से GJEPC कर्नाटक के उडुपी में एक गोल्ड क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट स्थापित कर रहा है जो स्थानीय कारीगरों को पुन: कौशल प्रदान करके आभूषणों के दक्षिण कन्नड़ क्लस्टर को पुनर्जीवित करेगा।
- भारतीय निर्यातकों ने एक निर्यात प्रोत्साहन रणनीति तैयार की है और पांच वर्ष में 60 बिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जोकि पिछले वर्ष 35 बिलियन डॉलर था।

आगे की राह:

- उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार कौशल विकास आवश्यक है।
- वर्तमान में भारतीय निर्माता बिना ब्रांड के उत्पादों का निर्यात करते हैं, जिन्हें आयातक अपने ब्रांड के साथ जोड़ लेते हैं और प्रीमियम मूल्य वसूलते हैं। भारतीय आभूषण निर्माताओं को भी बेहतर लाभ के लिए बिना ब्रांड के आभूषणों को ब्रांड वाले आभूषणों में परिवर्तित कर लेना चाहिए।

23.5. कागज उद्योग

(Paper Industry)

- कागज निर्माण उद्योग के लिए बेकार कागज, पुनर्चक्रित (recycled) कागज जैसे कच्चे माल का मूल्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ता रहा है।

कागज उद्योग के समक्ष चुनौतियां

- भारत में मुख्य रूप से कृषि वानिकी की कम प्रचलित परम्परा के कारण लकड़ी की लुग्दी जैसे **कच्चे माल का अभाव।**
- **नवीन प्रौद्योगिकी के कारण खपत प्रतिमानों में परिवर्तन -** कंप्यूटर और दूरसंचार ने 1980 के दशक से कागज के उपयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। उदाहरण के लिए स्टोरेज डिवाइस।
- भारत अभी भी **बेकार कागज और पुनर्चक्रित कागज के आयातों पर निर्भर है**, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में **कागज अपशिष्टों से कागज पुन:प्राप्त करने की दर अत्यधिक कम है।**
- हालांकि श्रम और ईंधन की दृष्टि से भारत को लागत संबंधी लाभ प्राप्त है लेकिन निम्न श्रम उत्पादकता एवं कोयले की गुणवत्ता में विभिन्नता इसे कम कर देते हैं।
- लुगदी और कागज उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी भी माना जाता है और इसलिए कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में भारत में हाल ही के औद्योगिक वर्गीकरण में इस उद्योग को **'लाल श्रेणी' (Red category)** में रखा गया है।
- मजबूत करेंसियों और बेहतर प्रौद्योगिकियों के कारण चीन जैसे देशों द्वारा सस्ते आयात।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में **लुग्दी निर्माण के लिए सब्सिडी की वापसी**। इसके कारण कच्चे माल महंगे हो गए हैं।

पृष्ठभूमि

- **कागज एवं लुग्दी उद्योग की अवस्थिति** निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित है-
    - कच्चे माल की उपलब्धता (विशाल वन क्षेत्र)
    - परिवहन (निकटवर्ती नदी)
    - विशाल परिमाण में ऊर्जा की उपलब्धता

VISION IAS

- सस्ता श्रम
- बाजार की पर्याप्त उपलब्धता

- भारत का अधिकांश कागज एवं लुग्दी उद्योग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों इत्यादि में संकेंद्रित है।
- **मिलों द्वारा कई प्रकार के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है;** जैसे- लकड़ी/बांस (24%), बेकार कागज/ पुनर्चक्रित फाइबर (65%) एवं खोई तथा गेहूं का पुआल और चावल की भूसी जैसे कृषि-अवशेष।
- **इस उद्योग के विकास के मुख्य चालक हैं:** शहरीकरण और बदलती जीवन शैलियाँ**,** शिक्षा पर बल, संगठित खुदरा बाजार में वृद्धि एवं बेहतर गुणवत्ता वाली पैकेजिंग की मांग जैसे औषधीय पैकेजिंग।

कागज उद्योग का महत्व

- कागज उद्योग बड़ी संख्या में (लगभग 0.5 से 1 मिलियन) रोजगार प्रदान करता है।
- कागज उद्योग का उपयोग तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (FMCGs) से लेकर औषधियों के **पैकेजिंग प्रयोजनों हेतु किया जाता** है।
- पैकेजिंग के अतिरिक्त, कागज उद्योग **लेखन एवं मुद्रण उद्देश्यों** हेतु भी कागज का उत्पादन करती है।

कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहलें

- 1997 में, कागज उद्योग को डि-लाइसेंस किया गया था एवं इसमें 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई थी।
- प्रिंट मीडिया में 26% FDI की अनुमति है, जो कागज उद्योग के लिए मुख्य अंतिम उपयोग क्षेत्रक है।
- सरकार द्वारा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी है।
- सरकार **राष्ट्रीय वन नीति** एवं **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014)** भी लेकर आई है जो कच्चे माल की कमी को पूरा करने में सहायता कर सकती है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014

- कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।
- कृषि वानिकी उपज के संचयन एवं परिवहन के लिए सरल विनियामक तंत्र (वर्तमान में कई एजेंसियों द्वारा विनियमन अधिरोपित किए जाते हैं)।
- किसानों को कच्चे माल एवं ऋण की सुलभता।
- समर्थ डेटाबेस और सूचना प्रणाली का विकास करना एवं शोध में निवेश।

आगे की राह

- कागज उद्योग को अपनी क्षमताओं में विशाल वृद्धि करने के स्थान पर लुग्दी निर्माण एवं कागज **मशीन प्रौद्योगिकी** में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।
- बेकार कागज को पुन:प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी भी सहयोगी हो सकती है परन्तु वर्तमान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अत्यधिक निम्न है।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी उन्हें हरित उत्सर्जन मानदंडों के अनुकूल बनने में भी सहायता करेगी।

VISION IAS

24. विविध

(MISCELLANEOUS)

24.1. बौद्धिक संपदा बनाम प्रतिस्पर्धा कानून

(Intellectual Property Vs Competition Law)

IPR को अक्सर प्रतिस्पर्धा कानून को दरकिनार करने वाले विषय के रूप में चिन्हित किया जाता है और समय-समय पर यह विवाद उठता है कि क्या यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए समान रूप से बेहतर है।

पेटेंट अधिनियम, 1980 की धारा 80 के तहत भारत ने Bayer, जिसके पास कैंसर-रोधी दवा Nexavar दवा के लिए पेटेंट था, के खिलाफ Nexavar के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस NATCO को प्रदान किया।

IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) क्या है?

- बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को उनके सृजन के उपयोग के लिए दिया गया अधिकार है। यह रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है।
- नई दवा संयोजन, व्यापार मॉड्यूल, उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कई अन्य सृजनात्मकताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है।
- बौद्धिक संपदा के कुछ पहलुओं में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा कानून क्या है?

- प्रतिस्पर्धा कानून माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बाजार बाधाओं को हटाने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है।
- प्रतिस्पर्धा कानून को कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया गया है।
- भारत का प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के रूप में तैयार किया गया था जिसे 2007 में संशोधित भी किया गया।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाये रखता है और बढ़ावा देता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

मुद्दे

- IPR को अक्सर प्रतिस्पर्धा कानून को दरकिनार करने वाले विषय के रूप में चिन्हित किया जाता है और समय-समय पर यह विवाद उठता है कि क्या यह दोनों ही प्रतिस्पर्धा कानून और बौद्धिक संपदा कानून के बीच इंटरफेस हैं।
- उस समय इन दोनों कानूनों में आपसी टकराव का अवलोकन किया जा सकता है जब एक कंपनी को IP कानून द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों में एक परस्पर-विनिमय (इंटरचेंज) हो और प्रतियोगिता विरोधी प्रथाओं जिनकी रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कानून कोशिश करता है।
- प्रतिस्पर्धा कानून का उस समय दुरूपयोग होता है जब बौद्धिक संपदा अधिकार धारक अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तें या कीमत लागू करता है। इसे हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं:
- वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधानो को सीमित या प्रतिबंधित करे।
- अन्य इकाईयों को बाजार पहुंच से इनकार करते हैं।
- एक बाजार से दूसरे बाजार में प्रवेश करने के लिए अपनी प्रभावी स्थिति का उपयोग करते है।
- विकासशील देशों में, IP कानून को मजबूत बनाने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं को उनके समतुल्य मजबूत बनाये बिना ही की गई है।
- यह IP के स्वामित्व अधिकार के कारण प्राप्त अत्यधिक एकाधिकार शक्ति के नकारात्मक परिणामो के समाधान हेतु नीति निर्माताओं को चुनौती प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त पेटेंट ऑफिस TRIPS के तहत तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने हेतु "अत्यधिक" या "अवहनीय" मूल्य के निर्धारण में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं।
- CCI भी इस प्रकार की दुविधा, जो IP और प्रतिस्पर्धा कानून के बीच मौजूद है, से निपटने में सक्षम नहीं है।

आगे की राह

- प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को संतुलित करने की जरूरत है।
- IPRs के उपयोग और अधिग्रहण से होने वाले दुरूपयोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानूनों को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- IPR से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के उपचार के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने हेतु TRIPS समझौते द्वारा प्रदत्त उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
- IPR के अत्यधिक या अवहनीय कीमतों के समुचित निर्धारण करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखने वालों को पेटेंट कार्यालयों में भर्ती किया जाना चाहिए।
- IPRs के अधिग्रहण और प्रवर्तन में होने वाले दुरूपयोगों को रोकने और सही करने के लिए दिशा निर्देशों सहित नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।

24.2. CSR व्यय में रुझान

(Trends in CSR Spending)

मुख्य विशेषताएं

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** से संबंधित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत ने 2015-16 में अपने **CSR** दायित्व के भाग के रूप में 8345 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।
- यह पिछले वर्ष में किए गए 6526 करोड़ रूपए के व्यय से 28% अधिक है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य वरीय क्षेत्र बने हुए हैं।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य फंडों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड 418% की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

मुद्दे

- जहाँ अनुपालन दर में वृद्धि हुई है, वहीं व्यय न की गई राशि में भी वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि एक बड़ी संख्या में कंपनियाँ अपना सामाजिक दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं और CSR पर निर्धारित राशि व्यंय नहीं कर पाई हैं।
- कॉर्पोरेट वास्तव में CSR पर उतना व्यय नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 41% की तुलना में केवल 28% की वृद्धि का पता चलता है।
- वे परिवर्तन हाथ में लेने या संचालित करने की बजाय प्रधानमंत्री राहत कोष में निष्क्रिय योगदान कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां CSR का निष्क्रिय तरीके से निर्वहन करना बेहतर समझती हैं क्योंकि इससे उनका समय और मानव संसाधन बचता है।
- व्यय न किये जाने के लिए कंपनियों द्वारा उद्धृत अन्य कारण हैं - सही अवसर या परियोजना की पहचान करने में सक्षम होने की कमी और कार्यान्वयन एजेंसी खोजने में सक्षम न होना।

CSR के संबंध में

- CSR प्रावधानों का समावेश करने के लिए 2013 में कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया था। CSR नियम, 2014 इस प्रक्रिया का विनियमन करता है।
- यह विनियम कंपनियों के लिए विभिन्न सामाजिक कारणों के प्रति औसत निवल लाभ (पिछले तीन वर्षों में अर्जित) का कम से कम 2 प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य बनाता है।

VISION IAS

24.3. कंपनी बोर्ड के लिए स्वतंत्र निदेशक

(Independent Directors on Company Boards)

टाटा समूह से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका एक बार फिर सुर्ख़ियों में रही है। इससे पूर्व सत्यम घोटाला के प्रक्रम में इनकी भूमिका काफी सुर्ख़ियों में रही थी।

स्वतंत्र निदेशक कौन होते हैं?

- 'स्वतंत्र निदेशक' (Independent Director: ID) से आशय एक गैर-कार्यकारी निदेशक से है (लेकिन यह न तो किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक और न ही कोई पूर्णकालिक निदेशक होना चाहिए), जो बोर्ड की राय में एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है तथा जिसके पास आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव होता है।
- एक स्वतंत्र निदेशक को आवश्यक रूप से हितों के टकराव से खुद को अलग रखना चाहिए और उसे बोर्ड के एक निर्देशक के रूप में एक पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक को छोड़कर कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अन्य आर्थिक संबंध नहीं रखने चाहिए।

स्वतंत्र निदेशकों (IDs) के प्रमुख दायित्व

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन और कंपनी के चेयरपर्सन (अध्यक्ष) के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन की उपस्थिति के बगैर उन्हें (स्वतंत्र निदेशकों को) आपस में वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य मिलना।
- यह सुनिश्चित करना कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के ठोस सिद्धांतों पर ही कंपनी का संचालन किया जा रहा है।
- सभी हितधारकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना एवं हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन कायम करना।

क्या स्वतंत्र निदेशक (IDs) एक कंपनी के कुप्रबंधन को रोक सकते हैं?

- स्वतंत्र निदेशको को कंपनी के बारे में अपर्याप्त ज्ञान होता है साथ ही प्रबंधन उन्हें जो बताता है वे केवल उसी पर भरोसा करते हैं।
- सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए उनके पास अपर्याप्त समय होता है।
- परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशक एक कंपनी में बड़े पैमाने पर होने वाले धोखाधड़ी या कुप्रबंधन को रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

स्वतंत्र निदेशक (IDs) और कंपनी विधेयक

- 2013 का कंपनी अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों को उनके पारिश्रमिक के अतिरिक्त कंपनी से अन्य भी प्रकार के आर्थिक-संबंधों की अनुमति नहीं देता।
- हालांकि, 2016 का संशोधन विधेयक कंपनी के साथ ऐसे स्वतंत्र निदेशकों को उनकी कुल आय के 10% तक के एक मौद्रिक संबंध रखने की अनुमति देता है। इस राशि को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- मौजूदा कानून के तहत, एक स्वतंत्र निदेशक का कोई रिश्तेदार पिछले तीन वर्षों में कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यह आशंका जतायी जा रही है कि इस कानून में प्रस्तावित बदलाव द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा।
- इस प्रकार यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति में प्रस्तावित बदलाव से कहीं निदेशकों की स्वतंत्रता ही न समाप्त हो जाए।

24.4. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in economics)

हार्वर्ड के ओलिवर हार्ट और MIT के प्रोफेसर बेंट हॉल्म स्टॉर्म ने अनुबंध और व्यापार में मानव व्यवहार के अपने अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में इस वर्ष का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है।

अनुबंध सिद्धांत क्या है?

- अनुबंध को किस प्रकार से डिजाईन किया गया है यह वास्तविक जगत में विभिन्न स्थितियों में हमारे प्रोत्साहनों/फायदों को परिभाषित करता है। अनुबंध हो सकते हैं:
- औपचारिक या अनौपचारिक, इस आधार पर कि क्या उन्हें कानून या सामाजिक मानदंडों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है,
- पूर्ण या अपूर्ण, जो इस बात पर आधारित होते हैं कि क्या वे सभी संभावनाओं का संज्ञान लेते हैं जो भविष्य में निहित हैं,

- अनुबंध सिद्धांत, कम से कम आंशिक रूप से, हमारे अनुबंधों में सूक्ष्मभेदों और किस प्रकार इन अनुबंधों का बेहतर निर्माण किया जा सकता है को समझने का प्रयास हैं।
- इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने "शीर्ष अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित वेतन, बीमा में कटौती योग्य और सह-भुगतान, और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का निजीकरण जैसी संविदात्मक अभिकल्पंना में कई विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा" प्रदान की है।
- यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, इस संकट का दोष उस अल्पकालिक जोखिम को दिया गया जिसे निवेश बैंकरों को भुगतान किए गए विशाल नकद बोनसों द्वारा बढ़ावा दिया गया।
- यह नैतिक जोखिम के विषयों पर भी ध्यान देता है, जो वहां उत्पन्न होते है, जहां जोखिम लेने वाले लोग विफलता की लागत साझा नहीं करते हैं।

महत्व

- अनुबंध सिद्धांत ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर संवैधानिक कानून तक कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
- अनुबंध सिद्धांत सटीक परिकल्पना उत्पन्न करता है जिसका अनुभवजन्य आंकड़ों के साथ सामना किया जा सकता और दिवालियापन कानून से लेकर राजनीतिक संविधानों तक विभिन्न नीतियों और संस्थाओं की अभिकल्पना के लिए बौद्धिक आधार तैयार करता है।
- सार्वजनिक नीति में अनुबंध सिद्धांत का उपयोग कुछ ऐसा है जिसे भारत सरकार को सीखना चाहिए, चाहे यह दूरसंचार क्षेत्र में नीलामी की अभिकल्पाना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अभिकल्पना।

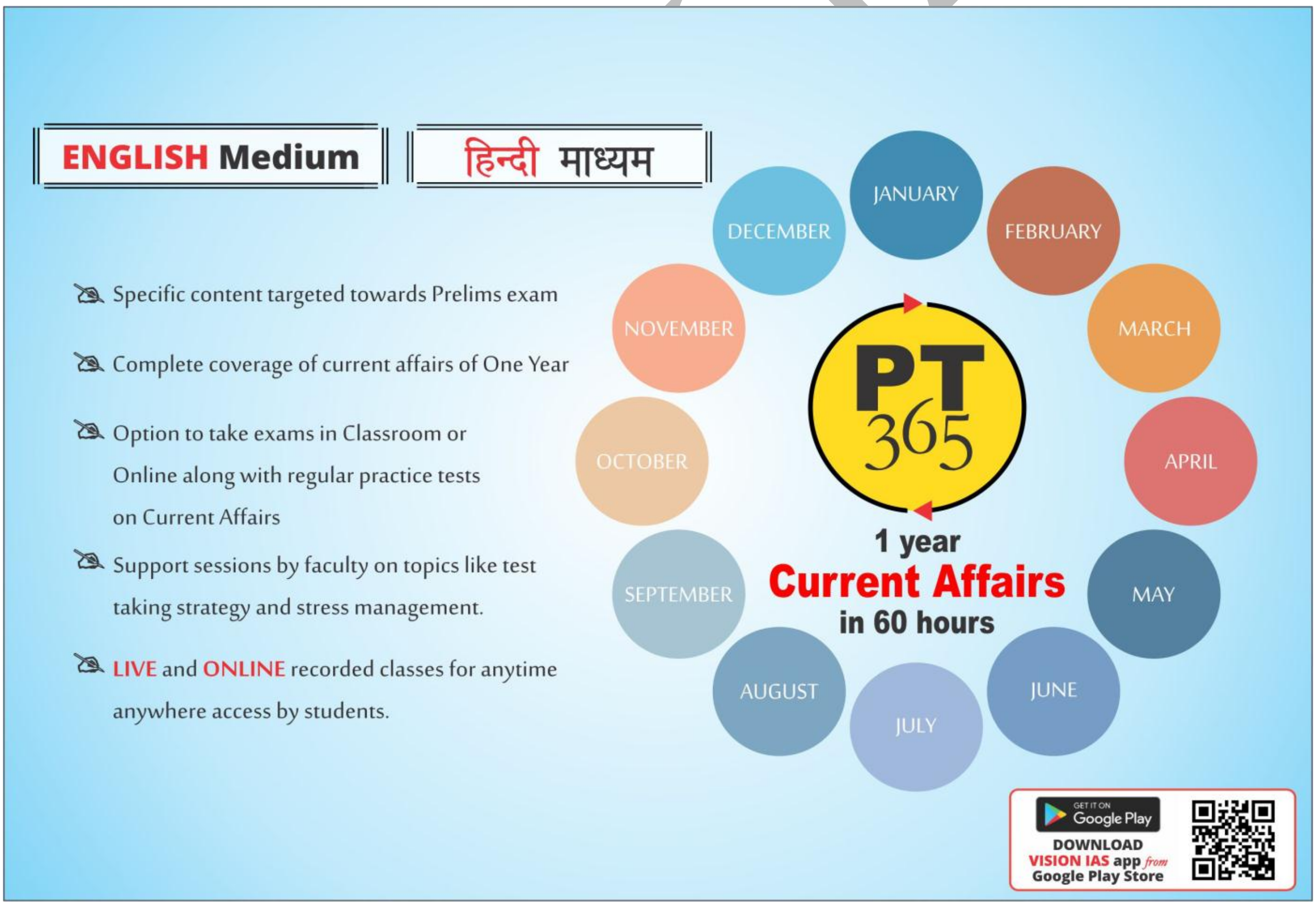

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS